पंचम माला, खंड 64, अंक 13, शुक्रवार, 27 अगस्त, 1976/5 भाद्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXIV, No. 13, Friday, August 27, 1976/Bhadra 5, 1898 (Saka)

Acc. No....276 (1)
4.XI.1976

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 64 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची CONTENTS

अंक 13, शुक्रवार, 27 अगस्त, 1976/5 भाद्र, 1898 (शक)

No. 13, Friday, August 27, 1976/Bhadra 5, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 243; 245, 247, 252, 255 और 257 से 261	Starred Questions Nos. 243, 245, 247, 252, 255 and 257 to 261	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 242; 244, 246; 248 से 251, 253, 254 और 256	Starred Questions Nos. 242, 244, 246, 248 to 251, 253, 254 and 256	20-27
अतारांकित प्रश्न संख्या 1740 से 1784 और 1786 से 1903	Unstarred Questions Nos. 1740 to 1784 and 1786 to 1903	27-115
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	115-118
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—कार्यवाही सारांश	Committee on Private Members' Bills and Resolutions Minutes	119
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—कार्यवाही सारांश	Committee on Absence of Members from Sittings of the House—Minutes	119
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	119
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence of Members from Sittings of the House	120

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
लोक लेखा समिति—224वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee—Two hundred and twenty Fourth Report	120
कावेरी के जल के उपयोग तथा विकास के बारे में वक्तव्य —	Statement Re. Use and Development of Cauvery Waters—	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	121
सभा का कार्य	Business of House	
कार्य मंत्रणा समिति—64वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee—Sixty Fourth Report	122
कारखाना (संशोधन) विधेयक, विचार किये जाने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Factories (Amendment) Bill—Motion to Consider, As passed by Rajya Sabha—	
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	123-24
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	124-25
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	125-26
श्री रामसिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	127-28
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Sawaran Singh Sokhi	128
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	128
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	128-29
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	129
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	129-30
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	130-31
खण्ड 2 से 45 और 1	Clauses 2 to 45 and 1	131-32
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	132
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम सूची का संशोधन) डा० कैलास द्वारा	(1) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Scheduled) by Dr. Kailas	132-33
(2) नारियल विधेयक श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	(2) Coconut Bill—By Shri C.K. Chandrapan	133
कम्पनी (संशोधन) विधेयक—	Companies (Amendment) Bill—Withdrown	132

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
(नई धारा 224क, 224ख, 224ग का अन्त:स्थापन)	(Insertion of New Sections 224A, 224B and 224C)	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा— वापिस लिया गया	by Shri Chintamani Panigrahi—With drawn	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider—	
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	133
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	134
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	134-135
श्री बी0 वी0 नायक	Shri B.V. Naik	135
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	135-136
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	136-138
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	138
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill— (Amendment of Articles 74 and 163)	
श्री सी0 के0 चन्द्रप्पन द्वारा	by Shri C.K. Chandrappan	139, 140
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री सी0 के0 चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	140
श्री बी0 वी0 नायक	Shri B.V. Naik	140
श्री एस0 पी0 भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya	140
श्री के0 लकप्पा	Shri K. Lakkappa	140-141
श्री सी0 एम0 स्टीफन	Shri C.M. Stephen	141-142
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	142

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 27 अगस्त, 1976 / 5 भाद्र, 1898 (शक)

Friday, August 27, 1976/Bhadra 5, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठ सीन हुये
MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रोसेसकी गई सब्जियों और फलों का निर्यात

†243. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फारस की खाड़ी के देशों को परिरक्षित तथा प्रोसेस की गई सब्जियों और फलों तथा पशुओं के निर्यात में बहुत सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस में और सुधार की आशा है और वह औद्योगिक एककों को उनका निर्यात बढ़ाने में सहायता करना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) जी हां।

विवरण

1973–74, 1974–75 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1975 के दौरान अबुधावी, बेहरीन, डुबाई, कुवैत, ओमान, क्तार, सऊदी अरब, मसक्त, यमन अरब गणराज्य; लेबनान, ईरान, इ्राक तथा जोर्डन को जिन्दा जानवर, साधित फल तथा साधित सब्जियों का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा :

मूल्य लाख रु० में

	1973–74	1974–75	अप्रैल-दिसम्बर; 1975
जिन्दा जानवर . . .	5.44	1.04	13.71
साधित फल . . .	30.88	86.03	115.22
साधित सब्जियां . . .	26.77	38.63	60.13
	63.09	126.70	189.06

श्री डी० डी० देसाई : गत दो वर्षों में निर्यात में-400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या उद्योगों को टिनप्लेट, बैंकिंग सुविधाएं तथा ऋण सम्बन्धी सुविधाएं आदि दी जा रहीं हैं। इनके बारे में निर्यात संवर्धन परिषद मंत्रालय और रिजर्व बैंक को लिख चुका है। क्या उन्हें जहाजों में माल भेजने की सुविधाएं आदि दी जा रही हैं। कुछ जहाज कम्पनियां इस सम्बन्ध में संकोच से काम ले रही थी।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : हम पैंकिंग का सामान आयात करने की अनुमति दे रहे हैं। निर्यात में अचानक अत्याधिक वृद्धि होने से पैंकिंग के लिए आवश्यक टिनप्लेटों की कमी पड़ गई थी। इस सम्बन्ध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० से बात की जा रही है।

नौवहन और बैंकिंग के बारे में हम नौवहन मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं। खराब होने वाले सामान के निर्यात के सम्बन्ध में कभी कभी कठिनाइयां होती हैं। इस पर लगातार विचार ही रहा है और सरकार गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगी।

श्री डी० डी० देसाई : अधिकतर देशों में पानी की कमी और सूखे की स्थिति है, अतः अधिकतर देशों में अभाव है। भारत में जल की कोई कमी नहीं। क्या सरकार देश को मिले इस अपूर्व अवसर का लाभ आवश्यक सुविधाएं देकर नहीं उठाएगी। क्या बड़ी आवश्यकता को पूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कुछ खाद्य पदार्थों की कमी के कारण हमें अपना सामान बेचने के अवसर मिल रहे हैं तथा सरकार ने स्थिति का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए हैं। मई, 1976 में अरब की खाड़ी के देशों को एक बिक्री दल भेजा गया था। जिन डब्बा बन्द वस्तुओं के लिए चीनी की आवश्यकता होती है उन्हें लेवी मूल्य पर चीनी दी जाती है। रेल भाड़ा रियायत तथा प्रभारित शुल्क के लिए नकद सहायता सुविधाएं दी जाती हैं। सदस्य इस बात से अवगत होंगे। बकरियों और भेड़ों का कोटा बढ़ा दिया गया है अब यह 30,000 से बढा कर 2 से 4 लाख कर दिया गया है। 31-3-1976 से भैंसों का निर्यात करने की अनुमति भी दे दी गई।

श्री के० लक्कप्पा : परिशोधित फल और सब्जियों की खाड़ी के देशों में हमारी बड़ी अच्छी खपत है। परन्तु उनके उत्पादन के लिए बंगलौर आदि दक्षिण स्थानों में ढ़ांचा तैयार करना होगा। निर्यात सम्बन्धी अन्य सुविधाओं और परिवहन के साधनों की कमी के कारण कठिनाई हो रही है। इस कारण फल और सब्जियां सड़ रही हैं। इन सुविधाओं को विशेषकर कर्नाटक में बंगलौर जैसे स्थानों में, देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमें हथकरघा सिले-कपड़ों का स्टाक इकट्ठा हो जाने का समाचार मिला है, जिन्होंने हवाई परिवहन के लिए सुविधाएं दिए जाने का अनुरोध किया है। सुपरिवहन की कमी के कारण फलों और सब्जियों के इकट्ठी होने की हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : क्या जानवरों को ले जाते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। निर्यात का मूल्य बढ कर 1.88 करोड़ रुपये हो गया है। क्या यह वृद्धि मूल्य बढ़ने के कारण है या अधिक मात्रा में निर्यात के कारण।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पशुओं के सम्बन्ध में हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं है। इस वर्ष 13 गुना वृद्धि हुई है--1974-75 के 1.04 लाख से बढ कर इस वर्ष अप्रैल-दिसम्बर के दौरान यह 13.71 लाख रुपया हो गया है।

श्री घामनकर : क्या सरकार को पता है कि प्याज बड़ी मात्रा में पड़ी है और वह खराब हो रही है। और क्या महाराष्ट्र के नासिक जिले में निर्यात को सुविधा और प्रोत्साहन के अभाव में प्याज सड रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह प्रश्न परिशोधित फल और सब्जियों से सम्बन्धित हैं। प्याज का निर्यात 1973-74 के 16 लाख से बढ कर 1974-75 में 84 लाख रुपया हो गया था। 1975-76 में इसमें कुछ गिरावट आई।

पश्चिम बंगाल और आसाम में चाय बागान

†245. **श्री रानेन सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में और जुलाई, 1976 तक चाय के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल और आसाम में चाय बागानों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और आसाम में रुग्ण चाय बागानों को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चटोपाध्याय) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख). इकाई निर्यात मूल्यों में सुधार के फलस्वरूप पिछले दो वर्षों के दौरान चाय से निर्यात आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नोक्त से स्पष्ट है :

वर्ष	मात्रा (10 लाख किग्रा०)	मूल्य (रु०।करोड़)	इकाई मूल्य (रु०।किग्रा०)
1973 . .	188.19	142.71	7.58
1974 . .	205.91	188.81	9.17
1975 . .	218.10	244.63	11.22
1976† . . (जनवरी–जून)	76.54	89.32	11.67
1975 . . (जनवरी–जून)	83.99	92.31	10.99

†अनन्तिम

(ग) 1960–61 से चाय बोर्ड समस्त भारत में चाय उद्योग के विकास के लिये अनेक वित्तीय सहायता योजनाएं चला रहा है। योजनाओं में बागान वित्त पोषण, चाय मशीनें एवं सिंचाई उपस्कर किराया खरीद, पुनर्रोपण उपदान तथा हाल ही में शुरू की गई पुनर्नवीकरण उपदान योजना, जो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में लागू है, शामिल हैं। चाय बोर्ड चाय बागानों के लिये अपेक्षित मात्रा में उर्वरक, कीट-नाशक, फफूंदी-नाशक, कोयला, भट्ठी का तेल आदि जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों

की सप्लाई की भी देखभाल करता है। प्रशिक्षण सुविधाएं चाय गवेषणा केन्द्र पर उपलब्ध हैं जिसे चाय बोर्ड वार्षिक अनुदान देता है। चाय बोर्ड असम कृषि विश्वविद्यालय को चाय के बारे में विशेष पाठ्यक्रम चलाने के लिये वित्तीय सहायता भी देता है।

(घ) और (ङ). चाय अधिनियम, 1953 में संशोधन किया गया है जिससे सरकार रुग्ण एवं बन्द पड़े चाय बागानों की पुनर्स्थापना के लिये उपाय कर सके। उन चाय बागानों को, जिन पर जांच/अधिग्रहण करने के लिये विचार किया जा सकता है, अभिज्ञात करने एवं उनके बारे में जानकारी एकत्र करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा पुनर्स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही चाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 से सम्बन्धित उपबन्धों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

डा० रानेन सेन : अनुपूरक प्रश्न करने से पूर्व मैं आपका ध्यान प्रश्न के भाग (घ), अर्थात् क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और आसाम में रुग्ण चाय बागानों को कोई वित्तीय सहायता दी है, की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके उत्तर में कहा गया है "चाय अधिनियम में संशोधन किया गया है जिससे सरकार रुग्ण एवं बन्द पड़े चाय बागानों की पुनर्स्थापना के लिए उपाय कर सके. . . ." मैं यह जानना चाहता हूं कि रुग्ण चाय बागानों की सहायता हेतु क्या उपाय किये गये हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : चाय बोर्ड कई विकास योजनाएं चला रहा है। सब बातें समान रहने पर रुग्ण एककों को, जिन्हें सहायता की अधिक आवश्यकता है, चाय बागान वित्त योजना, पुनर्रोपण राज सहायता योजना, कारखानों का आधुनिकीकरण तथा वर्तमान कारखानों की सेवा दशा में सुधार आदि के लिए हकदार बनाया गया है। हम पुनर्नवीकरण तथा काट-छांट इत्यादि के लिए भी सहायता देते हैं। चाय बागान वित्त योजना के अंतर्गत हम ने आसाम के 148 एककों को 635 लाख रुपये की तथा पश्चिम बंगाल के 68 एककों को 246 लाख रुपये की सहायता दी है। चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपकरण की किराया खरीद योजनाओं के अंतर्गत हमने आसाम के 324 एककों को 650 लाख रुपये की सहायता दी है। हम ने पश्चिम बंगाल में 220 एककों को 420 लाख रुपये दिये हैं। पुनर्रोपण उपदान योजना के अन्तर्गत आसाम में 964 सहायता निविदाओं को निपटाया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि हम उन्हें सहायता दे रहे हैं। रुग्ण एककों को अपेक्षाकृत अधिक सहायता की जरूरत है और हम उनकी ओर पहले ध्यान दे रहे हैं।

डा० रानेन सेन : विवरण से ज्ञात होता है कि 1973 के बाद से निर्यात में वृद्धि हो रही है। मूल्य भी बढ़ रहा है और एकक मूल्य भी बढ रहा है लेकिन फिर भी आसाम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान रुग्ण हो गये हैं। क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है?

प्रो० डी० पी चट्टोपाध्याय : जैसाकि मैंने पहले बताया है निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है। 1974 में निर्यात 2050 लाख किलो था और 1975 में यह बढ़कर 2180 लाख किलोग्राम हो गया तदनरूप निर्यात से होने वाली आय में भी वृद्धि हुई है। 1974 की 188 करोड़ रुपये की निर्यात आय 1975 में बढ़कर 244 करोड़ रुपये हो गई और 1974 का एकक मूल्य 9.17 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 1975 में 11.22 रुपये प्रति किलो हो गया। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी कुछ चाय बागान रुग्ण कैसे हो गये? मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी चाय बागान रुग्ण नहीं हैं। जुलाई, 1972 में चाय बोर्ड द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया उसमें 125 एककों ने

अपने को रुग्ण बताया। कई बार सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से भी कुछ चाय बागान मालिक अपने बागानों को रुग्ण बता देते हैं। यद्यपि वह अपने बागानों को रुग्ण बताते हैं फिर भी वह सब आवश्यक रूप से रुग्ण नहीं है। 1975 में हमारे कहने पर एक जांच की गई और उसके अनुसार पता चला कि 125 नहीं अपितु 43 एकक या तो रुग्ण हैं या बंद कर दिये गये हैं। इनमें से 17 एकक आसाम में तथा 26 पश्चिम बंगाल में हैं। इनके रुग्ण होने के मुख्य कारण ये हैं: अधिक पूंजीकरण, श्रमिकों तथा प्रबंधकों के बीच खराब सम्बन्ध, धन का दुरुपयोग, अवैज्ञानिक कृषि प्रक्रियाएं इत्यादि।

डा० रानेन सेन: चाय का उत्पादन बढ़ा है और उसका मूल्य भी बहुत बढ गया है। कलकत्ता में हाल ही में हुई एक नीलामी में दार्जीलिंग की चाय 299 रुपये प्रति किलो तक बिकी। इस तथ्य के बावजूद भी दार्जीलिंग के चाय बागान सबसे बुरी स्थिति में हैं। चाय उद्योग की इस गरम बाजारी का लाभ उठाकर कुछ बेइमान लोग चाय बागानों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरणार्थ आसाम फ्रंटियर टी ऐस्टेट, जोकि एक स्टर्लिंग कम्पनी है, के पास 10 चाय बागान हैं और अब कुछ कम्पनियां इन चाय बागानों को हथियाना चाहती हैं और आसाम सरकार द्वारा चलाये जा रहे आसाम चाय निगम को इन चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने की अनुमति नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल के भी ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को चाय बागानों की इस प्रकार की सौदेबाजी के बारे में ज्ञान है जहां कि बड़े चाय बागान मालिकों द्वारा छोटे चाय बागानों को हड़पा जा रहा है।

प्रो० डी० पी चट्टोपाध्याय: मैं पहले ही बता चुका हूं कि चाय बागानो के रुग्ण होने का एक मुख्य कारण कुप्रबन्ध है। हमारा प्रयास यह है कि उद्योग को रुग्ण होने से बचाया जाए। जहां तक बड़े चाय बागान मालकों और छोटे चाय बागान मालिकों का संबंध है, यदि प्रबंध कुशलता और वित्तीय समर्थता तथा अन्य बात समान हैं तो हम हमेशा छोटे चाय बागान वालों को प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई सरकारी क्षेत्र का निगम अथवा सहकारी समिति कुछ चाय बागान खरीदने की इच्छुक है तो अन्य बातों के समान रहने पर हम उसे वरीयता देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर: मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कुप्रबंध के कारण अधिकाधिक चाय बागान रुग्ण हो रहे हैं। चाय के द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करेगी अथवा उन्हें अपने अधिकार में लेगी।

अध्यक्ष महोदय: यह नीति का प्रश्न है अत: इसे प्रश्न काल में नहीं उठाया जाना चाहिए। उत्तर आपको ज्ञात ही है। आप केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी जो इन चाय बागानों का अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक ढंग से रखरखाव करते हैं।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय . जिन चाय बागानों को हम अपने अधिकार में लेने के बारे में सोच रहे हैं पहले हम उनके जब्त दस्तावजों की छानबीन करेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि किस सीमा तक वे गलती पर हैं। एक दम कुछ कह देना उचित नहीं होगा। हम उनके प्रति नरमी नहीं बरत रहे हैं। मैंने इस सदन में पहले भी कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि यह चाय बागान उन लोगों को हरगिज़ वापिस नहीं किए जाएंगे जोकि उन्हें रुग्ण बनाने के जिम्मेदार पाए गए हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : यद्यपि वाणिज्य मंत्रालय और चाय बोर्ड ने कई उपाय किए हैं फिर भी चाय बागानो के दोषों, मैं विशेषकर दार्जिलिग चाय के बारे में उल्लेख कर रहा हूं, को दूर नहीं किया जा सका है। दार्जलिग चाय विश्व की सबसे उत्तम चाय है लेकिन दार्जलिग के चाय बागानो की स्थिती विश्व में सबसे बुरी है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दार्जिलिग चाय बागान श्रमिकों को अन्य चाय बागान श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है और क्या यह भी सच है कि दार्जिलिग चाय बागान में प्रति हैक्टयर उत्पादन भी बहत कम है? इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानाना चाहता हूं कि दार्जिलिग क्षेत्र में बागान की स्थिति सुधारने के लिये उनका क्या प्रोत्साहन देने का विचार है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे ज्ञात हुआ है कि आसाम तथा पश्चिम बंगाल में प्रति हैक्टयर उत्पादन बढ़ रहा है।

श्री बी० के० दास चौधरी : दार्जिलिग में?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समय जिलेवार जानकारी मेरे पास नहीं है, राज्यवार जानकारी है।

श्री बी० के० दास चौधरी : दार्जिलिग चाय तो अलग है

श्री० डी० पी० चट्टोपाध्याय : वह चाय बोर्ड के सदस्य हैं तो कई बातों की उनको मुझ से अधिक जानकारी है। आसाम में 1972 मे प्रति हैक्टयर उत्पादन 1,298 किलोग्राम था। वर्ष 1973 में यह बढ़ कर 1,360 किलोग्राम हो गया था तथा वर्ष 1974 में 1,416 किलोग्राम। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972 में उत्पादन 1226 किलोग्राम था। अगले वर्ष यह 1241 हो गया तथा उस से अगले वर्ष 1338। इस लिये उत्पादन बढ़ रहा है। दार्जिलिग चाय बहुत प्रसिद्ध चाय है। कुछ लोग अच्छी चाय और अच्छे जायके के शौकीन होते हैं, इस लिये वे यह चाय लेते हैं। जैसाकि आपको ज्ञात होगा, राज्य का विषय है।

बैंकों में भर्ती सम्बन्धी नियम

*247. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंको में भर्ती के लिए एक समान नियम नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंकों में भर्ती के लिए एक समान नियम बनाने का है ?

राजस्व और बैंककारी मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों के मोटे तौर पर तीन वर्ग हैं :—अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी । बैंकों में अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों की भरती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। इसके लिये समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन-पत्र को आमंत्रित किये जाते हैं और लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार (इंटरव्यू) के पश्चात् उम्मीदवारों को चुना जाता है । लिपिक वर्ग के कर्मचारियो की भरती, रोजगार दफ्तर को अधिसूचित करके तथा साथ ही साथ भरती के लिये स्थानीय विज्ञापन जारी करके प्रायः क्षेत्रीय आधार पर की जाती है । लिपिक वर्ग के कर्मचारियों का चुनाव लिखित परीक्षा के बाद, उस में सफल होने वाले उम्मीदवारोंका इण्टरव्यू करके होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों की भरती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से साधारणतः स्थानीय आधार पर की जाती है । यद्यपि भरती की प्रक्रियाये मोटे तौर पर एक सी ही हैं फिर भी, बैंकों में भरती के लिये निर्धारित आयु, अर्हता और सफलता के स्तर संबंधी नियम तथा चयन-प्रक्रियायें भिन्न-भिन्न हैं ।

बैंकिंग आयोग से अन्य बातो के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि वह बैंकिंग उद्योग में भरती तथा जनशक्ति आयोजन के विषय में समीक्षा करें । आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लिपिक तथा कनिष्ठ अधिकारी दोनो वर्गों के कर्मचारियों की भरती करने के लिये 'राष्ट्रीय बैंकिंग सेवा आयोग' नामक एक सांविधिक सामान्य भरती अधिकरण की स्थापना की जाय, जो सदस्यता कार्य-कलाप, आदि के मामले में संघ लोकसेवा आयोग के ढंग का हो । आयोग ने आयु और अन्य पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा चयन प्रक्रिया सहित भरती को स्रोतो और अर्हताओ के विषय में कुछ समान प्रक्रियायें आपनाने की भी सिफारिश की है ।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम बनाया जा चुका है। शीघ्र ही बैंकिंग सेवा आयोग के गठन के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भरती के लिये मानकित प्रणाली लागू की जायेगी ।

श्री पी० रंगनाथ शिनाय : कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों में बिना विज्ञापन दिये रिक्त पद भर लिये जाते हैं । कुछ अन्य बैंकों द्वारा विज्ञापन तो दिये जाते हैं, परन्तु उन विज्ञापनों की अवहेलना करके रिक्त पद भरे जाते हैं । इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंक को उपयुक्त निदेश देने का कोई प्रस्ताव है कि रिक्त पद विज्ञापन देने के बाद भरे जाये ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक निदेशों तथा सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, वे पहले ही मौजूद हैं । परन्तु यदि किसी बैंक विशेष ने गलती की है, तो हम जांच करेंगे । वास्तव में इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाया है । हम पहले ही मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्री पी० रंगानाथ शिनाय : मैं सरकार का ध्यान कम से कम एक बैंक की ओर दिलाना चाहता हूं। उस बैंक का नाम है सडीकेट बैंक, जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वह किसी भी रिक्त पद के लिये विज्ञापन नहीं देता है।

कुछ बैंकों में लिपिक श्रेणी के पदों पर एस० एल० सी० पास व्यक्तियो की नियुक्तियां की जाती हैं। कुछ अन्य बकों में केवल स्नातकों को ही नियुक्त किया जाता है। केवल वही व्यक्ति परिचारकों के पदों के लिये आवदनपत्र दे सकते हैं, जो एस० एल० सी० में फेल हो गये हों। यदि व एस० एल० सी० पास कर लेते हैं, तो परिचारकों के पदों के लिये आवेदन नहीं दे सकते। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उपयुक्त निदेश दिये हैं ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : राष्ट्रीयकरण से पहले विभिन्न बैंक के भर्तीनियम तथा पंक्रियायें भिन्न भिन्न थी तथा उन्होंने विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिये विभिन्न अर्हताय नियत कर रखी थी। सामानता लाने के लिये हमारा विचार बैंककारी सेवा आयोग बनाने का है, जो कि शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि लिपिक तथा अधिकारी वर्गों के पदों की भर्ती में समानता लाने के लिये यह आयोग उपयुक्त कार्य करेगा। इस बीच जिन निदेशों की जरूरत है, वह पहले ही मौजूद हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि यदि कोई विशेष बैंक उन निदेशों का पालन नहीं करता, तो हम मामल की जांच करेंगे।

Shri K. M. Madhukar : There is no uniform policy in the nationalised banks in the matter of appointments. It has been seen in Bihar that the managerial staff makes appointments to class III and IV posts of the people belonging to their areas. I want to know whether you are going to give instructions that leaving aside class I and Class II posts, in class III and class IV posts only local people are appointed ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : बैंक आयोग की सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक की सलाह से ये निदेश पहले ही दे रखे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ अनियमिततायें हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि कुछ बैंक अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब ये बातें हमारे ध्यान में आती हैं, तो हम उनकी जांच करते हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Appointments are made on the basis of communalism, provincialism and Casteism. It is a Central Subject. There are three banks in my district i. e. the Punjab National Bank, Central Bank and the State Bank. The State Bank is wholly a Government bank and two others are nationalised banks. I want to know whether Government propose to give strick instructions that only local people are appointed to class III and IV post and the appointing authorities should be of such integrity that for them national interest should be the upper most. I want to know the steps proposed to be taken in this direction ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक भर्ती सम्बन्धी निदेशों का सम्बन्ध है अधिकारियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर होती है, तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती क्षेत्रीय आधार पर होती है तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती सामान्यतया रोजगार कार्यालयों के माध्यम से होते हैं। माननीय सदस्यों ने नियुक्तियों के बारे में जिन खामियों का उल्लेख किया है, बैंक कारी सेवा आयोग के कार्य आरम्भ करते ही उन पर ध्यान दिया जायेगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विद्यार्थियों के लिये 'पढ़ो और कमाओ' योजना

*252. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक निगम है, आगामी शैक्षिक वर्ष से प्रथम बार विश्वविद्यालय तथा कालेज के जरूरतमन्द विद्यार्थियों के लिए 'पढ़ो और कमाओ' योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कलिज के विद्यार्थियों ने इस योजना का किस हद तक लाभ उठाया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक 21 विद्यार्थियों ने योजना में भाग लिया है।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether the Government propose to introduce this "earn while you learn" scheme in all the factories of private as well as public sector and whether Government are contemplating to formulate any scheme for given employment to the students of those States in which there are no textile factories in the textile factories located in other States ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बारे में विशिष्ठ प्रश्न है। मैं तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम की योजना सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

Shri Bibhuti Mishra : My question is that as there is no textile millin Bihar, whether the Students belonging to that State will be given an opportunity to have the benefit of the scheme in Gujrat or Bengal or whether the benefit of the scheme will be available to the students belonging to those States only ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह योजना संस्थानो से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम में दो योजनाय हैं। एक योजना दैनिक आधार पर है, जिस में एक छात्र दो घण्टे काम करके 5 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कमा सकता है। इस योजना के लिये लड़कों की सिफारिश उन संस्थाओं के माध्यम से की जाती है, जहां वे शिक्षा-प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्ही लड़कों को लिया जाता है, जो वास्तव में जरूरत मंद हों, तथा इस उद्देश्य के लिये माता-पिता की अधिकतम आय निश्चित की गई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लगभग 20% स्थान प्राप्त होते हैं। दूसरी योजना कमीशन के आधार पर है। जिसमें छात्र गारंटी अथवा नकद राशि जमा करके राष्ट्रीय कपड़ा निगम से कपड़ा ले सकता है, जिस पर उसे बिक्री पर आठ से दस प्रतिशत तक कमीशन मिलता है।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that Scheduled Castes and Scheduled Tribe students get 20 percent, but he made no reference about the rest 80 per cent. There are more than hundred mills under the control of the Government. I want to know whether Government have formulated any scheme on national basis for helping those students in whose State there is no textile mill. Has he given any instructions to N. T.C. in this regard ?

Shri Vishwanath Pratap Singh : There is no question of mill. Wherever there are our sales depot or our sales arrangement, we accept the Students recommended by the institutions where they are studying.

श्री पी० गंगादेव : मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी लागत अन्तर्ग्रस्त है। क्या सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिये राजसहायता देगी और क्या छात्रों को शिक्षा पूरी हो जाने के बाद राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रोजगार दिया जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: यह लागत का प्रश्न नहीं है। योजना के अन्तर्गत छात्र जो विभिन्न संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यदि वे कमाना चाहें तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पाद ले सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं तथा उन्हें कमीशन के आधार पर अथवा दैनिक आधार पर पारिश्रमिक मिलेगा।

श्री पी० जी० मावलंकार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दो योजनाय हैं अथवा दो से अधिक योजनायें हैं और ये योजनायें कब से चल रही हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन योजनाओं का कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में, विशेषतया उन क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें हैं, प्रचार किया जाता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस योजना में केवल 27 लड़कों ने ही भाग क्यों लिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये योजनायें गत दो महीनों से लागू हैं। विभिन्न संस्थानों तथा मैं विश्वविद्यालयों में एक पुस्तिका परिचालित की गई है जिस में इन योजनाओं का ब्यौरा तथा आवदन पत्र दिये हुए हैं।

बोनस के स्थान पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

*255. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर प्रतियोगी सरकारी उपक्रमों के लिये लाभ की राशि का हिस्सा देने हेतु बोनस के बदल में 10 प्रतिशत तक अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने के लिए 1 अक्तूबर, 1975 को सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त तारापुर परमाणु बिजली घर पर भी लागू होते हैं ;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने प्रोत्साहन बोनस को वर्तमान योजना के अन्तर्गत राशि कम करने हेतु पुनरीक्षण के लिये उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर ये निदेश जारी किये थ जिससे तारापुर परमाणु बिजली घर में आय 10 प्रतिशत हो गई ; और

(ग) क्या ऐसे अनुदेशों में उल्लिखित है कि कुल मंजूरी पर अदायगी की वर्तमान पद्धति के बजाय प्रोत्साहन बोनस केवल मूल वेतन पर दिया जाना चाहिए ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) से (ग) सरकारी उदयम कार्यालय द्वारा जारी कये गये मार्गदर्शी सिद्धांत केवल केन्द्रीय सरकारी उदयमों पर ही लागू होते हैं और वे तारापुर परमाणु बिजली घर जैसे विभागीय उपक्रमों पर लागू नहीं होते। इस यूनिट के कर्मचारियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। स्वयं परमाणु ऊर्जा आयोग ने ही विभिन्न क्षेत्रों में परिलब्धियों को युक्ति संगत बनाने के संबंध में सरकार की सामान्य नीति के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने के लिए नीति निर्धारित की है।

श्री राजा कुलकर्णी : यह बहुत अच्छी बात है कि मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय ने वर्तमान बोनस प्रोत्साहन योजना को पुनरीक्षित करने के लिये तारापुर परमाणु बिजली घर को कोई निदेश जारी नहीं किये हैं परन्तु तथ्य यह है कि अधिकारियों ने एकतरफ़ा निर्णय लिया है, जिस का दोष वित्त मंत्रालय पर डाला जा रहा है। मैं एक यूनियन के सलाहकार के रूप में इस से संबंधित हूं। हजारों कर्मचारी हैं तथा एक उत्पादकता बोनस योजना मौजूद है। इस संबंध में एक समझौता हुआ था जिस की अवधि 31 मार्च, 1976 को समाप्त हो गई। 1 अप्रैल, 1976 को राष्ट्रपति की एक घोषणा जारी की गई जिस में बोनस को एकतरफ़ा कम कर दिया गया। । मैं जानना चाहता हूं कि क्या तारापुर परमाणु बिजली घर के प्रबंधकों द्वारा की गई कार्यवाही वित्त मंत्रालय की नीति के संगत है और यदि नहीं तो क्या वित्त मंत्रालय इस की जांच करेगा और उन्हें सलाह देगा कि ऐसा करना उन की नीति के अनुकूल नहीं है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं परमाणु ऊर्जा आयोग के मामलों से परिचित नहीं हूं। वह इन मामलो में वित्त मंत्रालय के क्षत्राधिकार में नहीं हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : क्यों कि ब्यूरो वित्त मंत्रालय के अधीन है अत : सेवा की शर्तों में जो भी परिवर्तन होता है उस के लिये वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। मंत्रालय ने इसे एक विभागीय उपक्रम कहा है न कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभागीय उपक्रम के कर्मचारी औद्योगिक विचार अधिनियम की परिधि में आते हैं ? हम जानना चाहते हैं कि प्रस्तुत : ऐसे उपक्रम में कर्मकार का क्या दर्जा होता है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : शायद श्रम मंत्रालय इस का स्पष्टीकरण कर सके।

नारियल के तेल का आयात

*257. **श्री वरके जार्ज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीलंका से नारियल के तेल का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी मात्रा में आयात किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार ने ऐसा कोई पत्र मिला है जिसमें केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह नारियल के तेल का बिल्कुल आयात न करे ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस समय कोई विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) गोले का तेल आयात करने का फ़िलहाल कोई विचार नहीं है।

श्री वरके जार्ज : माननीय मंत्री ने बताया है कि उन्हें केरल सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें नारियल का तेल आयात न करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है। केरल सरकार के इस प्रकार के अनुरोध का मुख्य कारण हाल में प्रकाशित एक समाचार है जिसमें कहा गया है कि सरकार श्री लंका से भारी मात्रा में नारियल के तेल का आयात करने जा रही है जिसके फ़लस्वरूप केरल में नारियल के भाव काफ़ी गिर गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री द्वारा इस प्र ार के झूठे वक्तव्य का खंडन क्यों नहीं किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गत तीन महीनों में चल रहे मूल्य गत वर्ष के मूल्यों से अधिक हैं। गत वर्ष अगस्त में 'कोचीन रेडी' का मूल्य 793 था; अब यह 875 है। यह 13-8-76 की स्थिति है। गत वर्ष अगस्त में कोज़ीकोड मिलक्लीन का मूल्य 795 था। अब यह 885 है। 'बम्बई व्हाइट' सम्बन्धी आंकड़े क्रमश: 850 और 960 हैं। कलकत्ता-कोचीन सेन्टर का मूल्य गत वर्ष 950 था। अब यह 1020 है। अत: मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि मूल्य गिर गये हैं आयात के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री वरके जार्ज : यद्यपि इस वर्ष मूल्य कुछ अधिक हैं, तथापि अधिक उत्पादन लागत के कारण इस समय चल रहे मूल्य उत्पादकों के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अत: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नारियल के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उत्पादक अधिक उत्पादन लागत को पूरा कर सकें ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमें एक ओर उत्पादकों के हित का और दूसरी ओर उपभोक्ता के हित का ध्यान रखना होता है और सरकार को दोनों के बीच सन्तुलन रखना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न मूल्यों को स्थिर रखने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उपभोक्ताओं के लिये मूल्य बहुत अधिक न हों यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यकतानुसार आयात किया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि मूल्य बहुत अधिक न बढ़ें।

बैंकों के ऋणों और अन्य ऋणों पर ब्याज की दर कम करना

***258. श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने बैंकों के ऋणों और अन्य ऋणों पर ब्याज की दर में कमी करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए ब्याज की दर में कमी करना अभी आवश्यक नहीं माना गया है ?

श्री राम सहाय पाण्डेय : रिजर्व बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों से किस दर पर ब्याज लेता है और केन्द्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक ऋण समितियों से किस दर पर ब्याज लेते हैं ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह 7 से 9 प्रतिशत के बीच है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक कुछ राज्यों में गरीब किसानों से 14 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करता है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : हमारे ध्यान में यह बात आई है परन्तु देश में कई राज्य हैं और रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकों को ऊपरी खर्च कम करने के लिये कहता है। रिज़र्व बैंक सहकारी वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क बनाये हुए है। इससे अधिक कहना मेरे लिये असम्भव है।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ब्याज की वर्तमान दर पर बैंकों से ऋण की काफी मांग है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : स्वभावतः मांग काफ़ी अधिक है। आमतौर पर बैंक यह शिकायत करते हैं कि वे ऋण सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि वर्तमान में विशेष रूप से छोटे किसानों और मध्यम किसानों से सावधिक ऋणों और फ़सल के लिये ऋणों पर ब्याज की दर काफ़ी ऊंची है--कुछ बैंकों में यह 14% तक है; सहकारी केन्द्रीय बैंक केवल 11% वसूल करता है और कुछ मामलों में वे 9% वसूल करते हैं जिसके कारण ऋण अधिक हो जाता है और निजी साहूकारों के कारण छोटे किसानों और कारीगरों को भारी कठिनाई उठानी पड़ती है। ब्याज की दर अधिक होने के कारण छोटे तथा सीमान्त किसान और कारीगर राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण का लाभ नहीं उठा सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अभ्यावेदन के बारे में है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया भी है। आप सारे मामले को पुनः उठा रहे हो। अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री दिनेश जोरदर : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के सदस्यों ने बहुत सी रियायतें और बैंक दर को कम करने की मांग की है ? उन्होंने उत्पाद-शुल्क और निर्यात शुल्क को कम करने की मांग भी की है। कई अन्य रियायतों के लिये भी मांग की है और उनकी अधिकांश मांगों को मान लिया गया है।

माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि वह इस समय बैंक की दर कम नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये रियायतें अन्य तरीकों में दी गई हैं ? बैंक दर को कम न करके उनकी मांग को पूरा करने के लिये क्या आप रियायत देने के लिये अन्य बातों पर विचार करेंगे ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : हम ब्याज की दर कम नहीं कर रहे हैं ?

कपड़े पर मूल्य छापने की योजना

†259. **श्री डी० के० पंडा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े पर मूल्य छापने की योजना 15 जुलाई, 1976 से लागू हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इस समय अनेक किस्मों के कपड़े पर छपे मूल्य 15 जुलाई से पूर्व प्रचलित मूल्यों की तुलना में 30 से 100 प्रतिशत तक अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) समाचार पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि मिलों द्वारा छापी गई अधिकतम खुदरा कीमतें उन कीमतों से ऊंची हैं जिन पर पहले कपड़ा बेचा जाता था । मामले की विस्तार में जांच की जा रही है ।

श्री डी० के० पंडा : यद्यपि नियमित रूप से मूल्य छापने की पद्धति 15 जुलाई को लागू की गई थी, तथापि रिपोर्ट 24 जुलाई, 1976 को ही छपी थी । छपा हुआ मूल्य 15 जुलाई से पूर्व के मूल्य से बहुत अधिक है । उन्होंने उपभोक्ताओ को लूटने के लिये तीन प्रकार के कदम उठाये हैं । स्टेन्डर्ड कपड़े का फरवरी में छपा मूल्य 1.70 रुपये प्रति मीटर था; उसके बाद जून में यह बढकर 2.15 पये हो गया; मूल्य छापने की पद्धति के अनुसार उन्होंने 4.15 रुपये मूल्य छाप दिया । अतः उन्होंने 93 प्रतिशत मूल्य बढा दिया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पद्धति को लागू करने से पूर्व सरकार ने कपड़े की विभिन्न किस्मों के वर्तमान मूल्यों को रिकार्ड किया है ताकि हम मूल्य अधिक छापना रोक सकें या इसका आसानी से पता लगा सकें और अपराधियों को दण्ड दे सकें ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मूल्य छापने की पद्धति 15-7-76 को लागू की गई थी । अतः सही छापने या गलत छापने सम्बन्धी सूचना के बारे में हम आंकड़ों का पता लगाये बिना कुछ नहीं कह सकते । फिर भी ऐसा होने की सम्भावना को देखते हुए सरकार ने व्यापारियों, थोक व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों को छपे मूल्य से अधिक मूल्य पर कपड़ा बेचने से मना करने के लिये अधिसूचनाएं जारी की हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कपड़े की इन किस्मों पर मूल्य छापने की पद्धति नियंत्रित कपड़े जैसी अन्य किस्मों से भिन्न है जिसके लिये उत्पादन लागत का ध्यान न रखते हुए एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया गया है ।

ये किस्में नियन्त्रित कपड़ा योजना के अन्तगत नहीं आती हैं । इसलिए, यह बदली मूल्य तथा भाड़ा मूल्य पर निर्भर करता है क्योंकि बम्बई में परचून में बेचे जाने वाले कपड़े पर जो मूल्य लिखा होता है . . .

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न मुख्य रूप से यह है कि क्या यह सच है कि कपड़े का मूल्य एक रुपया सत्तर पैसे से बढ़ा कर चार रुपए पन्द्रह पैसे कर दिया गया है और यह वृद्धि काफ़ी अधिक है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इसलिए तो मैंने आरम्भ में ही यह कह दिया है कि हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। परन्तु प्रत्याशित रूप से हमने कुछ अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। सिविल सप्लाई और सहकारिता मंत्रालय ने भी इस बात के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में रत पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मैंने यही निवेदन किया है कि भाड़ा मूल्यो में भिन्नता के कारण ही बम्बई में बनाए गए कपड़े को यदि मणिपुर में बेचा जाये तो उसके ऊपर छपा हुआ कपड़े का मूल्य बम्बई में बेचे जाने वाले कपड़े के मूल्य की तुलना में भिन्न होगा। मैं यही तथ्य सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पण्डा। आप एक सीधा प्रश्न पूछिए। आप बहुत ही सम्बद्ध प्रश्न पूछ रहे थे परन्तु आपने उसकी लम्बी चौड़ी पृष्ठभूमि देनी आरम्भ कर दी।

श्री डी० के० पंडा : क्योंकि इसकी "जांच की जा रही है"। मेरे पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह तो कोई उत्तर ही नहीं है। मैंने तो यह पूछा था कि पिछले मूल्य छापने के लिए क्या कार्यवाही की गई है . . .

अध्यक्ष महोदय : वह इसकी जांच करेंगे।

श्री डी० के० पण्डा : क्या सरकार ने कपड़े पर परचून बिक्री मूल्य छापने के लिए विशेष निर्देश जारी कर दिए हैं परन्तु उसके साथ ही मिल द्वारा कारखाना द्वार मूल्य छापने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं क्योकि उनके बिना तो अनियमितताओं का पता लगाना सम्भव नहीं होगा।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले प्रश्न के उत्त र में यह बता चुका हूं कि क्योंकि कच्चे मूल्य तथा बदली मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है इसलिए एक निश्चित काल के लिए समान रूप से मूल्यों का छापना सम्भव नहीं है। इसमें परिवर्तन होता रहता है और यह किस्मे तो नियन्त्रित कपड़ा योजना के अन्तर्गत ही नहीं आती हैं। इसलिए इस उद्योग को लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ अवसर मिल जाता है क्योंकि दूसरी ओर तो उसे हानि ही होती है। टैक्सटाइल आयुक्त (सूती कपड़ा आयुक्त) द्वारा इस मामले के बारे में उद्योग के साथ विचार विमर्श किया गया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कारखाना द्वार मूल्य और परचून मूल्य के अन्तिम स्तर का अन्तर 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री डी० के० पण्डा : मेरा विशिष्ठ प्रश्न यह था कि क्या कारखाना द्वार मूल्य कपड़े पर छापा जायेगा।

प्रो० डी० पी० च ्टोपाध्याय : कारखाना द्वार मूल्यों में कई बार परिवर्तन होता रहता है। फिर भी हम इस सुझाव पर विचार करेंगे और यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि यह कहां तक व्यावहारिक है। हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Nar Singh Narain Pandey : It has been stated by the Minister that the discrepancies in stamping of prices are in his notice. As in the Coarse cloth the price has been increased from 1·70 paisa to 4·15 paisa, I want to know the names of Mills which have done like that and what action has been taken against them ?

Mr. Speaker : He has already said that it will be looked into.

Shri Narsing Narain Pandey: But he can atleast tell about the Mills regarding which he has received information.

Mr. Speaker : He has said that it was implemented just a month back. He will look into it.

Shri Ishaque Sambhali : What he will look into. On the Contrary he is justifying the same.

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

*260. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ; और

(ग) इन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई बैंक नहीं है वहां समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को ग्रामीण ऋण देने हेतु बैंक की शाखायें खोलने के लिए बैंकों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) : 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के 12 सूत्री से बैंकों का सीधा संबंध है । 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक ऋण की व्यवस्था करने के प्रश्न पर राजस्व और बैंकिंग मंत्री द्वारा 24 फरवरी, 1976 को नई दिल्ली में बुलाई गई सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में विचार किया गया था। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को शीघ्र कार्रवाई करनी है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी शाखाओं से स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों के सम्पर्क में रहने को कहें ताकि इस कार्यक्रम के लाभान्वितों को, विशेष रूप से भूमि और मकान के लिए जमीन पाने वालों, बंधन मुक्त मजदूरों, छोटे और सीमांतिक किसानों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को तय किया जा सके और उनकी सहायता की जा सके। इस कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखकर यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक बैंक की अनुवर्ती कार्यवाई की देख रेख बैंक के मुख्य कार्यालय के विशेष कार्यान्वयन कक्ष द्वारा की जानी चाहिए। बैंकों को सलाह दी गई है कि ग्रामीण ऋण की मात्रा में काफी वृद्धि करने के लिए, शाखा प्रबंधकों को, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के शाखा प्रबंधकों को, ऋण मंजूर करने की शक्तियों का पर्याप्त प्रत्यायोजन किया जाय तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किये गये काम का गुणात्मक और परिमाणात्मक मूल्यांकन करें।

(ग) : बैंककारी विनियमन, अधिनियम 1949 की धारा 23 के अनुसार भारत में कारोबार के वास्ते नये कार्यालय खोलने के लिए बैंकिंग कम्पनी को भारतीय रिजर्व बेंक से पूर्वानुमति लेनी होती है। भारतीय रिर्जव बैंक ने तीन वर्षों के शाखा विस्तार की रोलिंग योजनाओं और प्रतिवर्ष की विस्तृत योजनाओं को मंगाने की एक कार्यविधि आरम्भ की है ताकि इन योजनाओं पर एक साथ विचार हो सके। ये योजनाएं बनाते समय बैंक-रहित ग्रामीण और अर्धशहरी स्थानों को अधिक तरजीह दी जाती है।

गिरिधर गोमांगो : वक्तव्य के अनुसार 20 सूत्रों में से 12 सूत्रों में यह उल्लेख है कि बैंकों का मुख्य कार्य दुर्बल वर्ग की सहायता करना है। जहां तक उपभोक्ता ऋणों का सम्बन्ध है, बैंक केवल किसानों की सहायता करते हैं, बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण नहीं दिये जाते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय कोई योजना इस बारे में बनायेगा और बैंकों को निदेश देगा ताकि दुर्बल वर्ग को ऋण मिल सके ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक उपभोक्ता ऋण का सम्बन्ध है, हमने सारी प्रक्रिया पर चर्चा की है और जैसा मैंने सभा में पहले कहा था शिवरामन समिति की सिफारिशों के अनुसार समाज के निम्न वर्ग की आवश्यकताओं के लिए हमें 170 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। हमने यह व्यवस्था की है कि दो तिहाई रुपया सहकारी समितियों से और एक तिहाई कतिपय संगठनों से प्राप्त होंगे जिसके बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया जायेगा।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या उनका मंत्रालय उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने को तैयार है ताकि उस क्षेत्र में भी बैंक ऋण उपलब्ध हो सकें ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : कुछ क्षेत्रीय बैंक वहां पहले ही खोले जा चुके हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Sir, since the introduction of 20 point programme many persons belonging to the weaker sections, harijans and adivasis have been freed from loans but they have not been provided with any alternative source. They have not been able to get loans from nationalised banks. May I know the steps being taken by the Government so that loans could be made available to them?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह ठीक है कि हम समूचे दुर्बल वर्ग, जिसे सहायता की जरूरत है, की पूरी तरह मदद नहीं कर पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रयत्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न।

सोने की तस्करी

*261. **श्री बसन्त साठे** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी गिरावट आने के कारण पाकिस्तान, बंगलादेश तथा नेपाल से काफी मात्रा में सोना तस्करी से देश में लाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) उपलब्ध सूचना से यह मालूम होता है कि सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी गिरावट आ जाने के कारण भारत-बंगला देश और भारत नेपाल सीमाओं पर सोने की तस्करी में शायद ही कोई वृद्धि हुई है। तथापि, गुप्त सूचना रिपोर्टों से ऐसा संकेत मिलता है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान से भारत को सोने का तस्कर-आयात बढने लगा है। इसका मुख्य कारण सोने की तस्करी में लाभ की गुंजाइश का बहुत अधिक होना है।

(ख) सदन-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा गया है।

विवरण

देश में सोने का तस्कर-आयात रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय :—

1. सीमा सुरक्षा दल ने, जो भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं और जो मुख्य तस्करी विरोधी बल है तथा जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत तलाशी लेने, माल पकड़ने तथा हिरासत में लेने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं, गश्त लगाने, घात लगाने और सामान्य निगरानी रखने की अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं।

2. तस्करों, उनके सहयोगियों तथा सहपराधियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, भारत रक्षा नियमों और आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया गया हैं।

3. सीमा शुल्क निवारक तंत्र को सुदृढ किया गया है और गुप्त सूचना व्यवस्था को अधिक सक्रिय बना दिया गया है ताकि और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें।

4. संदिग्ध व्यक्तियों की हरकतों के बारे में तत्काल सूचना देने के लिए सीमाशुल्क विभाग ने हाल में एक बेतार-संचार व्यवस्था कायम की है।

5. तस्करी-विरोधी कार्यों में लगे अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

6. सीमा से अटारी तक रेल लाइन के साथ-साथ तथा आसानी से पार किये जा सकने योग्य स्थलों पर गश्त लगाने की व्यवस्था की गई है।

7. रेल-गाड़ियों तथा मोटर वाहनों की तलाशी तथा अन्य प्रकार के यातायात की जांच की जा रही है।

8. सीमा शुल्क, राज्य पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठकें बार-बार आयोजित की जाती हैं ताकि सूचना का परस्पर आदान प्रदान किया जा सके और तस्करी को रोकने के लिए कारगर उपाय किए जा सकें।

9. तस्करी का मुकाबला करने के लिए भारत-बंगलादेश, सीमा पर निवारक गतिविधियों को तेज कर दिया गया है और सीमा चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। सीमा पर सीमासुरक्षा बल तैनात

है । तस्करी को रोकने के लिए सीमासुरक्षा बल और सीमाशुल्क विभाग द्वारा बहुत अधिक चौकसी बरती जा रही है । इस क्षेत्र में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत तस्कर व्यापारियों को निवारक नजरबन्दी भी की गयी है ।

10. भारत-नेपाल को सम्पूर्ण सीमा के लिए एक अलग सीमाशुल्क समाहर्ता-कार्यालय (निवारक) विद्यमान है । भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय भू-सीमाशुल्क केन्द्रों पर तैनात अधिकारियों को नेपाल में प्रतिपक्षी अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं । सीमाशुल्क समाहर्ता-पटना की नेपाल के महामहिम की सरकार के सीमाशुल्क निदेशक के साथ समय-समय पर बैठकें होती हैं । चलते-फिरते निवारक दल सीमा की गश्त लगाते हैं । सेना के भूतपूर्व सिपाहियों को निवारक कार्यों के लिये बहुत बड़ी संख्या में सिपाही के रुप में भरती किया गया है । निवारक कार्यालयों में पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिये जीपों की व्यवस्था की गई है । विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत तस्कर व्यापारियों की निवारक नजरबन्दी भी की गई है ।

श्री बन्सल साठे : क्या यह सच है कि गुजरात में कुछ विधायक भी तस्करी में लगे हुए हैं ? उन्हें इस अपराध के कारण आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार भी किया गया था । लेकिन अब उन्हें पेरोल पर रिहा कर दिया गया है । क्या मंत्री जी को इस बारे में जानकारी है और सरकार तस्करी रोकने के लिए क्या कर रही है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मुझे इस विशिष्ट मामले का पता नहीं । मैं इस बारे में पता लगाऊंगा

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन जारी किये गये निदशों का पालन किया जाना

*242. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन निदेश जारी किये थे कि समयोपरि भत्ते, खान-पान पर व्यय, यात्रा, भर्ती और पदोन्नति जैसे प्रशासनिक तथा गैर-योजना व्यय में मितव्ययिता का सख्ती से पालन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने भी मितव्ययिता के लिये इन निदेशों का सख्ती से पालन किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जी, हां । भारत पर्यटन विकास निगम को प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशासनिक तथा गैर योजना व्ययों में मितव्ययिता का सख्ती से अनुपालन करने के निदेश जारी किए गए थे ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने सभी डिविजनों/यूनिटों को प्रशासनिक एवं गैर योजना व्ययों में अधिकतम मितव्ययिता बरतने के निदेश जारी किए जा चुके हैं। निगम की परिचालनात्मक आश्यकताओं को प्रभावित किए बगैर विभिन्न मितव्ययिता उपायों को क्रियान्वित करने के प्रयत्न निरन्तर किए जा रहे हैं।

पटसन तथा रुई उत्पादों के निर्यात में कमी

*244. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में पटसन उत्पादों तथा रुई उत्पादों के निर्यात में क्रमशः 30 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की कमी आ जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) अप्रैल से जून, 1975 की अवधि के दौरान सोवियत संघ से किये जाने वाले आयात में 54 प्रतिशत की कमी तथा इसी अवधि में अमरीका से किये गये आयात में 400 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गत 6 महीनों में इन दोनों देशो से किये गये आयात की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (1976–77) के लिये अप्रैल, 1976 के एकमात्र महीने से सम्बन्धित अद्यतन वस्तुवार अधिकारिक आंकड़ों से गत वर्ष की उसी महीने की तुलना में पटसन उत्पादों के निर्यातों के मूल्य में लगभग 27 प्रतिशत की गिरावट का पता लगा। निर्यातों में इस गिरावट का मुख्य कारण था संश्लिष्ट पदार्थों एवं पटसन माल के अन्य उत्पादकों से प्रतियोगिता तथा साथ ही भवन निर्माण उद्योग में मंदी।

तथापि, अप्रैल, 1976 के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यातो में उत्साहवर्धक वृद्धि दिखाई दी। इस महीने के दौरान इस समूह के प्रमुख उत्पादों जैसे मिल-निर्मित सूती थानों में 126 प्रतिशत वृद्धि हुई और सूती परिधानों में लगभग 340 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) अप्रैल-जून, 1975 के दौरान सोवियत संघ से 69.15 करोड़ रु० के भारत के कुल आयातों में पिछले वर्ष की उसी तिमाही में किये गये आयातों की तुलना में लगभग 54 प्रतिशत की कमी आई। उसी अवधि के दौरान अमरीका से 219.22 करोड़ रु० के आयातों में लगभग 326 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयातों में इस बड़े अन्तर का मुख्य कारण यह था कि इन दोनो देशों से गेहूं का आयात किया गया। 1974–75 के पिछले वर्ष सोवियत संघ से दीर्घावधि आधार पर गेहूं प्राप्त किया गया। किन्तु 1975–76 में ऐसे कोई आयात नहीं किये गये। इसके विपरीत, अमरीका से 1975–76 में गेहूं (और उर्वरकों) के भी पर्याप्त आयात किये गये।

तथापि, गेहूं को छोड़कर अप्रैल-जून, 1975 के दौरान सोवियत संघ से जो कुल आयात किये गये वे अप्रैल,जून 1974 के मुकाबले में 14 प्रतिशत अधिक थे और अमरीका से जो आयात किये गये

वे लगभग 47 प्रतिशत अधिक थे। अप्रैल-जून 1975 की अवधि के लिये आयातों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नोक्त प्रकार है :—

आयात

(करोड़ रु०)

	अप्रैल-जून 1975	अप्रैल-जून 1974	1974 के मुकाबले अप्रैल-जून 1975 में प्रतिशत अन्तर
सोवियत संघ			
कुल आयात	69.15	151.49	—54
गेहूं	—	90.88	
गेहूं को छोड़कर कुल आयात . .	69.15	60.61	+14
अमरीका			
कुल आयात	219.22	51.51	+326
गेहूं	147.70	2.73	
गेहूं को छोड़कर कुल आयात . . .	71.52	48.78	+47

(ग) सोवियत संघ के साथ व्यापार दीर्घावधि व्यापार करार के ढांचे के अन्तर्गत किया जाता है जिसके अन्तर्गत वार्षिक व्यापार संलेख पंचांग वर्ष के आधार पर तैयार किये जाते हैं। किसी विशिष्ट अवधि में आयातों अथवा निर्यातों में अन्तर हो सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष के अन्त में भारत के विदेश व्यापार के आंकड़ो में काफी समायोजन किया जाता है। विभिन्न तिमाहियों और छमाही अवधियों में निर्यात व आयात आंकड़ों को बांटने से सही चित्र सामने नहीं आता। तथापि, 1974–75 के मुकाबले 1975–76 के सम्पूर्ण वर्ष के दौरान अमरीका और सोवियत संघ से किये गये समग्र आयातो की स्थिति इस प्रकार रही है :—

1975–76 में सोवियत संघ और अमरीका से हुए आयात

(करोड़ रु०)

	1975–76	1974–75
सोवियत संघ		
कुल आयात	295.76	408.92
गेहूं	—	110.85
कुल आयात (गेहूं को छोड़कर)	295.76	298.07

	1975-76	1974-75
अमरीका		
कुल आयात	1269.92	736.78
गेहूं	830.95	407.47
कुल आयात (गेहूं को छोड़कर)	438.97	329.31

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के कर्मचारियों को नसबन्दी करने के लिए प्रोत्साहन

*246. **श्री अमर सिंह चौधरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने नसबन्दी कराने वाले अपने कर्मचारियों को 200 रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है ;

(ख) उन्हें अन्य क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ; और

(ग) गत एक वर्ष में अब तक कितने कर्मचारी नसबन्दी करा चुके हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य प्रोत्साहनों में निम्नलिखित हैं :—

(i) पूरे खर्चों की प्रतिपूर्ति, बशर्ते कि आपरेशन किसी सरकारी अस्पताल/परिवार नियोजन केन्द्र में किया गया हो।

(ii) 7 से 14 दिनों तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी, जोकि नसबन्दी आपरेशन आदि की प्रकृति पर निर्भर करेगी।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान प्राधिकरण के 27 कर्मचारियों ने नसबन्दी कराई है।

पूर्वी राज्यों में पटसन के मूल्य

*248. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न पूर्वी राज्यों में इस समय कच्चे पटसन के मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पूर्वी राज्यों के महत्वपूर्ण केन्द्रों में कच्चे पटसन की मुख्य किस्मों की प्रचलित बाजार कीमतों को दर्शाने वाला विवरण ।

रु०/प्रति क्विंटल

राज्य	केन्द्र	किस्म	प्रचलित कीमत
असम			
	नोगांग	डब्ल्यू-4	152.00
बिहार	किशनगंज	डब्ल्यू-4	155.00
	मुरलीगंज	डब्ल्यू-4	154.00
उड़ीसा		कोई आमद नहीं	
पश्चिम बंगाल			
	दिनहाटा	डब्ल्यू-4	152.00
	मोइनागुरी	डब्ल्यू-4	155.00
	रायगंज	डब्ल्यू-4	158.00
	सनसी	डब्ल्यू-4	158.00
	करीमपुर	टी० डी०-4	186.00
	बदूरिया	टी० डी०-4	176.00

फारस की खाड़ी के एक देश के जहाज का पकड़ा जाना

*249. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने हाल ही में फारस की खाड़ी के एक देश के जहाज को पकड़ा था; और

(ख) यदि हां; तो पकड़े गये सामान का विवरण तथा मूल्य क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने हाल में ऐसे किसी जहाज को अपने अधिकार में नहीं लिया है जिस पर फारस की खाड़ी के किसी देश का झंडा लहरा रहा हो ।

Export of Leather and Leather Goods by S.T.C.

*250. **Shri G. P. YADAV** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of leather and leather goods exported during 1975-76 by the State Trading Corporation ; and

(b) the foreign exchange earned as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Exports of Leather and leather goods by STC during 1975-76 are estimated at Rs. 158·65 crores (f.o.b.).

(b) Rs. 158·65 crores.

भारतीय पटसन निगम द्वारा मांगी गई धनराशि

†251. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे पटसन के चालू मौसम में पटसन खरीदने के लिये भारतीय पटसन निगम ने कितनी धनराशि मांगी है;

(ख) सरकार ने अब तक वास्तव में कितनी राशि मंजूर की है; और

(ग) मंजूर की गई धनराशि से कितना कच्चा पटसन खरीदे जाने की अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) भारतीय पटसन निगम ने अपने बोर्ड की दिनांक 31 मई, 1976 की बैठक में चालू मौसम के लिए 8 लाख गांठों के खरीद कार्यक्रम की योजना बनाई थी। तथापि; सरकार ने भारतीय पटसन निगम से अनुरोध किया कि वह अपने खरीद कार्यक्रम को कम से कम उपजकर्ताओं को कानूनी न्यूनतम कीमत सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाये। भारतीय पटसन निगम के मल्यांकन के अनुसार 12 लाख गांठो के खरीद कार्यक्रम के लिए 46.23 लाख रुपये तक के ऋण की आवश्यकता होगी। भारतीय पटसन निगम की कीमत समर्थन संबंधी कार्यवाही को वित्तीय रुकावटों के कारण रुकने नहीं दिया जायेगा। शुरू में भारतीय पटसन निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया था कि वह इसकी वर्तमान ऋण सीमा को 24 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दे। इस विषय पर इस समय भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय पटसन निगम के बीच बातचीत चल रही है।

बैंकों द्वारा आयातित उर्वरकों का फालतू भण्डार बनाये जाने के लिये धन दिया जाना

*253. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे आयातित उर्वरकों का फालतू भण्डार बनाने के लिए धन दें; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित उर्वरकों के परिचालनों का सहयोगी (कंसोर्शियम) आधार पर वित्त पोषण करें।

(ख) नकद ऋण सीमा के अन्तर्गत इस खाते में बकाया ऋणों की राशि 2 अगस्त 1976 को 34 करोड़ रुपए थी।

सरकारी वित्तीय संस्थानों को बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता वाले उद्योगों की सहायता में कटौती करने सम्बन्धी निदेश

*254. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी वित्तीय संस्थानों को ऐसे निदेश जारी किये हैं कि उन उद्योगों को, जिनमें उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है अथवा जिनमें क्षमता के बेकार हो जाने की सम्भावना है, वित्तीय सहायता में कटौती की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उनका संक्षेप क्या है और ऐसे उद्योगों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं को उन उद्योगों को अपनी सहायता कम करने के आदेश नही दिये हैं जिनके पास अकर्मण्य क्षमता विद्यमान है अथवा होने की सम्भावना है।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र देने वाली परियोजना की तकनीकी-आर्थिक अर्थक्षमता का मूल्यांकन करने में सरकारी वित्तीय संस्थाएं स्थापित और स्थापित की जाने वाली क्षमता सहित सम्भावित मांग और पूर्ति तथा स्थापित क्षमता के उपयोग का चालू स्तर और उसके कारणों का भी ध्यान रखती हैं। भावी नई क्षमता के बजाये पहिये से स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग को तरजीह दी जाती है।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि

*256. **श्री रघु नन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई और जून, 1976 में भारत की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि में अधिकतम वृद्धि हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में हुई इस वृद्धि को आगामी महीनों में बरकरार रखा जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में मई, 1976 में 267.51 करोड़ रुपए की और जून, 1976 में 139.10 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी, लेकिन ये वृद्धि कोई भारी वृद्धि नहीं है।

(ग) यह कहना मुश्किल है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में आगे भी इतनी ही वृद्धि होती रहेगी; क्योंकि यह मुख्यत: इस बात पर निर्भर करता है कि अत्यावश्यक आयातों और ऋणों की वापसी आदि के लिए की जाने वाली अदायगियों की राशि की तुलना में निर्यात की आमदनी और देश में बाहर से भेजी रकमों में बराबर कितनी वृद्धि होती रहती है।

Opium Doda Dust

1740. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the **Minister of Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) how opium doda dust is utilised at present; and

(b) whether any opium doda dust industries are functioning in Madhya Pradesh ?

The Minister of State In-Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Opium doda dust i.e. lanced poppy capsules in crushed or powdered form is being utilised at present :

(i) In the Indigenous systems of medicine both for Internal use and External application ;

(ii) For manurial purposes ; and

(iii) For export to foreign countries for extraction of alkaloids for medical and scientific use.

(b) The Government has no information about any opium doda dust industries functioning as such in Madhya Pradesh.

Ornaments seized by Income-Tax Officers in Madhya Pradesh]

1741. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Income-tax officers seized ornaments during raids conducted in Madhya Pradesh from January, 1976 to 30th June, 1976; and

(b) if so, the total value thereof ?

The Minister of State In-Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b). During the period Ist January, to 30th June, 1976, ornaments of the value of over Rs. 20.3 lakhs have been seized in the Charges of the Commissioners of Income-tax, Madhya Pradesh, as a result of search and seizure operations conducted by the Income-tax authorities.

राजनैतिक दलों पर आयकर का निर्धारण

1742. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनैतिक दलों पर आयकर का निर्धारण किया गया है;

(ख) यदि हां तो गत दो वर्षों के दौरान उन पर कितना कर निर्धारित किया गया और प्रत्येक ने कितना कर अदा किया;

(ग) क्या उनके द्वारा चुनाव के लिये एकत्रित धन पर भी आय कर लगता है, और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितना कर निर्धारित किया गया और प्रत्येक दल ने कितना कर अदा किया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर यथा सम्भव शीघ्र रखी जाएगी।

रोके गये महंगाई भत्ते का कु भाग छोटी बचत योजनाओं में लगाया जाना

1743. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में रोके गए मजूरी तथा मंहगाई भत्ते की पहली किस्त, जो जुलाई में देय थी, का कम से कम 25 प्रतिशत भाग छोटी बचत योजनाओं में लगाने के लिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कहा गया है ;

(ख) क्या किसानों को भी छोटी बचत में धन लगाने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उत्तरी राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में, जो अल्प बचत अभियान में तेजी लाने के उपायों पर सामान्य रूप से विचार करने के लिए बुलाया गया था, यह निर्णय किया गया था कि देश भर के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों से यह अपील की जाए कि वे रोके गए मंहगाई भत्ते की पहली किस्त की कम से कम 25 प्रतिशत रकम अल्प बचतों में लगाए जिसकी वापसी उन्हें चालू वर्ष में की जायेगी।

(ख) और (ग). इस बैठक में यह भी निर्णय किया गया था कि सहकारी विपणन समितियों/संस्थाओं के द्वारा या किसानों से संबंधित सहकारी बैंकों के माध्यम से सुनियोजित रीति से किसानों तक भी पहुंचना चाहिए और उन्हें अल्प बचतों में रुपया लगाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। सहकारी संस्थाओं/बैंकों को भी एजेंट बनने के लिए और अल्प बचतों में रुपया लगाने के लिए किसानों में भी प्रचार करने के लिए कहा जा रहा है।

प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स फोम के उत्पादन में कमी

1744. **श्री बायालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स फोम के उत्पादन में कमी की मात्रा का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोवालम समुद्री तट पर काटेजों का निर्माण

1745. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवालम समुद्री तट पर सस्ते किराये वाली कुछ काटेजों का निर्माण करने और कुछ अन्य प्रबंध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; जिससे आम जनता भी समुद्र तट का सौन्दर्य देखे और अपना मनोरंजन कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). केरल पर्यटन विकास निगम का कोवालम समुद्रतटीय विकास क्षेत्र में वेल्यूर में मध्य आय वर्ग के पर्यटकों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । प्रारम्भ में, केरल पर्यटन विकास निगम एक रेस्टोरेंट/स्नेक बार तथा कपड़े बदलने के कमरों की सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। एक पर्यटन बंगले के निर्माण-कार्य को बाद में प्रारम्भ किया जाएगा । कोवालम समुद्रतटीय विकास क्षेत्र में मध्य आय वर्ग के पर्यटकों के लिए खान-पान का प्रबंध करने के लिए निजी क्षेत्र में भी काफी होटल बन गए हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय क्षेत्र में कोवालम में सस्ते आवास का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Manufacture of Coloured Sarees on Powerlooms

1746. **Shri Ram Hedaoo** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether in spite of the repeated announcements made by Government, the coloured sarees are still being produced by powerlooms ;

(b) whether the owners of the powerlooms are getting protection from the courts repeatedly which is enabling them to continue the manufacture of coloured sarees on the powerlooms; and

(c) if so, the policy of Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) There have been reports to that effect.

(b) Yes, Sir.

(c) The policy is to enforce the reservation order strictly. Legal measures are being taken to get the stay orders vacated to enable enforcement strictly and thereby prevent the production of coloured sarees by the powerlooms.

ग्रामीण बैंक

1747. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **राजस्व और बैंकिंग विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के सभी राज्यों और संघ क्षेत्रो में से प्रत्येक में कम से कम एक ग्रामीण बैंक की स्थापना किये जाने की संभावित तारीख क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : भारत सरकार कम से कम एक क्षत्रीय ग्रामीण बैंक प्रत्येक राज्य में खोलने को तैयार है । मार्च, 1977 के अन्त तक 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के साथ अधिकांश राज्यो में कम से कम एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जायेगा ।

बैंक ऋणों का विविधीकरण

1748. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**: क्या **राजस्व और बैंकिंग विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक-ऋणों के विविधीकरण में सरकार को कितनी सफलता मिली है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार बैंक ऋण का वितरण और छोटे ऋणकर्ताओं के उत्पादक प्रयासों के लिए ऋण देने में वृद्धि करना, बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है । तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में अपनी निधियों का वितरण करने में गुणात्मक परिवर्तन करने का प्रयास किया है । उनके द्वारा कृषि, छोटे उद्योग, सड़क और जल परिवहन स्वयं नियोजन प्रयासों आदि के उपेक्षित क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों के खाते यहां जून, 1969 के अन्त में, 2.6 लाख ऋणकर्ता खातों में 441 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, वहां वह बढ़कर दिसम्बर, 1975 के अन्त में, 41 लाख ऋणकर्त्ता खातों में 2321 करोड़ रुपये हो गयी। बैंकों ने निर्यात व्यापार, के लिए भी ऋण प्रदान किया है और इस क्षेत्र को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया राशि अप्रेल, 1976 के अन्त में 900 करोड़ रुपये से अधिक थी। बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का भी अधिकाधिक मात्रा में वित्त पोषण किया जा रहा है । अप्रैल, 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी अन्य वसूली अधिकरणों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 1617 करोड़ रुपये थी और अन्य सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/संगठनों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 1200 करोड़ रुपये से अधिक थी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कृषि के लिए ऋण देने में उल्लेखनीय प्रगति की है । इस क्षेत्र को उनके द्वारा दिये गये कुल ऋणों की जो राशि जून, 1969 में, 1.64 लाख ऋणकर्ता खातों में 162 करोड़ रूपये

थी वह बढ़कर दिसम्बर, 1975 के अन्त में, 30 लाख से अधिक खातों में 936 करोड़ रुपये हो गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनी व्याप्ति को बढ़ाने और गांवों को अपनाने, प्राथमिक सहकारी समितियों के वित्त-पोषण कृषक सेवा समितियों की स्थापना आदि के माध्यम से कृषि क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण देने के अपने प्रयासों को बैंकों ने जारी रखा है आशा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से अधिक प्रभावी व्याप्ति करने और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, शिल्पियों और दस्तकारों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में काफी सहायता मिलेगी।

आलीशान फ्लैटों पर छापे मारा जाना

1749. **श्री सोमनाथ चटर्जी राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अधिकारियों ने करापवंचित आय का पता लगाने के लिए गत छह महीनों के दौरान बम्बई, नई दिल्ली और कलकत्ता के कितने आलीशन तथा वैभवशाली फ्लैटों पर छापे मारे थे;

(ख) इन छापो के दौरान नकदी तथा वस्तुओं के रूप में कुल कितनी करापवंचित आय का पता लगाया गया तथा उसे जब्त किया गया ;

(ग) वैभवशाली फ्लैटों को खरीदने तथा बेचने वाले करापवंचकों का कार्य करने का तरीका क्या था ; और

(घ) इन करापवंचकों को दंड देने के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियों से सम्बन्धित आंकड़, आय-कर आयुक्त के अधिकार क्षेत्रवार रखे जाते हैं, नाकि नगर-वार। जिन आलीशान/विलासितापूर्ण फ्लैटों की तलाशी ली गयी है उनके सम्बन्ध में आंकड़े अलग से नही रखे जाते हैं।

31 जुलाई, 1976 को समाप्त हुए पिछले छह महीनों में बबंई सिटी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के आय-कर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों मे तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाहियों की संख्या और उनके परिणामत: पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

आय-कर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र	ली गयी तलाशियों की संख्या	पकड़ी गयी परिसम्पतियों का मूल्य
		(लाख रुपयो में)
बम्बई (सेण्ट्रल सहित) . .	230	338
दिल्ली (सेण्ट्रल सहित) . . .	97	84
कलकत्ता (सेण्ट्रल सहित) . . .	184	236

बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता आदि विभिन्न शहरों में आलीशान इलाकों की बड़ी बड़ी सम्पत्तियों का सर्वेक्षण इस वर्ष जून से पुनः शुरू किया गया है । फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन परिसरो का सर्वेक्षण किया गया है उनकी संख्या और अघोषित परिसम्पत्तियों/उन परिसम्पत्तियों के, जिनके सम्बन्ध में न्यून मूल्यांकन की रिपोर्ट है, अनुमानित मूल्य ये हैं :—

शहर का नाम	सर्वेक्षण किये गये परिसरों की संख्या	अघोषित परिसम्पतियों 'उन परिसम्पत्तियों का मूल्य, जिनके बारे में न्यून मूल्यांकन की रिपोर्ट है
		(लाख रु० में)
बम्बई . . .	280	82.6
दिल्ली	103	60.00
कलकत्ता	40	95.3

कर अपवंचकों द्वारा अपनाये गये तरीके से ऐसा लगता है कि वे अपनी अघोषित आय से परिवार के सदस्यों के नामों में विलासितापूर्ण फ्लेटों को खरीदते-बेंचते रहते हैं और घोषित रकम के अतिरिक्त, प्रतिफल के एक भाग की अदायगी वे नकद करते हैं ।

(घ) कानून के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है, जिसमें दाण्डिक कार्यवाही शुरू करना भी शामिल है । जहां भी आवश्यक प्रतीत होता है, सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XXए के उपबन्धों का सहारा भी लिया जाता है ।

एयर इंडिया की पूर्व को जाने वाली उड़ानें

1750. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम की सरकार ने एयर इण्डिया के विमानों को पूर्व को जाने वाली उड़ानों के लिए अपने देश से होकर जाने की विशेष रूप से अनुमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बारे में कोई बातचीत चल रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) आठ अन्य वाहकों के साथ-साथ एयर इण्डिया को भी, वियतनाम सरकार से उनके वायु क्षेत्र के ऊपर से उड़ान करने की अनुमति प्राप्त हो गयी थी । परन्तु, कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण, थाईलैण्ड तथा हांगकांग के नागर विमानन प्राधिकारियों ने वियतनाम के ऊपर से होकर जाने वाले इस वायु मार्ग की अनुमति नहीं दी । । इन तकनीकी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सम्बन्धित नागर विमानन प्राधिकारियों के बीच विचार-विमर्श पहले ही चल रहा है ।

एयर 'डिया, 'डियन एयर लाइन्स तथा होटलों की विदेशी मुद्रा की आय

1751. **श्री के० लकप्पा:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान पर्यटन से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान एयर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स तथा देश के होटलों को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) विभिन्न स्टार वर्गों में वर्गीकृत होटलों द्वारा अलग-अलग, अर्जित विदेशी मद्रा की राशि क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) वर्ष 1975 के दौरान पर्यटन से 150 करोड़ रुपए से भी अधिक की विदेशी मुद्रा की कुल आय हुई जिसमें एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स की आय भी सम्मिलित है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में एयर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स तथा होटलों की विदेशीमुद्रा की आय का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

करोड़ रुपयों में

एयर इण्डिया (कुल)	25.3
इण्डियन एयर लाइन्स	20.9
होटल	13.3*
पर्यटन से अन्य आय	90.9

*(अनन्तिम)

(ग) विभिन्न स्टार वर्गों के अनुसार होटलों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि उपलब्ध नहीं है।

दमदम में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र

1752. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमदम, कलकत्ते में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उक्त योजना वर्ष 1976 के अन्त तक क्रियान्वित कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). यह फैसला किया गया है कि नये निर्बाध व्यापार / निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। औद्योगिक लाइसेंसिंग, क्षमता उपयोग, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का कार्यान्वयन, विदेशी सहयोग तथा निर्यात उत्पादन के बारे में सरकार की नीतियों में अनेक मूलभूत परिवर्तन हुए हैं जिससे निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तों का पुनर्विलोकन आवश्यक हो गया है।

तिलहन का निर्यात

1753. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में इस वर्ष तिलहन की भरपूर फसल को देखते हुए सरकार ने जापान और यूरोपीय देशों को इसका निर्यात करने की, जहां इसकी मांग है, अनुमति दी है अथवा अनुमति देने का विचार है;

(ख) गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा निर्यात के लिये मासिक अथवा त्रैमासिक निर्धारित कोटा, यदि कोई हो, तो क्या है; और

(ग) इस बारे में उनके मन्त्रालय द्वारा निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त यदि कोई हों, तो क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने 1976-77 के दौरान निर्यात के लिये 2,000 मे० टन तिलहन और 100 मै० टन तिलहन के तेल का कोटा रिलीज किया है। यह कोटा आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, बम्बई की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है और इसका वितरण शत-प्रतिशत साखपत्र प्रस्तुत करने पर जो पहले आयेगा उसको पहले दिया जायेगा कि सिद्धान्त के आधार पर गैर सरकारी व्यापारियों को किया जाता है।

रुग्ण कपड़ा मिलों को गैर-सरकारी प्रबन्धकों को सौंपने का प्रस्ताव

1754. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित रुग्ण कपड़ा मिलों को गर-सरकारी प्रबन्धको को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन ऐसे एककों के नाम क्या हैं जिन्हे गैर-सरकारी प्रबन्धकों को सौंप दिया गया है अथवा सौंपे जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिल्ली स्थित अपनी शाखाओं को निर्देश

1755. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या राजस्व और बैंकिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के नई दिल्ली स्थित स्थानीय मुख्यालय ने दिल्ली और नई दिल्ली स्थित अपनी शाखाओं को इस आशय के निर्देश जारी किये हैं कि वे अपने ग्राहकों/पर्यटकों से

प्राप्त ऐसे सभी अभ्यावेदन और शिकायतें, जिनमें बैंक अधिकारियों द्वारा ब्याज के कम भुगतान किये जाने, पार्टियों को हानि पहुंचाने के लिये एक ही प्रकार के मामलों को अलग-अलग नियमों द्वारा निपटाये जाने तथा अन्य गलतियों के बारे में उल्लेख किया गया हो, फाइल कर दें और शाखा कार्यालय उस पर कोई कार्यवाही न करे; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसके नयी दिल्ली स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय द्वारा अपनी दिल्ली/नई दिल्ली की शाखाओं को ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

सिक्किम में बैंकों का खोला जाना

1756. श्री एस० के० राय : क्या राजस्व और बैंकिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान सिक्किम राज्य में खोले गए बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ख) राज्य में ग्रामीणों को अब तक कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी शून्य।

(ख) हाल ही में स्टेट बैंक आफ सिक्किम ने निर्णय किया है कि कृषि कार्यों के लिए सहकारी समितियों के मार्फत धन दिया जाय और एक ऐसी समिति को अल्पकालिक फसल ऋण के रूप में 0.17 लाख रुपये दिये हैं।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

1757. श्री भोगेन्द्र झा : क्या राजस्व और बैंकिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ब्याज की विभेदकारी दरों पर कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी है; और

(ख) बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास कुल कितने आवेदन-पत्र क्रमश: तीन महीने, छ: महीने और एक वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं और मधुबनी, दरभंगा; समस्तीपुर, सीतामढी, सहरसा और बेगुसराय जिलों में स्थित उनमें से प्रत्येक की शाखाओं में कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) बिहार में विभेदी (डिफरेंशियल) ब्याज-दर योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि मार्च, 1976 के अन्त में 96.55 लाख रुपये थी।

(ख) आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में, विभेदी ब्याज-दर योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास अनिर्णीत पड़े हुए आवेदन पत्रों के आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है।

समुद्री तूफान का पता लगाया जाना

1758. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पास नवीनतम उपकरण होते हुए भी 2 जून, 1976 को पश्चिमी तट पर आये समुद्री तूफान का पता न लगाये जा सकने के क्या कारण हैं; और

(ख) भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख). चक्रवात तूफान का 29 मई, 1976 को "डिप्रेशन" के रूप में इसके प्रारम्भ होने के स्थान से ही पता लगा लिया गया था। विभिन्न तकनीकों तथा उपकरणों का प्रयोग करके इस पर लगातार निगरानी रखी गयी। 31 मई, 1976 के अपराह्न से आकाशवाणी से विशेष मौसम चेतावनियां जारी की गयीं।

माल डिब्बों और चल-स्टाक की सप्लाई के लिये विदेशों से करार

1759. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल माल डिब्बों और अन्य चल-स्टाक की सप्लाई के लिये अन्य देशों के साथ वर्तमान करारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य देश में रेल लाइनें बिछाने के लिये भी समझौते हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) रेल-माल-डिब्बों और अन्य चल-स्टाक की सप्लाई के लिये अन्य देशों के साथ वर्तमान संविदाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	देश	क्रयादेश में माल डिब्बों की संख्या	पहले ही डिलीवर किये जा चुके माल डिब्बों की संख्या	डिलीवर किये जाने वाले माल डिब्बों की संख्या
1.	ईरान . .	492	306	186
2.	युगोस्लाविया .	1300	1245	55
3.	बंगला देश .	500	497	3

क्रमांक देश	क्रियादेश में माल डिब्बों की संख्या	पहले ही डिलीवर किये जा चुके माल डिब्बों की संख्या	डलीवर किय जाने वाले माल डिब्बों की संख्या
4. जाम्बिया .	30	—	30
5. तंजानिया .	30	—	30
6. श्री लंका .	30	—	30
7. तंजानिया .	17 सवारी डिब्बे 15 डीजल इंजन एवं फालतू पुर्जे 5 भाप के इंजन तथा फालतू पुर्जे।	शून्य 6 डीजल इंजन तथा फालतू पुर्जे शून्य	17 सवारी डिब्बे 9 डीजल इंजन तथा फालतू पुर्जे। 5 भाप के इंजन तथा फालतू पुर्जे।

सरकारी वाहनों की पैट्रोल की खपत की अधिकतम सीमा नियत करने का प्रस्ताव

1760. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर बचत के रूप में विभिन्न विभागों/कार्यालयों को आवंटित वाहनों द्वारा पट्रोल की खपत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) . सरकारी वाहनों दवारा पैट्रोल की खपत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश 1973 में पहल ही जारी किए जा चुके हैं। इन अनुदेशों की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) स्टाफ़ कार नियमों के उपबन्धों को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई के साथ लागू करने के अलावा मंत्रालयों को, स्टाफ़ कारों और अन्य विभागीय वाहनों में, जिनका प्रयोग परिचालन प्रयोजनों अथवा क्षेत्र कार्यों के लिए न किया जाता हो, पैट्रोल की खपत को एक पूरे वर्ष में 1972–73 के दौरान खपाई गई मात्रा के 75 प्रतिशत तक सीमित रखने के अनुदेश दिए गए थे। परन्तु, 1973–74 के दौरान खपत को 85 प्रतिशत तक सीमित रखा गया था क्योंकि यह प्रतिबन्ध केवल वर्ष के केवल एक हिस्से पर ही लागू होता था।

(2) प्रत्येक मंत्री और उसके वैयक्तिक कर्मचारियों की सरकारी यात्राओं के सम्बन्ध में स्टाफ कारो दवारा प्रत्येक तिमाही में अधिक से अधिक 900 लीटर तक पैट्रोल की खपत सरकारी मानी जाएगी और इस सीमा से अधिक पैट्रोल क खपत को गैर-सरकारी प्रयोजनों के रूप में माना जाता है तथा उसका भुगतान मंत्री द्वारा किया जाना होता है।

पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन

1761. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चाय का प्रति हेक्टेयर उत्पादन आसाम की तुलना में लगभग 100 किलो कम है ;

(ख) क्या चाय उद्योग में उत्तरोत्तर अपविकास का कारण यह है कि बहुत से चाय बागान ऐसे व्यक्तियों द्वारा खरीदे गये हैं जिन्हें चाय उद्योग का कोई ज्ञान नहीं है और उत्पादिता बढ़ाने के लिये कोई पूंजी निवेश नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । असम तथा पश्चिम बंगाल में चाय की उपज दर में अन्तर, सामान्यतः वृषि जलवायु, सम्बन्धी परिस्थितियों के कारण होता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) चाय बोर्ड की विकास सम्बन्धी योजनाएं, अर्थात चाय बागान वित्तपोषण योजना तथा पुनर्रोपण उपदान योजना, नये क्षेत्रों का विस्तार करने तथा/अथवा पुनर्रोपण करने/पुराने क्षेत्रों के प्रतिस्थापन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं । चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना, कारखानों के आधुनिकीकरण अथवा विद्यमान कारखानों के विस्तार में मदद देती है । ये योजनाएं संयुक्त रूप से न केवल उत्पादन बढ़ाने में अपितु चाय की क्वालिटी सुधारने में भी मदद करती हैं । हाल ही में पुनर्रोपण उपदान योजना में संशोधन करके उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में अन्तर्रोपण सहित अथवा उसके बिना कटाई-छटाई करके नवीकरण को शामिल कर लिया गया है । यह योजना बढ़िया किस्मों की चाय का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करेगी ।

विदेशी ब्रांड का नाम

1762. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन विदेशी कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अनुसार विदेशी ब्रांड को भारतीय ब्रांड में बदल लिया है ; और

(ख) विशेषतः उपभोक्ता उत्पादों में ऐसे विदेशी ब्रांडो के नाम क्या हैं ; और जो अभी तक नहीं बदले गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 में व्यवस्था है कि कोई भी गर-आवासी अथवा कम्पनी अथवा विदेशी भारतीय कम्पनी जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक शेयर गैर-आवासियों के शेयर हैं भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ के लिए किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी को कोई ट्रेड मार्क

के प्रयोग की अनुमति नहीं देगी। यह अनुमति जहां उचित होती है दी जाती अन्यथा रोक ली जाती है। लेकिन इस धारा में विदेशी ब्रांड के नामों को भारतीय ब्रांड के नामों में बदलने की विशेषरूप से अपेक्षा नहीं की गई है।

यात्री डिब्बों का निर्यात

1763. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में प्रत्येक देश को कितने यात्री डिब्बे निर्यात किये गये ;

(ख) उक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) यात्री-डिब्बों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) . चालू वर्ष के दौरान अब तक रेलवे यात्री डिब्बों का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) विभिन्न देशों को यात्री डिब्बों के निर्यात के लिये गहन प्रयत्न किये जा रहे हैं। विभिन्न देशों की रेलवे विकास योजनाओं का अध्ययन किया गया है तथा दूतावासों, राज्य व्यापार निगम के विदेश स्थित कार्यालयों तथा एजेंटों के माध्यम से उनके साथ सम्पर्क स्थापित किये गये हैं।

बुनकरों के लिये विकास योजना

1764. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 42 स्थानों पर बुनकरों की जरूरतें पूरी करने हेतु 12 राज्यों के लिये गहन विकास योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये किन-किन राज्यों और स्थानों को चुना गया है ;

(ग) प्रत्येक स्थान के लिये तैयार की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) प्रत्येक स्थान के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) से (घ) : केन्द्रीय सरकार ने, भारत के विभिन्न भागों में 17 गहन विकास परियोजनाएं तथा 19 निर्यात उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने का अनुमोदन किया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन परियोजनाओं के राज्य तथा स्थान दर्शाये गये हैं। [**न्यालय में रखा गया देखिए** संख्या एल० टी०-11258/76] गहन विकास परियोजना में 10,000 हथकरघे तथा निर्यात उत्पादन परियोजना में 1000 हथकरघे कवर होंगे। संस्थागत वित्त को छोड़कर गहन विकास परियोजना पर 1.85 करोड़ रु० तथा निर्यात उत्पादन परियोजना पर 40 लाख रु० व्यय होगा। गहन विकास परियोजना के लिये केन्द्र का अंशदान 1.20 करोड़ रु० होगा और बाकी 65 लाख रु० की राशि संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। निर्यात उत्पादन परियोजना पर 40 लाख रु० का सम्पूर्ण

व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन परियोजनाओं के मूल उद्देश्य ये हैं : हथकरघों का आधुनिकीकरण, बुनकरों को प्रशिक्षण, प्रोसेसिंग सुविधाएं देना, कच्चे माल के बैंक की व्यवस्था, तयार उत्पादों के विपणन के लिये व्यवस्थाएं तथा हथकरघा बुनकरों की उत्पादन क्षमता तथा मजदूरी स्तरों में सुधार लाना ।

हाथी दाँत उद्योग में कच्चे माल की कमी

1765. **चौधरी नीतिराज सिंह :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी दांत का काम करने वाले कर्मचारी कच्चे माल की कमी के कारण अपना काम छोड़कर अन्य कार्य करने का विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सम्भव है कि हाथी दांत का काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को कच्चा माल हासिल करने में कठिनाई महसूस हुई हो ?

(ख) कच्चे माल की कमी का एक कारण कच्चे हाथीदांत की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में भारी वृद्धि है। निर्यातकों को हाथीदांत के उत्पादों के निर्यातों के आधार पर कच्चे हाथीदांत के रूप में उदार आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है। कच्चे माल की वास्तविक प्राप्यता हाथीदांत के उत्पादों की निर्यात के लिये मांग की स्थिति पर निर्भर है। हाथी दांत के उत्पादों के निर्यात के लिये मुक्त रूप से अनुमति है लेकिन कभी-कभार उन्हें आयातक देशों के प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ता है। निर्यात व्यापार का विकास तथा सहज प्रवाह सुकर बनाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर उपाय किये जाते हैं जो शिल्पियो को रोजगार में बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है।

Purchase of Cotton by National Textile Corporation

1766. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3926 on 14th May, 1976 regarding purchase of cotton by National Textile Corporation and state whether the entire information asked for in the aforesaid question has since been collected ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Partap Singh) : Information about purchase of cotton by 94 out of the NTC mills which were working from various firms in Madhya Pradesh during the years 1973-75 has already been collected. Collection and collation of information firm-wise is not commensurate with the volume of work involved—already the information collected covers more than 200 sheets of paper. The synopsis of the information is as under :—

(i) Purchases of cotton from firms in Madhya Pradesh during the years 1973-75 were 2,42,851 bales and 13,331 bags of varying weights.

(ii) Payments in respect of 2,42,851 bales were made as under :—

75% within 3 months, 14% within 3 to 6 months, 4% within 6 to 9 months, 4% wihin 9 to 12 months and 3% more than 12 months—but no payment is pending.

(iii) Payments in respect of 13,331 bags have been made as under :—

83% within 3 months, 10% 3 to 6 months, 3% 6 to 9 months, 4% more than 9 months, but no payment is pending.

2. Payments in respect of the remaining 3 mills also would have been covered by one range of period or the other.

Survey for Foreign Markets to promote Foreign Trade

1767. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a survey of foreign markets during the past one year in order to promote foreign trade; and

(b) if so, the main features there of and the countries to which Indian teams were sent in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Paratap Singh) : (a) and (b). Market surveys abroad are not ordinarily conducted directly by the Government. However, the details of the market surveys conducted by the Indian Institute of Foreign Trade and the Trade Development Authority are given below :

(1) *Indian Institute of Foreign Trade* :

(i) Survey of the prospects of trade expansion and economic cooperation between India and Czechoslovakia and Hungry.

(ii) Market survey for select labour-intensive engineering items in the U.S.A.

(iii) Study of prospects for trade expansion and economic cooperation with Mexico and Brazil.

(iv) Market survey on Jute Manufacturers in USA, France, Belgium and Spain.

(v) Market survey of select engineering products in Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore and Phillippines.

(vi) Market survey on gelatine and ossein in U.K., France, Benelux and Federal Republic of Germany.

(vii) Study on export development of paints, varnish, dyes and dye intermediates under the Generalised System of Preferences in Belgium, Federal Republic of Germany and Sweden.

(2) *Trade Development Authority* :

(i) Survey for plastic products in Canada.

(ii) Survey for electronics in Canada.

(iii) Survey for toys and dolls in Finland.

(iv) Survey for wooden furniture in Norway.

(v) Survey for domestic electrical appliances in Finland and Norway.

(vi) Survey for processed foods in Belgium and Luxembourg.

(vii) Survey for handloom household furnishings in Belgium and Luxembourg.

(viii) Survey for leather products in Denmark.

Apart from the above, an Export Market Development Study for selected Indian products in Argentina, Colombia and Peru was also got done by a firm of management consultants, with assistance from the Commonwealth Fund for Technical Cooperation.

Export Promotion Councils etc. have also been sending sales-*cum*-study teams etc. to various countries from time to time. These teams also study the market in those countries for the producs with which they are concerned.

गुजरात में औद्योगिक एककों के आयात लाइसेंस अस्वीकृत किया जाना

1768. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० कारिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के कितने औद्योगिक एककों के आयात लाइसेंस वर्ष 1975–76 में अस्वीकृत किये गये ; और

(ख) उनके अस्वीकृत किये जाने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 729.

(ख) वे आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये थे जो वर्ष 1975–76 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति वाल्यूम 1 तथा 2 में प्रकाशित, समय-समय पर यथासंशोधित आयात नीति के अनुसार नहीं थे, इन आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किये जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :

(1) प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा आवेदन-पत्रों की सिफ़ारिश नहीं की गई थी ।

(2) आयातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनपत्र अधूरे थे ।

(3) आयात की मदों का स्वदेश में उपलब्ध होना आदि ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मूल्य अधिमान

1769. **श्री नरेन्द्र कुमार सांवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य अधिमान, जो अब तक सरकारी विभागो को की गई सप्लाई के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जा रहा था, इस बीच बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या सरकारी विभागों को भी अत्यन्त प्रतियोगी स्रोतो से अपनी खरीद करने की छूट दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य अधिमान के रूप में दी जा रही राजसहायता बन्द करने से सरकार को कितनी बचत हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकारी विभाग बहुत ही प्रतियोगी स्रोतों से माल खरीदने के लिए सदैव स्वतन्त्र रहे हैं । फिर भी, चूंकि सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश समग्र रूप से राष्ट्रीय नीति के आधार पर किया जाता है और उपक्रमों की आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना जरूरी है इसलिए मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह कहा गया है कि वे जहां तक हो सके अपना ज्यादातर सामान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ही खरीदा करें, बशर्ते कि वह अपेक्षित किस्म का हो और

आवश्यकतानुसार समय पर सुलभ कर दिया जाये। ऐसे मामलों में कीमतें आपस में मिलकर तय की जा सकती हैं लेकिन सामान्यतः वे सबसे कम कथित मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों द्वारा व्यापार का समापन

1770. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों को भारत में अपने व्यापार का समापन करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन जिन कम्पनियों को अपना काम बन्द करने के लिए कहा गया है ऐसी उन्नीस कम्पनियों की एक सूची संलग्न है। यह उचित नहीं समझा गया कि इन्हें इन क्षेत्रों जैसे शेयरों में पूंजी लगाने अथवा सम्पत्ति खरीदने जैसे कार्यों के लिए अनुमति दी जाये। कुछेक मामलों में कम्पनियां निष्क्रिय थीं और इसलिए उन्हें अपना कारबार बन्द करने के लिए कहा गया था।

विवरण

1. प्लाइवुड प्राडक्ट्स, सीतापुर
2. वालेस एण्ड कं०, बम्बई
3. ब्रेको रोपवेस लि०, बम्बई
4. मार्शल्स (डायरेक्शन) प्रा० लि०, कलकत्ता
5. लि नोत्रे (इस्टर्न) प्रा० लि०, बम्बई
6. प्लीसी आटोमैटिक टेलीफोन एण्ड इलेक्ट्रिक कं०, बम्बई
7. मानट्रियल इंजीनियरिंग (इं०) लि०
8. शिकागो ब्रिज एण्ड आयरन कं०; बम्बई
9. कोलम्बिया ग्रामाफोन कं०, कलकत्ता
10. कोर्टल्ड्स (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई
11. इंडियन टेक्सटाइल इंजीनियर्स प्रा० लि०; बम्बई
12. जान बिथ ऐण्ड ब्रदर लि०, बम्बई
13. वार्नर लैम्बार्ट कं०, बम्बई
14. केसर इंजीनियरिंग ओवरसीज कारपोरेशन, नई दिल्ली

15. सैन्ट्रल गल्फ लाइन्स एजेन्सीज (इं०) लि०, बम्बई
16. मिशेलिन टायर इंडिया प्रा० लि०, बम्बई
17. एफ० एफ० क्रिस्टीन ऐण्ड कं० लि०, बम्बई
18. बिय (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई
19. बाईकर्स इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली

हौजरी उद्योग के लिये स्पिनिंग मिल

1771. **श्री भाऊ साहेब धमनकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अलग से हौजरी उद्योग के लिये एक स्पिनिंग मिल की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगी अथवा सहकारी क्षेत्र में और यह कहां पर लगाई जायेगी;

(ग) क्या घरेलू मार्किट की उपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उद्योग के विकास हेतु कोई निर्धारण किया गया है जिससे कि आम लोगों को उत्पाद आसानी से मिल सके; और

(घ) क्या उत्पादों के लिय निर्यात संभावना की खोज की गई है और भावी पांच वर्षों में पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने के लिये दीर्घावधि निर्यात कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उद्योग का आधुनिकीकरण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उत्पाद आम लोगों को आसानी से मिल सकें।

(घ) जी हां। ऊनी निटवियर के निर्यात की अच्छी गुंजाइश है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 45 करोड़ रुपये का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

"Books of Account" Prescribed by Income-Tax Department

1772. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the Income-tax Department has prescribed "books of account" on the basis of which persons with an income of more than Rs. 25,000 per annum will have to maintain their own accounts; and

(b) if so, from what date ?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue and Bankin (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No, sir.

(b) Does not arise.

भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठित बोर्ड

1773. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत पर्यटन विकास निगम के पुनर्गठित बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा उनका दर्जा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

1.	लेफ्टि० जनरल जे० टी० सतारावाला	कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
2.	बेगम अली यावर जंगा, राज भवन, बम्बई।	निदेशक
3.	श्री एन० एच० दस्तूर, उप प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया, बम्बई।	निदेशक
4.	श्री एस० के० कुका, अध्यक्ष एयर इंडिया चार्टर्स लि०, बम्बई।	निदेशक
5.	श्री बादल राय; संयुक्त सचिव (वित्त) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक
6.	श्री बी० एस० गिडवानी; अपर महानिदेशक (पर्यटन), पर्यटन विभाग।	निदेशक
7.	श्री एच० एस० वाहाली, संयुक्त सचिव एवं नयाचार प्रमुख, विदेश मंत्रालय।	निदेशक।

कलकत्ता प्रभाग में जीवन बीमा निगम की पालिसियों का 'सरेण्डर' किया जाना

1774. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री डी० के० पण्डा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जीवन बीमा निगम के कलकत्ता प्रभाग में इस वर्ष जून से बहुत बड़ी संख्या में इंशोरेंस पालिसियां "सरैण्डर" की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) नीचे दिये गये मासिक आंकड़ों से जैसा कि पता चलता है कलकत्ता डिविजनल कार्यालय में जितनी पालिसियां वापस की गईं उनमें बीमे की रकम जून 1976 में सब से कम थी।

महीना (1976)	वापस की गई पालिसियों की संख्या	बीमे की रकम (लाख रुपए)
जनवरी . . .	1550	97.64
फरवरी . . .	1443	90.16
मार्च . . .	1774	95.54
अप्रैल . . .	1605	96.14
मई	1440	83.49
जून	1443	80.76

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का भारतीयकरण

1775. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के भारतीयकरण के बारे में 26 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1415 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपनी गतिविधियों को चालू रखने की अनुमति के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29(2)(क) के अन्तर्गत दिये गये आवेदन पत्र की जांच के दौरान भी निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया और कर अपवंचन के संबंध में विभिन्न अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों पर क्या विचार किया गया है तथा उपर्युक्त आवेदन पत्र पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की विदेशी इक्विटी पूंजी

1776. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने वर्ष 1974 और 1975 के दौरान अपनी मुख्य कंपनी यूनिलीवर, लंदन को लाभांश के रूप में कितनी धनराशि भेजी है;

(ख) इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसार विदेशी साम्यपूंजी को 85 प्रतिशत से कम कर के 40 प्रतिशत कर देने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के निम्न प्रौद्योगिकी अधिक लाभ हमारी अर्थव्यवस्था के भारी खपत वाले क्षेत्र में कार्यरत होने को ध्यान में रखते हुए हमारे देश से बहुमूल्य मुद्रा की निकासी रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाभांश के रूप में निम्नलिखित रकम भेजने की अनुमति दी गई थी :—

1974	100 लाख रुपए
1975	71.34 लाख रुपए

(ख) और (ग). कम्पनी ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक आवेदनपत्र दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है और इस पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के प्रशासन के लिए जारी किये गये निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय किया जायेगा। कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार विदेशी शेयर पूंजी कम करनी होगी। निर्देशक सिद्धान्तों पर अमल करने से राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित हो जायेगी।

Festival Advance to Government Employees

1777. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K.M. Madhukar :

Will the Minister of **Finance** be pleased of state :

(a) whether the General Insurance Corporation grants, once a year, to its employees an interest-free festival advance equal to one month's gross salary of an employees or Rs. 400 whichever is less; and

(b) if so, whether Government propose to make a provision for such a festival advance to the employees working in the Railways and other departments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the orders in force a Central Government employees, who is in receipt of pay not exceeding Rs. 600 in the revised scales, is entitled to a festival advance restricted to Rs. 100/- only, once in a calendar year.

A proposal for increasing the existing qantum of advances granted of Central Government employees for certain purposes including festival advance, was considered at a recent meeting of the National Council of the Joint Consultative Machinery. The issue has been remitted to a Committee of the Council.

बम्बई में नायलोन यार्न स्पिनर्स द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

1778. **श्री हरी सिंह** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में पता लगाया है कि बम्बई में नायलोन यार्न के प्रमुख स्पिनर्स उत्पाद शुल्क का अपवंचन करने के लिए लेखों में घोटाला कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पाद शुल्क विभाग ने इस गिरोह के बारे में क्या पता लगाया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). बम्बई के नायलोन धागे कातने वालों द्वारा, लेखाओं में हेरा-फेरी के जरिए उत्पादन शुल्क की चोरी के कोई मामले सरकार की जानकारी में नहीं आये हैं।

तथापि, बम्बई केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों ने कुछ ऐसे मामलों का पता लगाया जिनमें क्रिम्प्ड नायलोन यार्न (टेक्श्चर्ड स्ट्रैच यार्न) के निर्माताओं ने लगभग 39,733 रुपये के उत्पादन-शुल्क की चोरी करने के निमित्त लेखाओं में हेरा-फेरी की। इन मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

Schemes in collabortaion with West Germany

1779. Shri C.K. Chandrappan :

Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Finance** be pleased to stae :

(a) whether the officials of the finance Ministry went to West Germany to carry on further talks regarding collaboration schemes with West Germany ;

(b) if so, the results of this visit ; and

(c) the number of schemes to be undertaken in collaboration with that country and what would be the total investment by West Germany ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को परामर्शदाता सेवाओं के लिये प्राप्त आर्डर

1780. श्री आर० के० सिन्हा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को विदेशों में परामर्शदाता सेवाओं तथा विमान पत्तन निर्माण के लिये आर्डर प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां पर किस प्रकार के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख): भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने लीबिया सरकार से हवाई अड्डा बनाने का एक ठेका प्राप्त किया है। यह ठेका 126.9 लाख लीबियायी दीनारों के मूल्य का है (जो लगभग 36 करोड़ रुपयों के बराबर बैठता है) जिसमें मुख्य एवं गौण धावन पंथों, एक समानान्तर टैक्सी पथ तथा दो एप्रनों आदि का निर्माण कार्य सम्मिलित है। इस परियोजना के निर्माण में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का निर्माण सहयोगी है।

Udaipur Aerodrome

1781. **Shri Lalji Bhai :**

Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1899 on the 2nd April 1976 regarding Udaipur aerodrome and state :

(a) the reasons for which the contractor who had been awarded the work of development of Udaipur aerodrome had abandoned the contract after completing 30 per cent of the work ; and

(b) the action taken against the contractor for leaving the work ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Shri Raj Bahadur) : (a) The progress of the work of extension of runway awarded to the contractor was extremely slow inspite of repeated warnings given to him, which indicated that he had no intention to complete the work. The contract was, therefore, rescinded after serving a final notice on the contractor.

(b) Action under the relevant clauses of the contract agreement has been taken against the defaulting contractor, by forefeiting his security deposit and by levying 10% compensation. In addition, it is proposed to recover the extra cost involved in getting the remaining work done by another contractor from the dues of the defaulting contractor.

रुग्ण चाय बागान

1782. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार रुग्ण चाय बागानों को सक्षम बनाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये सुझाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). एक रुग्ण चाय बागान की सम्भावित सक्षमता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो चाय (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 16(ख) के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ गठित किये जाने वाले जांच अभिकरण द्वारा उसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा । उसके बाद उपर्युक्त अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षित उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

Trade Agreement between India and Afghanistan,

1783. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether a new import and export trade agreement has been reached between India and Afghanistan; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रुपये का मूल्य

1784. श्री शंकर राव सावन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में रुपये के मूल्य में कब-कब और कितनी वृद्धि की गई और प्रमुख करेंसियों की तुलना में इसका वर्तमान मूल्य क्या है ;

(ख) रुपये के मूल्य बढ़ाने का भारत के निर्यात और आयात व्यापार, भारत के व्यापार संतुलन तथा भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षणों पर क्या प्रभाव हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में रिजर्व बैंक ने रुपये की विनिमय दर में जो वृद्धियां की थीं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

तारीख	पौंड स्टर्लिंग सौ रुपये खरीद बिक्री		मध्य दर प्रति पौंड स्टर्लिंग रुपये
1975-76			
2 जुलाई, 1975	5.3907	5.3619	18.60
25 सितम्बर, 1975	5.4769	5.4471	18.3084
5 दिसम्बर, 1975	5.5315	5.5010	18.1284
8 मार्च, 1976	5.6497	5.6180	17.75
11 मार्च, 1976	5.8140	5.7803	17.25
1976-77			
3 अप्रैल, 1976	5.9347	5.8997	16.90
23 अप्रैल, 1976	6.0790	6.0423	16.50
29 मई, 1976	6.2696	6.2305	16.00

अत: जुलाई, 1972 और 11 मार्च, 1976 के बीच पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना मेंल गभग 9 प्रतिशत की और 11 मार्च, 1976 तथा 29 मई, 1976 के बीच 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य मुद्राओं के सम्बन्ध में "क्रास" दरें उन मुद्राओं की पौण्ड स्टर्लिंग के रूप में दरों के

अनुसार आंकी जाती हैं। जुलाई, 1976 के अन्त में अन्य मुख्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की दरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विदेशी मुद्रा प्रति यूनिट	रुपये
अमरीकी डालर	8.969
फ्रांसीसी फ्रांक	1.824
ड्यूश मार्क	3.526
स्विस फ्रांक	3.615
इतालवी लीरा	0.0107
जापानी येन	0.0306

(ख) यह बताना मुश्किल है कि हमारे रुपये की विनियम दर में किये गये इन परिवर्तनों का ठीक-ठीक कितना प्रभाव पड़ा है। अब कुछ देशों से मंगायी जाने वाली वस्तुएं पहले से सस्ती पड़ती हैं; विदेशी मुद्रा प्रारक्षित कोष की स्थिति बेहतर है और निर्यात में वृद्धि हो रही है।

पर्यटक स्थलों का गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा विकास

1786. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटक महत्व के स्थलों पर गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा पर्यटक स्थलों के विकास को अनुमति देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन पर्यटन उद्यमों के प्रवर्तकों को पर्यटन के लिये पूंजी निवेश और प्रचार संवर्धन तथा आधारढांचे एवं अतिरिक्त ढांचे के विकास के लिये क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पर्यटन प्रवर्तकों तथा जन भावना वाले नागरिकों की ओर से इस बारे में पूंजी निवेश प्रस्तावों पर प्रत्याभूति देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) निर्धारित क्षेत्र विभाग विनियमों को पूरा करने की हालत में, निजी उद्यमी भी देश में पर्यटन महत्व के किसी स्थान का पर्यटन विहारस्थल के रूप में विकास करने के लिये स्वतंत्र हैं।

(ख) निजी क्षेत्र को होटल बनाने के लिये विभिन्न प्रोत्साहनों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि वित्तीय राहत, संस्थागत ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार, आदि ।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा में नये होटलों को उत्साहित करने का प्रस्ताव

1787. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार का विचार उड़ीसा में, विशेषकर पुरी, गोपालपुर और भुवनेश्वर में, नये होटलों को उत्साहित करने का है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) : पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिये उपयुक्तता की दृष्टि से होटलों का केवल अनुमोदन करता है और इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्धारित सेवा और सुविधाओं के न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले सभी होटल अनुमोदन-प्राप्ति के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

(ख) अनुमोदित होटलों के लिये जो सहायता उपलब्ध है उसमें विदेशों में विज्ञापन प्रचार, बिक्री, प्रोत्साहन, तथा आवश्यक उपकरण एवं सामान के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन शामिल है । निर्धारित शर्तों को पूरा करने की हालत में, अनुमोदित होटलों को आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कुछ कर रियायत भी मिल सकती हैं ।

विमान चालकों तथा विमान रखरखाव इंजीनियरों को दिया गया प्रशिक्षण

1788. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशों के विमान चालकों तथा विमान रखरखाव इंजीनियरों को प्रशिक्षण दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) नेपाल, तंजानिया, जाम्बिया तथा अफ़गानिस्तान ।

उत्पादन-शुल्क में छूट

1789. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में कतिपय वस्तुओं के मामले में घोषित उत्पादन-शुल्क में छूट का उनके उपभोक्ता मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). योजना का प्राथमिक उद्देश्य कतिपय विनिर्दिष्ट मदों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देना है। इन विनिर्दिष्ट मदों के उपभोक्ता मूल्यों पर योजना के प्रभाव का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह योजना केवल पहली जुलाई, 1976 से लागू हुई है।

केरल में काजू उद्योग

1790. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में काजू उद्योग में कच्चे काजू की अनुपलब्धता के कारण हजारों श्रमिक रोजगार से निकाल दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा समस्या को हल करने के लिये उठाये गये उपाय किस सीमा तक सफल हुये हैं ; और

(घ) केन्द्र ने केरल राज्य काजू विकास निगम को इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केरल में काजू उद्योग चालू वर्ष के दौरान आयातित काजू की गिरियों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करता रहा है।

(ख) तंजानिया तथा मोजाम्बिक से आयात इन देशों में फसल की कमी के कारण पैदा होने वाली प्रारम्भिक कठिनाइयों की वजह से तथा साथ ही मांगी जाने वाली कीमतों और भारतीय काजू निगम द्वारा किफायती समझी जाने वाली कीमतों में काफी अन्तर होने के कारण समय पर नहीं किय जा सके। पिछली फसल में से आयातों के लिये तंजानिया एवं मोजाम्बीक दोनों के साथ अब करार सम्पन्न किये गये हैं।

(ग) आशा है कि तंजानिया तथा मोजाम्बीक से लगभग 54,000 मे० टन की संविदा गत मात्रा में से आयातित गिरियों की सप्लाई शीघ्र ही शरू हो जाएगी जिससे स्थिति में सुधार आएगा।

(घ) केरल राज्य काजू विकास निगम को भी सरकारी नीति के अनुसार आयातित गिरियों का अपना उचित भाग मिलेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय संवर्धन एसोसियेशन का गठन

1791. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अंकटाड' के सम्मेलन में चाय उत्पादन तथा उपभोक्ता राष्ट्रों की एक मंत्री-स्तरीय अनौपचारिक बैठक में चाय के निर्यात हेतु, स्थिर तथा वाजिब मूल्य सुनिश्चित करने वाले उपायों पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय संवर्धन एसोसिएशन का गठन करने के लिये प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया था ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय संवर्धन एसोसिएशन गठित कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त एसोसिएशन का रूप और स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नैरोबी में हुये चौथे संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के दौरान वाणिज्य मंत्री ने चाय निर्यातक देशों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं का, जिनमें स्थिर तथा उचित कीमतें प्राप्त करना शामिल है, हल निकालने के लिये संभव मार्गोपायों का पता लगाने के लिये प्रमुख चाय उत्पादक तथा उपभोक्ता देशों के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक परामर्श किया ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों को वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों से अलग हो जाने के निदेश

1792. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने सरकारी उपक्रमों को वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों से अलग हो जाने के निदेश जारी किये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली चैम्बर के सदस्यों की डायरेक्टरी के वर्ष 1974 तथा 1975 के संस्करणों में यह देखा है कि कई केन्द्रीय सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हरियाणा तथा पंजाब के सरकारी उपक्रम गैर-सरकारी क्षेत्र की उस लाबी से अभी तक सम्बद्ध हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । सरकार ने सरकारी उपक्रमों को ये अनुदेश दे रखे हैं कि वे चैम्बर आफ कामर्स जैसे संगठनों तथा अन्य गैर-व्यावसायिक निकायों के सदस्य न बनें ।

(ख) ये अनुदेश जारी हो जाने के बाद सरकारी क्षेत्र के निगमों और बैंकों ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य और उद्योग चैम्बर में अपनी सदस्यता का नवीयन नहीं कराया है। फिर भी, चैम्बर आफ कामर्स की डायरेक्टरी में सरकारी क्षेत्र के उन निगमों और बैंकों के नाम दिये हुये हैं जिन्होंने अपनी सदस्यता का नवीयन नहीं कराया है और अब चैम्बर से जिनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। सरकारी क्षेत्र की कुछ ऐसी भी अन्य कम्पनियां हैं जो पहले दिये हुये चन्दे के कारण अभी भी चैम्बर की सदस्य बनी हुई हैं। उन्होंने सूचित किया है कि अब आगे वे अपनी सदस्यता का नवीयन नहीं करायेंगी। इन कम्पनियों में कुछ तो ऐसी भी हैं जो अभी हाल ही में सरकारी कम्पनियां बनी हैं जैसे भारत रिफायनरीज लिमिटेड और केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम। जो कम्पनियां अभी भी सदस्य हैं वे अपनी सदस्यता का नवीयन नहीं करायेंगी और इस बीच चैम्बर आफ कामर्स की गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं रखेंगी।

ग्वालियर की श्रीमती विजयराजे सिंधिया के विरुद्ध दायर किया गया मकदमा

1793. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कलेक्टर ने ग्वालियर राज्य की भूतपूर्व शासक श्रीमती विजयराजे सिंधिया के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर के न्यायालय में श्रीमती विजयराजे सिंधिया के खिलाफ एक शिकायत दायर की गई है जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 (डी) और धारा 135 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 के उल्लंघन में "धड़ों" की शक्ल में 49.6 किलोग्राम शुद्ध सोना रखने और उस पर अपना नियंत्रण दिखाने के कारण भारतीय रक्षा एवं आन्तरिक सुरक्षा नियमावली, 1971 के नियम 127 के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, की धारा 135 के अन्तर्गत और भारतीय रक्षा एवं आन्तरिक सुरक्षा नियमावली, 1971 के नियम 127 (2) (बी) के साथ पठित नियम 127(1) के अन्तर्गत की गई है उक्त मात्रा में सोना आयकर अधिकारियों द्वारा जय विलास महल, ग्वालियर की तलाशी से बरामद किया गया था और उसे सीमा-शुल्क अधिनियम तथा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अभिग्रहीत किया गया था।

श्रीनगर वायु-मार्ग पर 'एयर बस' का चलाया जाना

1794. **श्री सैयद अहमद आगा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष के अन्त तक श्रीनगर वायु-मार्ग पर 'एयर बस' चलाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इंडियन एयरलाइन्स ने फिलहाल श्रीनगर के लिए एयर बस का परिचालन करना व्यवहार्य नहीं समझा है। तथापि, कारपोरेशन मार्ग पर इस विमान का परिचालन प्रारम्भ करने पर श्रीनगर में उपयुक्त विमानक्षेत्र सुविधायें उपलब्ध होने के बाद विचार करेगी।

Cases of Thefts and Embezzlements in S.T.C.

1795. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there have been some cases of thefts and embezzlements in State Trading Corporation during the past three years; and

(b) if so, the year-wise figures thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) There have been only 3 cases of thefts in S.T.C. during the last 3 years.

(b) (i) Two theft cases in 1975;

(ii) One theft case in 1976.

C.B.I. Investigation against Drug Manufacturers in Indore

1796. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1876 on the 2nd April, 1976 regarding enquiry by C.B.I. into drug manufacturing firms in Indore and state :

(a) the outcome of the C.B.I. investigation into 19 cases of irregularities committed by drug manufacturers of Indore and in case the investigation is not yet over, the time likely to be taken thereon; and

(b) the names of the firms against whom cases were registered and the dates on which these firms started functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) and (b). The investigations are nearing completion and are expected to be finalised soon. It is not in the interest of investigation to disclose the names of the firms and other details at this stage.

Decline in Revenue Receipts from Exoprt of Chanderi Sarees from M. P.

1797. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether revenue receipts from export of Chanderi Sarees from Madhya Pradesh registered a decline during the last year ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) and (b). Separate figures for exports of Chanderi Sarees from Madhya Pradesh are not available.

Bank Loans to Small Scale Industries in M.P.

1798. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Revenue and Banking** be pleased to state the total amount of loans given to the small scale industries in all the districts of Madhya Pradesh by the nationalised banks during 1974-75 and 1975-76?

The Minister of State, In-charge of the Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): District-wise outstanding advances of public sector banks to the small scale industries in Madhya Pradesh as at the end of June 1974 and June 1975 have been set out in the *Annexure*.[*Placed in the Library* See No. L.T. 1125976)

Export of Opium

1799. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether some countries are trying to stop opium imports from India ; and

(b) if so, the names of these countries and reaction of Government thereto?

The Minister of State In-charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee). (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Tourist Traffic to Kashmir

1800. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether tourist centres in Kashmir attracted the maximum number of Indian and foreign tourists this year; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. TItal number of Indian and foreign tourists during 1976 (January-July) who visited Kashmir aggregated 190,512 (173, 120 Indians and 17,392 foreigners) compared with 107, 497 (96, 209 Indians and 11,288 foreigners) during the corresponding period of last year and 118,097 (107,744 Indians and 10,353 foreigners) tourists in the same period of 1973 which was the peak year in recent past.

(b) Kashmir is well known as a tourist centre and the various promotional measures taken by the Central Government and the State Government have also helped to boost tourism to the State.

Raids on Houses of Former Rulers and Members of Parliament

1801. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the names of the former rulers on whose premises raids were conducted after the proclamation of emergency and the value of the property seized from each;

(b) the number of cases in which the property seized in the raids has been finally declared as Government property indicating the names of the persons involved in such cases; and

(c) the names of the Members of Parliament and State Legislatures on whose premises raids were conducted during this period?

The Minister of State In-charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The names of former rulers at whose premises search and seizure operations have been conducted by the Income-tax authorities after the proclamation of emergency and the value of assets seized by them as a result thereof are as under :—

Name of the former ruler whose premises were searched	Value of assets seized. (Rs. in lakhs)
(i) Late Shri Jagat Dipendra Narayan (former Ruler of Coochbehar) and others	10
(ii) Shri Madhavrao J. Scindia (former Ruler of Gwalior) and others	99**
**Besides, some jewellery has been kept under prohibitory orders.	
(iii) Shri R. S. K. R. Ranga Rao, [former ruler of Bobbili (A.P.)] and others	4

(b) The seized assets are being dealt with in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. The portion of seized assets which may be finally taken over would be known only on finalisation of the relevant proceedings. This is a time consuming process.

After a search involving seizure of valuable assets, the first step is to pass an order under section 132(5) of the Income-tax Act, 1961, determining the undisclosed income in a summary manner and to retain such of the seized assets as are sufficient to satisfy the aggregate of tax liability (including interest and penalty) on the estimated undisclosed income and any existing liability under the various Direct Tax Acts. Thereafter, regular assessments are taken up and action as called for in law taken, including levy of penalty/launching of prosecution, wherever warranted.

(c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Raids after Proclamation of Emergency

1802. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Revenue and Banking** be pleased to state the number and names of the persons, from whose premises primary gold, gold ornaments, precious articles, foreign goods, foreign currency, Indian currency, worth more than Rs. 5 lakhs, foreign incriminating documents and other goods have been recovered in raids since proclamation of emergency?

The Minister of State In-charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केरल में आरम्भ की गई हथकरघा विकास योजनाएं

1803. **श्री वयालार रवि** :: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में 20-सूत्री आर्थिक कार्य-क्रम के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों की दशा में सुधार करने के लिये प्रस्तावित योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के भाग के रूप में सरकार ने केरल में एक गहन विकास परियोजना और एक निर्यात उत्पादन परियोजना स्थापित किये जाने का अनुमोदन किया है। गहन विकास परियोजना में 10,000 हथकरघे

और निर्यात उत्पादन परियोजना में 1,000 हथकरघे कवर होंगे। गहन विकास परियोजना तथा निर्यात उत्पादन परियोजना में, संस्थागत वित्त को छोड़कर, परिव्यय क्रमश: 1.85 करोड़ रु० तथा 40 लाख रु० के होंगे। इन परियोजनायों के मूल्य उद्देश्य ये हैं: हथकरघों का आधुनिकीकरण, बुनकरों को प्रशिक्षण, प्रोसेस करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना, एक कच्चे माल बैंक की व्यवस्था तैयार उत्पादों की बिक्री व्यवस्था और उत्पादिता तथा हथकरघा बुनकर की मजदूरी के स्तर सुधारना।

हथकरघा कपड़ों के अधिक मूल्य देना

1804. **श्री वयालार रवि**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हस्त शिल्प और हथकरघा निर्यात निगम हथकरघा कपड़ों के अपने स्थानीय सप्लाई कर्ताओं को बहुत अधिक मूल्य दे रहा है जिससे निगम को भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या स्थानीय सप्लाईकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में किये जा रहे कथित कदाचारों के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपियन कन्फेडरेशन आफ 'टैनर्स एण्ड फुटवियर' के प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा भारत की यात्रा

1805. **श्री वयालार रवि**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा प्रायोजित 'यूरोपियन कन्फ़ेडरेशन आफ़ टैनर्स एन्ड यूरोपियन फुटवियर कन्फ़ेडरेशन का प्रतिनिधित्व' करने वाल दो प्रतिनिधि मंडलों ने भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इससे यूरोपीय आर्थिक समुदाय को चमड़े के सामान के निर्यात में वृद्धि करने में कहां तक सहायता मिली है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख). जी हां। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के दौरे का स्वरूप निश्चय ही तथ्यान्वेषी था और उसके फ़लस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय को चमड़े के माल के निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार हुआ है।

भारत के साथ हुए आस्ट्रेलिया के व्यापार समझौते से विदेशी मुद्रा की आय

1806. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के साथ हुए आस्ट्रेलिया के व्यापार समझौते के माध्यम से गत वर्ष भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : भारत का आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करार केवल 2 अगस्त 1976 को ही हुआ है। अतः गत वर्ष में व्यापार करार के कारण अर्जित विदेशी मुद्रा को आंकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्याज की सान्तर दर पर ऋण मंजूर करने पर प्रतिबन्ध

1807. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे जिलों में, जहां छोटे किसान विकास अभिकरण और सीमान्त किसान कृषि श्रमिक योजनाएं नहीं हैं; ब्याज की सान्तर दर पर ऋण मंजूर करने पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(ख) क्या यह प्रतिबन्ध हटाने और लोगों को कम ब्याज पर ऋण देने की सविधा देने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). लघु कृषक विकास अधिकरण सीमांत कृषक कृषि मजदूर जिलों के अलावा विदेशी ब्याज पर योजना देश के 230 जिलो में और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है जिन्हें योजना आयोग ने पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है।]

अनाथालयों, महिला-सदनों और विकलांगों की संस्थाओं का, कार्य-क्षेत्र कहीं भी क्यों न हो उन्हें भी इस योजना के लाभ उपलब्ध होते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक दवारा दिये गये लाइसेंस

1808. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिये गये थे परन्तु एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्षों तक शाखाएं नहीं खोली गई हैं;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों की इस ढ़ीली कार्यवाही के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिन शाखाओं के खोलने के लिए लाइसेंस दिये गये, वे शाखाएं मंजूरी के एक वर्ष के भीतर खोल दी जायें ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) यथासम्भव उपलब्ध सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) बताया गया है कि शाखा के लिए उपयुक्त मकान प्राप्त करने की असमर्थता और मूलभूत सुविधाओं के विकास की कमी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने में देरी का कारण है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लाइसेंसों की वैध अवधि एक वर्ष है। जब कभी बैंक निर्धारित स्थानों पर शाखाएं खोलने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो उन्हें छः छः महीने की अवधि तक का और समय दिया जाता है। शाखा-विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनुचित देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि मामलों के गुणावगुण के आधार पर दो से अधिक बार समय नहीं बढाया जायगा। बैंकों के पास आजकल पड़े अनिष्पादित लाइसेंसों, और जिनके लिए दो या दो से अधिक बार समय बढ़ाया जा चुका है उनके मामले में फ़िर एक और अंतिम बार छः महीने का समय दिया जायेगा।

कुल्लू के लिए विमान सेवाएं

1809. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल्लू के लिए वर्ष में कितनी अवधि तक विमान सेवाएं जारी रहती हैं; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश में यही एक हवाई अड्डा है, इस अवधि को बढाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली/चंडीगढ/कुल्लू सैक्टर पर मई के मध्य से जुलाई के मध्य तक और फ़िर सितम्बर के मध्य से अक्तूबर के अंत तक सप्ताह में तीन सेवाओं का परिचालन करती है।

(ख) क्योंकि कुल्लू के लिए यातायात मांग मौसमी प्रकार की है, अतः कारपोरेशन के परिचालनों की वर्तमान प्रणाली ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है।

उड़ीसा में बैंकों की स्थापना

1810. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा राज्य में अब तक कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक खोले जा चुके हैं;

(ख) राज्य के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में इनमें से कितने बैंक खोले गये हैं;

(ग) बिना बैंकों वाले क्षेत्रों में बैंक खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है; और

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं विषयक 30 जून, 1976 के जिलेवार उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1126C/76]**

(ग) और (घ). बैंक-रहित स्थानो पर शाखाएं खोलते समय बैंक जिन अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं, उनमें मूलभूत ढ़ांचे की सुविधाओं की उपलब्धता, जमायें जुटाने की संभावना, विशेषतया

उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण-संवितरण की संभावना, जैसे तत्व सम्मिलित हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय से शाखा-विस्तार नीति का झुकाव उपेक्षित क्षेत्रों और अर्द्ध-शहरी स्थानों पर अधिक शाखाएं खोलने की ओर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी शाखा-विस्तार योजनाओं में बैंक-रहित/कम बैंक वाले स्थान, यथासंभव, अधिक से अधिक शामिल करें और विशेषतया, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा ऐसे जिलों की ओर विशेष ध्यान दें, जहां प्रति बैंक जनसंख्या 75 हजार से अधिक है;

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1811. **श्री गिरिधर गोमांगो:** क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जा चुके हैं;

(ख) उनमें से कितने बैंक जनजाति क्षेत्रों में खोले गये;

(ग) चालू वर्ष में राज्यवार, ग्रामीण बैंक खोले जाने के बारे में क्या प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1976–77 मे उड़ीसा में जनजाति जिलो में कितने ग्रामीण बैंक खोले जायेंगे ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I में दी जा रही है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०–11261/76]

(ख) जनजाति बहुल 11 जिलों को 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्याप्त कर रहे हैं।

(ग) सरकार ने शीघ्र ही 15 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का निर्णय किया है। विवरण II में राज्यवार इनके स्थान दिये जा रहे हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि, शेष 11 बैंकों के स्थानों का अभी निर्णय करना बाकी है, अतः इस समय राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(घ) उड़ीसा में खोले गये/खोले जाने वाले 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, दो के कार्यक्षेत्र में जनजाति बहुल जिले व्याप्त हैं।

उड़ीसा में पर्यटन का विकास

1812. **श्री गिरिधर गोमांगो** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1976-77 में उड़ीसा में पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए उसके द्वारा ने कितनी धनराशि आवंटित की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख).

(i) उड़ीसा सरकार ने जनवरी, 1974 में 4 लाख रुपये की अनुमानित लागत से चिलका झील, भितारकनिका और रायगोडा वन्य पशु शरण स्थल में मोटर लांचों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भेजे थे।

(ii) सिम्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक वन विश्राम गृह के निर्माण का एक आवेदन दिसम्बर, 1975 में प्राप्त हुआ था।

(iii) चिलका झील में 1,53,500/- रु० की अनुमानित लागत से एक मोटर लांच की व्यवस्था का प्रस्ताव 1976 में प्राप्त हुआ था।

(iv) उड़ीसा सरकार ने कोणार्क में एक समुद्रतटीय विहार स्थल के विकास के लिये एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की सहायता के लिए भी अनुरोध किया है।

मुख्य रूप से वित्तीय साधनों की तंगी के कारण भितारकनिका एवं रायगोडा वन्य पशु शरणस्थान में मोटर लांचों की व्यवस्था के तथा सिम्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान में वन विश्रामगृह के निर्माण के प्रस्तावों को पर्यटन विभाग की पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका। तथापि, चिलका झील में मोटर लांच की व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत पर्यटन विकास निगम ने कोणार्क में समुद्रतटीय विहार स्थल के विकास के लिये मास्टर प्लान तैयार करने के लिये राज्य सरकार की सहायता के लिये अपनी सहमति दे दी है।

उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय पर्यटन विभाग से उड़ीसा में ललितगिरि और रत्नगिरि गुफाओं तक पहुंच मार्गों के निर्माण, तथा पुरी से कोणार्क तक 'मेरीन ड्राइव' के निर्माण के प्रस्तावों के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय से सिफारिश करने का अनुरोध भी किया है। पहले मामले में सिफारिश कर दी गई है और दूसरे मामले में भी ऐसा ही किया जा रहा है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 1976-77 के दौरान भुवनेश्वर में अपने यात्री लौंज का विस्तार कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। योजना आयोग ने 1976-77 के दौरान व्यय के लिये 10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बड़ौदा स्थित प्रियलक्ष्मी मिल का बन्द होना

1813. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ौदा स्थित प्रियलक्ष्मी मिल गत पन्द्रह महीनों से बन्द है जिससे 3000 से अधिक श्रमिक और 15,000 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं;

(ख) इसे पुनः कब चलाया जायेगा; और

(ग) क्या इन प्रभावित श्रमिकों को अन्तिरिम राहत देने की कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) प्रियलक्ष्मी मिल, जिसमें 1742 श्रमिक हैं, अप्रैल 1975 से बंद पड़ी है।

(ख) इस मिल के कार्यों की जांच करने के लिए इस बीच एक जांच समिति नियुक्त कर दी गई है। इस मामले में आगे कोई कार्यवाही, जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाएगी।

(ग) जी नहीं।

लोक वित्त संस्थाओं द्वारा थोक-विक्रेताओं को दी गई अग्रिम राशियां

1814. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक वित्त संस्थाओं द्वारा खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेलों और कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रेताओं को वस्तु-वार, दी गई अग्रिम राशि की नवीनतम स्थिति क्या है और स्टाक के कुल मूल्य की तुलना में उसका अनुपात क्या है, और

(ख) क्या मूल्य कम करने और स्थिर करने हेतु आवश्यक वस्तुओं के थोक-व्यापार के प्रति ऋण नीति में कठोरता बरतने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) चुनी हुई वस्तुओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों विषयक उपलब्ध आंकड़े **अनुबन्ध** में दिये जा रहे हैं।

(ख) चयनात्मक ऋण-नियंत्रण के एक उपाय के रूप में, महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग और पूर्ति, तथा कीमतों के उतार-चढ़ाव को दृष्टिगत रखते हुए मार्जिनों में समय-समय पर उपयुक्त संशोधन किये जाते हैं।

विवरण

सं०	जमानत	कुल बकाया ऋण (करोड़ रुपये)
1.	धान और चावल	14.4
2.	गेहूं	9.2
3.	अन्य खाद्यान्न	18.0
4.	सभी खाद्यान्न	41.6

विवरण

सं०	जमानत	कुल बकाया ऋण (करोड़ रुपये)
5.	चीनी	151.2
6.	मूंगफली	13.7
7.	तोरिया/सरसों	3.7
8.	अलसी	1.2
9.	बीज अरंडी	0.5
10.	मूंगफली का तेल	4.4
11.	तोरिया/सरसों का तेल	1.2
12.	अंडी का तेल	6.0
13.	अलसी का तेल	2.2
14.	वनस्पती	4.5
15.	रुई और कपास	198.2
	इनमें से	
	(क) देशी	177.0
	(ख) आयातित	21.2

Raids on Houses of Shareholders and Proprietors of "Bhaskar" and "Janbodh"

1815. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the number of raids conducted, year-wise, by the Central Excise, Customs and Income-tax Officers, vigilance, C.B.I. and other Central agencies on the premises of the proprietors, shareholders and printing presses of daily "Bhaksar" published from Bhopal, Ujjain, Gwalior and Jhansi and "Janbodh" published from Shahdol during the period from 1973 to March, 1976 ; and

(b) the number of cases of irregularities pending against the proprietors of these newspapers and the number of cases in which they have been punished?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कृषि कार्यों के लिये विश्व बैंक से ऋण

1816. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कृषि कार्यों के लिये विश्व बैंक ने कुल कितना ऋण दिया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कृषि विकास के लिये किस-किस कार्य के लिये विश्व बैंक का ऋण वितरित किया गया;

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक राज्य ने कृषि विकास के लिये उद्देश्यवार विश्व बैंक के कुल कितने ऋण का उपयोग किया; प्रत्येक राज्य में कृषि को बढ़ावा देने में विश्व बैंक ऋण से कहां तक सहायता मिली; और

(घ) कुछ राज्यों द्वारा विश्व बैंक से मिले ऋण के कुछ भाग को उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) पिछले तीन वर्षों में खेती के प्रयोजनों के लिए विश्व बैंक और उसके संबद्ध नर्म शर्तों पर उधार देने वाली संस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा कुल मिलाकर 55.910 करोड़ अमरीकी डालर के ऋणों के लिए वचन दिए गए।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 11262/76] इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों से खेती की उपज में कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बैंक समूह द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से सिंचाई की सुविधाओं के विकास, सिंचाई क्षेत्र विकास, खती के मशीनीकरण, सुधरी किस्मों के बीजों के उत्पादन, डेरी उद्योग, कृषि; शिक्षा और विपणन का और विकास करने में काफी सहायता मिली है।

(घ) कुछ परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के मामले में शुरू में, कुछ देर हुई है क्योंकि न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने और ऋण की व्यवस्था, भूमिगत जल के उपयोग, खेतों के विकास आदि के संबंध में नए-नए नियमों के अपनाने में समय लग गया। जो परियोजनाएं पिछड़ गई थीं, उन्हें तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

चीनी का निर्यात

1817. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितनी मात्रा में चीनी निर्यात करने का लक्ष्य है; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये किये गये ेकों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) । (क) आगामी चीनी वर्ष (अक्तूबर 76—सितम्बर 77) के दौरान उत्पादन का निश्चित मूल्यांकन करने के बाद ही अन्तिम रूप में यह निर्णय लिया जा सकेगा कि चालू वर्ष में निर्यात योग्य कुल बेशी चीनी कितनी होगी।

(ख) 1976–77 के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली निर्यात संविदाएं 5 लाख मे० टन की हैं।

बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा पूंजी निवेश और बाहर भेजी गई राशि

1818. **श्री रानेन सेन :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बहु-राष्ट्रीय निगमों ने भारत में जनवरी, 1975 और अगस्त, 1976 के बीच पूंजी निवेश किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और भारतीय कम्पनियों में उनकी इक्विटी पूंजी की राशि कितनी है;

(ग) क्या बहुत से बहु-राष्ट्रीय निगमों ने जनवरी, 1976 से अगस्त, 1976 के बीच लाभ की राशि भारत से बाहर भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ). इस अवधि में गैर आवासियों के नाम जारी किये गये शेयरों और विदेशी कम्पनियों द्वारा भेजी गई लाभ की रकमों के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और जितनी सूचना इकट्ठी हो सकेगी उतनी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संगणकों और डाटा-प्रोसेसिंग उपकरणों के क्षेत्र में काम कर रही फर्मों द्वारा राजस्व के मामले में धोखाधड़ी

1819. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगणकों और डाटा प्रोसेसिंग उपकरणों के क्षेत्र में काम कर रही किन्हीं फर्मों ने कुछ समय पहले देश के साथ राजस्व के मामले में धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व बैंक से ऋण के लिए बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का अनुरोध

1820. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी ने हाल में विश्व बैंक से 12 80 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम): जी हां, भारत सरकार बम्बई शहरी विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक से उधार लेने के लिए जल्दी ही बातचीत करने वाली है। इसमें बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के लिए 145 लाख अमरीकी डालर (12.8 करोड़ रुपए) की रकम भी शामिल है। इस अंश से इस कम्पनी द्वारा 465 एक मंजिली और 235 दो मंजिली बसें तथा बड़े स्पेयर पुर्जे खरीदने और 3 नई डिपोओ, 11 नए टर्मिनलों और वर्कशापों के निर्माण का कुछ खर्च पूरा हो सकेगा।

सरकारी उपक्रमों में उत्पादन

1821. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात-स्थिति की घोषणा के बाद विभिन्न सरकारी उपक्रमों में उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—11263/76]

विदेशों में उद्योगों की स्थापना

1822. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और वर्ष 1976 में जून तक कितने गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं को विदेशों में उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई;

(ख) उद्यमकर्ताओं तथा देशों के नाम क्या हैं; और वहां किन-किन वस्तुओं का निर्माण होता है; और

(ग) उक्त अनुमति प्रदान करने के लिये क्या सामान्य सिद्धान्त अपनाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख): एक विवरण संलग्न अनुबन्ध 1 में दिया गया है।

(ग) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों की स्थापना पर लागू होने वाले सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त भी अनुबन्ध ii के रूप में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—11264/76]

कोयले का निर्यात बढ़ाना

1823. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे कोयले के निर्यात की सम्भावनाएं बहुत उत्साहवर्धक हैं और यदि हां तो इस बारे में क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) किये गये करार अथवा अब तक भेजे गये माल की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): जी हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जिसके माध्यम से कोयले का निर्यात मार्गीकृत है, अपने निर्यातों को अपरम्परागत बाजारों की ओर मोड़ रहा है। बाजार सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। पत्तन सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, विगत तीन वर्षों में 4 लाख मे० टन के औसत वार्षिक उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कोयले के निर्यातों में काफी सुधार आने की आशा है। चालू वर्ष के दौरान अभी तक कोयले की 7.4 लाख मे० टन की कुल संविदा के आधार पर 1.53 लाख मे० टन कोयले की कुल मात्रा भेजी जा चुकी है।

Exchange Rate of Rupee

1824. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the present rate of exchange of Indian currency with those countries with which India is having trade in Indian currency; and

(b) what is the rate of exchange of Indian currency with rouble?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) The majority of countries whose trade with India is conducted on the basis of rupee payments are not members of the International Monetary Fund. All commercial and non-commercial transactions between these countries and India are conducted in terms of Indian rupees. In respect of the remaining countries with which India has rupee trade and which are members of the IMF while it is possible to determine the exchange rate between the currencies of these countries and the rupee through cross-rates calculated by reference to 'intervention' currencies, such exchange rates are not relevant to the conduct of India's trade with these countries since this trade is normally conducted in rupees.

(b) Since USSR is not a member of IMF, there is no direct relationship between the Indian rupee and the rouble except through the declared gold content of both currencies. All commercial and non-commercial transactions between India and the USSR are conducted in terms of Indian rupees. Contracts under Soviet credits are however designated in roubles. The relevant credit agreements stipulate the gold content of both currencies.

Indian Delegations Sent Abroad

1825. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries visited by the Indian delegations in connection with import and export agreements during last year and the number of persons in each delegation; and

(b) the nature of trade agreements reached with each of these countries?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) and (b) A statement giving the information is attached.

Statement

S. No.	Name of the Country Visited by the delegation	Number of persons in the Delegation	Nature of agreement reached
1	Afghanistan . . .	5	Discussions were held on a new Trade and Payments Agreement between India and Afghanistan.
2	German Democratic Republic	2	Trade Protocol with G.D.R. for 1976 was signed.
3	Hungary	3	Trade Protocol with Hungary for 1975 was signed.
4	Jordan	6	Draft of a new Indo-Jordan Trade Agreement was finalised.
5	Nepal . .	9	The working of the Indo-Nepal Treaty of Trade and Transit, 1971 was reviewed.
6	North Korea	1	Trade Protocol with Democratic People's Republic of Korea for 1975 was signed.
7	Poland	3	Trade Protocol with Poland for 1975 was signed.
8	Sudan	6	Indo-Sudan Trade Arrangement for the period November, 1975 to December 1976, was signed.
9	Tunisia	3	Draft of new Indo-Tunisian Trade Agreement was finalised.
10	USA	3	An Agreement was reached regarding the export of handloom garments to the USA and related matters.
11	USSR	2	Consultations were held on the preparation of Long-Term Trade Plan for 1976-80.
12	USSR	1	Prices of fertilizers to be imported from USSR were re-negotiated.
13	USSR . . .	5	Discussions were held regarding the formulation of Indo-USSR Long-Term Trade Plan for 1976-80.
14	Yogoslavia	9	The Sub-Committee on Co-operation in Third Countries, of the Indo-Yogoslav Joint Committee met. Possibilities for Indo-Yogoslav Joint Ventures in Third Countries were identified.

Trade with Countries of Third World

1826. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the countries of the third world with which India's trade has registered an increase after the UNCTAD Conference;

(b) whether India is taking initiative to maximise trade with undeveloped countries; and

(c) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh). (a) Detailed statistics of India's trade with various countries subsequent to the UNCTAD Conference held in May, 1976 are not yet available.

(b) and (c). Yes, Sir. Steps are being taken to increase India's exports to various countries, including developing countries. These measures include :

(i) Concluding trade agreements and trade plants with certain countries.

(ii) Assisting in export promotion activities like market surveys, sending of trade delegations, publicity, participation in exhibitions etc.

(iii) Strengthening of our commercial offices abroad.

(iv) Improving shipping facilities.

(v) Opening of branches of Indian banks abroad.

(vi) Inviting buyers and other delegations to visit india.

(vii) Grant of various facilities to exporters.

गुजरात में आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

1827. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में गुजरात राज्य में आयात-लाइसेंसों का दुरुपयोग करने के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। 53 मामलों में।

(ख) (1) आयातित कच्चे माल का दुरुपयोग।

(2) आयातित कच्चे माल के उपयोग के बारे में उद्योग आयुक्त, अहमदाबाद को सूचना न देना।

(3) विनिर्माण कार्यों का बन्द करना।

(ग) दोषी व्यक्तियों को विशिष्ट अवधि के लिए आयात सहायता से वंचित करके आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत दण्ड दिया गया है। उनके नाम "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसिस" में प्रकाशित किये गये हैं। तीन मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये हैं।

राँची स्थित टस्सर विकास निगम

1828. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने रांची में एक सम्पूर्ण टस्सर विकास निगम स्थापित करने का निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है।

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में काम करने वाले परिवारों को ऋण देने का स्ताव

1829. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में परिवार रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में काम करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे परिवारों को बैंक ऋण देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक चाइबासा तथा बैंक आफ इंडिया भी चाइबासा चक्रधरपुर तथा सिंहभूम जिले में रेशम के कीड़े पालने वाले आदिवासियों को ऋण दे रहे हैं।

लौह अयस्क निर्यातकर्ता देशों की एसोसिएशन

1830. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले कुछ देशों ने लौह अयस्क निर्यातकर्ता देशों की एसोसिएशन बनाई थी; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो अब तक इस एसोसिएशन में शामिल हो चुके हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, चिली, भारत, मारितानिया, पेरु, सियारालियोन, स्वीडन, ट्यूनिशिया तथा वैनुजुएला।

सरकारी उपक्रमों द्वारा विदेशों में प्रतिष्ठानों का रख रखाव

1831. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रम, विदेशों में किन-किन प्रतिष्ठानों का रखरखाव करते हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन उपक्रमों ने उक्त प्रतिष्ठानों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यह एक रोजमर्रा का प्रशासनिक मामला होने की वजह से सरकार इस बारे में अद्यतन सूचना नहीं रखती। फिर भी सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा अभी हाल हीमें किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार केन्द्रीय सरकार की 22 औद्योगिक और वाणिज्यिक कम्पनियों ने 1973-74 के दौरान विदेशो में 160 प्रतिष्ठान खोले हुए थे। उस वर्ष इन प्रतिष्ठानों पर कुल 37 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी। इसमें से 35 करोड़ रुपए तो एयर इण्डिया ने ही अपने कारोबार के लिए खोले हुए 95 प्रतिष्ठानों पर खर्च किए थे। एयर इंडिया के इन 95 प्रतिष्ठानों से 1973-74 के दौरान विदेशी मुद्रा के रूप में 82 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ था। दो और वर्षों की सूचना एकत्र करने के लिए जितना काम करना पड़ेगा उससे प्राप्त होने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा अनिवार्य जमा राशियों का भुगतान

1832. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि कार्यालयों के माध्यम से कर्मचारियों को अनिवार्य जमा राशि की पहली किश्त के रूप में अब तक कुल कितनी राशि वितरित की गई है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी और राशि का अभी वितरण किया जाना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अतिरिक्त उपलब्धि (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जमा अतिरिक्त महंगाई भत्ते की वापस की जाने वाली पहली किस्त के रूप में 13 अगस्त, 1976 तक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के माध्यम से 16.67 करोड़ रुपए की रकम चुका दी गई है।

(ख) चालू वर्ष में प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के माध्यम स 76.97 करोड़ रुपए की रकम और वापस की जानी बाकी है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास आयातित स्टेनलैस स्टील के भण्डार

1833. **श्री भाऊसाहेब थामनकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के गोदामों में आयातित स्टेनलैस स्टील का अनबिका विशाल भण्डार जमा है; और

(ख) यदि हां, तो वह कितने मूल्य का है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). उद्योग की अतिआवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम के स्टाक में पर्याप्त मात्रा में आयातित स्टैनलैस स्टील है। स्थिति पर निरन्तर ध्यान रखा जाता है और जब भी आवश्यक होता है, सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

चीन के साथ व्यापार

1834. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री सरोज मुकर्जी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1957; 1962 और 1975 में चीन जनवादी गणराज्य को कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया है और वहां से कितने मूल्य का आयात किया गया;

(ख) उपरोक्त वर्षों में उस देश को किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया गया और वहां से किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार चीन जनवादी गणराज्य के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बनाने एवं उन्हें सुदृढ करने की दृष्टि से उस देश के साथ बातचीत आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1957, 1962–63 तथा 1975–76 में चीन जनवादी गणराज्य को निर्यातों तथा वहां से आयातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार था :—

लाख रुपये में

वर्ष	निर्यात	आयात
1957	369	486
1962–63 . . .	14	99
1975–76	—	—

(ख) 1957 में चीन जनवादी गणराज्य को निर्यात की गई मुख्य मदें थी : चीनी, चमड़ा, चन्दन की लकड़ी तथा तेल, प्लाण्ट्स बीज एवं फूल, अभ्रक के ढ़ेले तथा चूरा, ऊन अयस्क एवं सांद्रण और पशु उद्भव वाली सामग्री। 1957 में चीन जनवादी गणराज्य से आयात की मुख्य मदें थी : अखबारी कागज, चावल, मसाले, बेल्लित इस्पाती उत्पाद, कच्चा रेशम, मैंथोल, सोडियम कार्बोनेट, तथा सोडियम हाईड्रोक्साईड। 1962-63 में निर्यात की मुख्य मदें थी : चमड़ा, चन्दन की लकड़ी एवं तेल, प्लांटस, बीज एवं फूल, विद्युत सचरण एव वितरण लाइन के इस्पाती आधार। इसी वर्ष आयात की

गई मुख्य मदें थी : मसाले, फ्लोरस्पार, सोडियम हाईड्रोक्साईड, तारपीन का तेल, कोलतार रंजक टिशु पेपर, प्राकृतिक ग्रेफ़ाईट, रंजक पदार्थों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले नैफ्थोल एवं मध्यवर्ती पदार्थ, सगन्ध वनस्पति तेल, पाइप एवं फ़िटिंग्ज और तार की छड़ें।

(ग) तथा (घ). अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया के भाग के रूप में सभी क्षेत्रो में अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुधारने की सम्भावनाओं का पता लगाया जायेगा।

कर्नाटक की हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

1835. **श्री के० मालत्रा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक की हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात से गत तीन वर्षों में वर्षवार, कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) ये हस्तशिल्प वस्तुएं किन-किन देशों में लोकप्रिय हैं और उनकी मांग है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). चूंकि हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात आंकड़े राज्यवार आधार पर संकलित नहीं किये जाते हैं, अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक की हस्तशिल्प की वस्तुओ के निर्यात से कमाई गई विदेशी मुद्रा की सही राशि बताना सम्भव नहीं है।

कर्नाटक के नगरों और कस्बों को निकट सप्ताह-अन्त में पिकनिक स्थलों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने की योजना

1836. **श्री के० मालत्रा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक के नगरों और कस्बों के निकट सप्ताह-अन्त पिकनिक स्थलों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने की कोई योजना है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य ने भी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). क्योंकि देशीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, अत: कर्नाटक के नगरों तथा शहरों के निकट पिकनिक स्थलों का विकास राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आएगा। अत: कर्णाटक सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

कनाडा को निर्यात

1837. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 की तुलना में वर्ष 1975 में कनाडा को हमारे निर्यात में 120 लाख डालर की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कनाडा को निर्यात करने वाले भारतीय व्यापारियों को विदेशों में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार से कोई सहायता मिल रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह मुख्यत: पटसन माल तथा काजू गिरी के हमारे निर्यातों में तीव्र गिरावट के कारण थी। पटसन माल के निर्यातों में गिरावट गृह निर्माण तथा कालीन विनिर्माण उद्योग में मन्दी के फलस्वरूप कनाडा में इन वस्तुओं की खपत में कुल कमी के कारण हुई। काजू गिरी के हमारे निर्यातों में गिरावट का आंशिक कारण था कनाडा में सभी स्रोतों से गिरी के आयातों में कमी और आंशिक कारण था। चीन, तंजानिया तथा ब्राजील से प्रतियोगिता।

(ग) निर्यात संवर्धन के लिए सरकार ने निर्यातकों को जो विभिन्न सुविधाएं दी हैं वे कनाडा को निर्यात करने वालों के लिए भी उपलब्ध हैं।

महानगरों में नये कताई एकक

1838. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में नये कताई एकक लगाने अथवा पहले से लगे एककों का विस्तार करने की अनुमति न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 50,000 से कम तकलों वाले छोटे कताई एककों पर इस निर्णय का विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने 50,000 तकुओं की क्षमता तक सूत के विनिर्माण के लिये रुई की कताई को लाइसेंस मुक्त कर दिया है, यह इन प्रतिबन्धों के अधीन है कि कोई नया एकक 25,000 तकुओं से कम नहीं होना चाहिये और यह छूट बड़े शहरों/महानगरों में स्थित एककों पर लागू नहीं है।

(ख) यह छूट प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा संस्थापित क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दी गई है।

(ग) इस निर्णय का 50,000 से कम तकुओं वाले छोटे कताई एककों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बोनस शेयर देने के लिये नियमों का उदार बनाया जाना

1839. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोनस शेयर देने के लिये नियमों को उदार बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नये विनियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). जी, नहीं। सरकार ने कम्पनियों के द्वारा बोनस शेयर जारी किये जाने से सम्बन्धित कोई कानूनी नियम नहीं बनाए हैं लेकिन बोनस शेयर जारी करने के आवेदन पत्रों की जांच करने के लिये केवल कुछ प्रबन्ध सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। ये निर्देशक सिद्धान्त आम जनता की जानकारी के लिए प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं। जनवरी, 1974 से अप्रैल, 1976 तक की अवधि में बोनस शेयर सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्तों में दो बार ढील दी गई थी। जुलाई, 1975 में सरकार ने बोनस शेयर जारी करने से सम्बन्धित निर्देशक सिद्धान्त संख्या 18 में ढील देते हुये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें और बातों के साथ साथ यह बताया गया है कि मुक्त प्रारक्षित निधि में से बोनस शेयर जारी करने के लिए किसी एक समय में कुल जितनी रकम पंजीकृत किये जाने की अनुमति दी जाएगी, वह कम्पनी की कुल चुकता पूंजी से अधिक नहीं होगी। इस निर्देशक सिद्धान्त में ढील के सम्बन्ध में उन कम्पनियो के बारे में गुण दोषों के आधार पर विचार किया जा सकता है। जो निम्नलिखित प्रयोजनो के लिये भारतीयों से पूंजी जुटाना चाहती है :—

(i) विस्तार या विविधीकरण की स्वीकृति प्राप्त स्कीमों के वित्त पोषण के लिये; या

(ii) जिन्हें वर्तमान व्यावसायिक कारबार को जारी रखने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विदेशी शेयर पूंजी को कम करना जरूरी है।

नवम्बर, 1975 में एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें निर्देशक सिद्धान्त संख्या 13 और 14 में ढील देने की घोषणा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बोनस शेयर जारी करने की लगातार दो घोषणा के बीच का अन्तर 40 महीने से घटाकर 24 महीने कर दिया गया और बोनस शेयर जारी करने के लिये दो आवेदन पत्रों के बीच का अन्तर 36 महीने से घटाकर 12 महीने कर दिया गया। ये ढील पूंजी बाजार में चुस्ती लाने के लिये दी गई थी।

कम्पनी (लाभों का प्रारक्षित निधि में अन्तरण) नियमावली, 1975 के अनुसार जहां किसी कम्पनी द्वारा किसी वित्त वर्ष में लाभांश घोषित किया जाए वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शेयरधारियों को कम से कम उस दर से वितरित किया जाए जो उस वित्त वर्ष से तत्काल पहले के तीन वर्षों में घोषित लाभांशों के औसत दर के बराबर हो। लेकिन इस नियम में 23 जुलाई, 1976 को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा यह संशोधन कर दिया गया कि लाभांश की दर बनाए रखने के बजाए उन मामलों में जहां उस वित्त वर्ष में बोनस शेयर भी जारी किए गए हों जिसमें लाभांश घोषित किया गया हो, उस वित्त वर्ष से तत्काल पहले के तीन वर्षों में घोषित लाभांश की औसत रकम (मात्रा) के बराबर की रकम सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कम्पनियों में ऋण-साम्य पूंजी अनुपात

1840. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनियों में ऋण साम्य पूंजी अनुपात को बढ़ाने के लिये उद्योग का तर्क स्वीकार नहीं करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

रुई का निर्यात-आयात व्यापार

1841. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रुई का आयात मूल्य 1500 रुपये प्रति "कैंडी" को देखते हुये, जो निर्यात मूल्य से अधिक है उनके मंत्रालय का रुई के आयात निर्यात व्यापार में अन्तर को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इस समय सरकार द्वारा रुई के निर्यात के लिये कोई अनुमति नहीं दी जा रही है ।

पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल द्वारा जारी की गई निदेशिका

1842. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने ए–9, कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्थित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा जारी की गई निदेशिका को देखा है जिसमें अपनी सदस्य कम्पनियों को अन्तिम कर निर्धारण से बचने तथा प्रत्यक्ष करों का अपवंचन करने के मार्गोपायों के बारे में हिदायतें दी गई हैं ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : जी नहीं ।

रोकी गई मजूरी की पहली किश्त की वापसी

1843. **श्री रानेन सेन** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने जुलाई, 1976 में कर्मचारियों को अनिवार्य जमा धनराशि की पहली किश्त वापस कर दी है ;

(ख) कितने प्रतिष्ठानों ने अनिवार्य जमा धनराशि को वापस नहीं किया है ; और

(ग) अब तक कुल कितनी धनराशि वापिस की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों की अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा रकमों की पहली किस्त की वापसी, जो 6 जुलाई, 1976 को देय हो गई थी, शुरू कर दी गई है । चूंकि इस समय रकमों का भुगतान किया जा रहा है, इसलिये भुगतान न करने का इस समय सवाल पैदा नहीं होता । प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों को, कर्मचारियों को देय रकम की वापिसी क काम को तेज करने के अनुदेश द दिए गए हैं और कर्मचारियों को भुगतान के वास्तविक महीने से पहले के महीने के अन्त तक ब्याज भी दिया जाएगा ।

(ग) 13 अगस्त, 1976 तक, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्तों के माध्यम से उपर्युक्त कर्मचारियों को 16.67 करोड़ रुपये की रकम की वापसी की जा चुकी है ।

नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन

1844. श्री रानेन सेन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों ने नियंत्रित कपड़े का उत्पादन बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन के सम्बन्ध में वित्तीय रूप से कमजोर मिलों को राहत देने के लिये सरकार द्वारा किये गये फैसले के अनुसार वस्त्र आयुक्त ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को, जो कि सभी वित्तीय दृष्टि से कमजोर मिलों की कसौटी को पूरा करती हैं, 1 जनवरी, 1976 से एक वर्ष की अवधि के लिये कंट्रोल का कपड़ा बनाने की बाध्यता से छूट दे दी है ।

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब

1845. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं के नाम क्याहैं जिनका निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे है और प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय से कितनी पीछे है ?

(ख) इस बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उनके पूरा होने में बिलम्ब के कारण कितना अनुमानित अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से हाल ही में एकत्र की गई सूचना अनुबन्ध में दी गई है **[ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी० 11265/76]**

(ख) परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. सिविल निर्माण कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं इंजीनियरिंग रिपोर्ट बनने में अधिक समय लगना ।

2. परियोजनाओं के प्रस्तावों में परिवर्तन के कारण उनके डिजाइनों में संशोधन तथा विदेशी सहयोगियों से तकनीकी स्वीकृति लेने में बिलम्ब हो जाना ।

3. भूमि अधिग्रहण में बिलम्ब ।

4. इस्पात, सीमेंट जैसी आधारभूत सामग्री की कमी ।

5. बिजली की कमी ।

6. विदेशी मुद्रा की कमी ।

7. कुछ मामलों में वित्तीय संसाधनों की कमी ।

8. स्वदेशी व विदेशी संयंत्रों की प्राप्ति में बिलम्ब ।

9. भूवैज्ञानिक एवं खनन की प्रतिकूल परिस्थितियां ।

10. मांग की कमी ।

11. भारी उद्योगों के लिये बहुत बड़े आकार के उपस्करों के परिवहन में कठिनाइयां ।

(ग) परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं । उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

1. सरकारी उद्यमों को इस्पात व सीमेंट के आवंटन में प्राथमिकता दिया जाना ।

2. बिजली की कमी व बिजली खराब हो जाने से उत्पन्न गतिरोध दूर करने के लिये उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना ।

3. स्वदेशी सप्लायरों से उपस्करों एवं सामग्री की सप्लाई । जल्द मंगाने के लिये जोरदार प्रयत्न करना ।

4. ठेकेदारों के विफल हो जाने पर बहुत सी मदों का विभागीय उत्पादन शुरू कराना ।

5. कुछ महत्वपूर्ण विदेशी मदों का शीघ्र आयात करने तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा के साधन जुटाने के लिये कदम उठाये गये हैं ;

अनुबन्ध में दी गई परियोजनाओं के देर से पूरा होने के कारण लगभग 86·00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ।

पर्यटकों द्वारा किये जाने वाले व्यय के बारे में सर्वेक्षण

1846. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों द्वारा किये जाने वाले व्यय के बारे में एक नया सर्वेक्षण कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा पहले ही ऐसा एक सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(ख) पिछला ऐसा सर्वेक्षण अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1973 की एक वर्ष की अवधि के दौरान किया गया था । कीमतों के अत्यधिक बढ़ जाने, ईंधन संकट व उसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय विमान किरायों में हुई वृद्धि के कारण, पिछले सर्वेक्षण के दौरान लगाये गए औसत व्यय का अनुमान अब पुराना पड़ गया था । अतः विदेशियों द्वारा किये जाने वाले व्यय के बारे में नये सिरे से सर्वेक्षण करना जरूरी समझा गया ताकि पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का अधिक सही अनुमान लगाया जा सके तथा इसके साथ ही साथ पर्यटन के आधारभूत उपादानों एवं उसके प्रोत्साहन के लिये प्रणाली (पैटर्न) और प्राथमिकताओं पर लगाये जाने वाले धन का निर्धारण किया जा सके ।

Realisation of Central Excise duty in Bihar

1847. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of **Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the amount received from Bihar as union excise duties in 1975-76;

(b) whether the total income therefrom increased in 1975-76 as compared to that of 1974-75; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Rs. 221.32 crores.

(b) Yes, Sir. The increase was to the extent of Rs. 25.37 crores.

(c) The increase in revenue was mainly in respect of unmanufactured tobacco, Cigarettes, cement, iron and steel products and motor vehicles. New excise levies imposed for the first time in the 1975-76 budget on hand made biris, chewing tabacco and 'All other goods not elsewhere specified' (Tariff Item No. 68) also contributed to the increase in revenue.

हैसियन के निर्यात पर नकद राज सहायता

1848. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन तथा कलकत्ता जूट फैब्रिक्स शिपर्स एसोसिएशन से हैसियन के निर्यात पर 10 प्रतिशत नकद राज सहायता देने के उद्देश्य से नौवहन बिल प्रस्तुत करने हेतु किसी फारमूले का सुझाव देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने अपनी कुछ विद्यमान कठिनाइयों के बारे में सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा था । इन पर पटसन आयुक्त इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन तथा कलकत्ता जूट फैब्रिक्स सिपर्स एसोसिएशन से परामर्श करके विचार कर रहा है ।

Conference of Finance Ministers of States in the Eastern Zone

1849. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a conference of the Finance Ministers of the States in the Eastern Zone held in Patna during the first week of August, 1976;

(b) if so, the objects thereof;

(c) whether a proposal has been submitted to him to improve the economic condition of the States in the Eastern zone ; and

(d) if so, the reaction of Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi).: (a) to (d). A Conference of Finance Ministers of States in the Eastern region was held at Patna on 6th August, 1976 to review the National Savings activities and consider suggestions for strengthening the National Savings Movement in the different States in the Eastern region during the curent year. Deputy Finance Minister participated in the Conference. No proposal was submitted at this Conference for improving the economic condition of the States in the Eastern region.

सांकरेल, हावड़ा में नेशनल कम्पनी के जूट मिल के प्रबन्ध का अधिग्रहण

1850. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सांकरेल, हावड़ा में नेशनल कम्पनी के जूट मिल के प्रबन्ध का अधिग्रहण किन परिस्थितियों के कारण किया ;

(ख) क्या निदेशक बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को जूट मिल चलाने का कोई अनुभव है; और

(ग) क्या कुछ समय बाद कम्पनी की मिल भूतपूर्व प्रबन्धकों को सौंप देने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नेशनल कम्पनी, कलकत्ता का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था क्योंकि सरकार का यह समाधान हो गया था कि कम्पनी के प्रभारी व्यक्तियों ने धन इधर-उधर करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिससे कम्पनी के उत्पादन पर असर पड़ने की सम्भावना थी और इस प्रकार स्थिति को रोकना आवश्यक था।

(ख) नये नियुक्त किए गए प्रबन्धक वर्ग को पटसन मिल चलाने में काफी दक्षता हासिल है।

(ग) जी नहीं।

जनता विमानों का संचालन

1851. **श्री विभूति मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे नगरों के लिये जनता विमान चलाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) भारत में जनता विमान कब तक चालू हो जायेंगे तथा यह सेवा किन-किन छोटे और बड़े नगरों के लिये उपलब्ध होगी; और

(घ) क्या तकनीकी जानकारी और डिजाइन शत प्रतिशत स्वदेशी होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ): छोटे नगरों के बीच विमान सेवाएं चलाने की अभी कोई विशिष्ट योजना नहीं है । तथापि, कुछ समय पहले रक्षा मंत्रालय ने एक अध्ययन दल गठित किया था, जिसमें औरों के साथ साथ इंडियन एयरलाइन्स और नागर विमानन विभाग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं । यह दल इस बात की जांच करेगा कि क्या छोटे यात्री विमानों की कोई आंतरिक मांग है और क्या एक ऐसे विमान का देश में ही डिजाइन तैयार करके विकसित करना सम्भव है ? अध्ययन दल ने अभी अपने विचारों को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

दिल्ली एडवोकेट के चेम्बर पर छापा

1852. **श्री विभूति मिश्र** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई मास में दिल्ली के एक एडवोकेट के चेम्बर पर छापा मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो एडवोकेट के चेम्बर से जब्त की गई महत्वपूर्ण सामग्री सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) छिपाई गई आमदनी का पता लगाने में उस सामग्री से सरकार को कितना लाभ हुआ है तथा उस एडवोकेट से सरकार को कितना कर वसूल होने की आशा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : : (क) से (ग). एक एडवोकेट के चेम्बर की तलाशी ली गई थी, जो उसके किसी मुवक्किल के मामले में की गई तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाही के सिलसिले में ली गई थी । मुवक्किल की कुछ लेखा-बहियें पकड़ी गई थीं । मुवक्किल के मामले में जांच-पड़ताल समाप्त होने पर ही राजस्व-लाभ का पता चलेगा । कानून के अन्तर्गत यथाअपेक्षित कर-निर्धारण/दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ की जाएगी ।

अवरुद्ध महगाई भत्त को राशि जमा रखने के सरकार के अनुरोध के प्रति कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

1853. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भुगतान की गई अवरुद्ध महँगाई भत्त की पूरी किस्त अथवा कुछ भाग के स्वैच्छिक रूप से फिर से जमा करने के लिये कर्मचारियों से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : : (क) 7 अगस्त, 1976 को जारी किए गए प्रेस नोट द्वारा सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि हर कर्मचारी अतिरिक्त महंगाई भत्ते की पहली किस्त की पूरी रकम जो उसे अब देय हो गई है, अथवा उसका कुछ हिस्सा अपनी इच्छा से पहली जुलाई, 1981 तक जमा खाते में जमा रख सकता है। घोषणा में यह भी कहा गया था कि ऐसा करने पर उसे इस प्रकार उसकी मर्जी से रखी गई सारी रकम अर्थात् ब्याज सहित अतिरिक्त महंगाई भत्ते की पहली किस्त की जमा रकम पर काफी आकर्षक दर से ब्याज मिलेगा जो अधिकतम बैंक जमा दर से ढ़ाई प्रतिशत अधिक (अर्थात् इस समय साढे बाहर प्रतिशत) है। कर्मचारियों को ये सुविधायें इसलिये दी जा रही हैं कि ताकि वे जमा खाते में अपनी रकमों को पड़ी रहने दें।

(ख) चूंकि इन सुविधाओं की घोषणा सरकार ने अभी 7 अगस्त, 1976 को ही की थी, इसलिये इस विषय में कर्मचारियों और श्रमिकों की प्रतिक्रिया जानना समय-पूर्व होगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेंट्रल जोन के लिये क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक

1854. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेन्ट्रल जोन के लिये क्षेत्रीय सलाहकार समिति की जून, 1976 में भोपाल में एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मकानों के लिये दी गई भूमि के लिये भूमिहीन श्रमिकों को तथा बन्धुआ मजूरी से मुक्त हुये मजदूरों को ऋणों की आवश्यकता के बारे में भी विचार विमर्श हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश एवं उत्तर-प्रदेश राज्यों को मिलाकर बनाए गए मध्य-क्षेत्र की, राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक 19 जून, 1976 को भोपाल में हुई थी। बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें 'बन्धुआ मजदूरी और ग्रामीण कर्जदारी की समाप्ति' के विशिष्ट संदर्भ में 20 सूत्री कार्यक्रम भी एक विषय था। इस बैठक में किये गये मुख्य निर्णय निम्न-लिखित हैं:—

(1) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन सभी बैंकरहित सामुदायिक विकास खंडों और/अथवा बैंकरहित खंड (ब्लाक) मुख्यालयों में शाखायें खोलें जहां कि आवश्यक मूलभूत सुविधायें विद्यमान हैं और जहां विकास की सम्भावना निहित हैं।

(2) मध्य क्षेत्र में, लीड बैंक अपने लीड जिलों के लिये जिला ऋण योजनाएं तैयार करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करें।

(3) एक-जैसे क्षेत्रों में और एक-जैसे प्रयोजनों के लिए, विभिन्न बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों में एक-समानता लाने के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है।]

(4) दस हजार रुपये या इससे कम की ऋण-सीमाओं वाले अग्रिमों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का निपटान तीन या चार सप्ताह की अवधि के अन्दर अन्दर कर दिया जाना चाहिये। तदनुसार, बैंक अपने शाखा-प्रबन्धकों को अनुदेश जारी करेंगे।

वर्ष 1976–77 के दौरान व्यापार घाटा

1855. **श्री रवीन्द्र लाल भाटिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट आरम्भ होने के समय से चल रहा देश का अत्यधिक व्यापार घाटा वर्ष 1976–77 में यकायक लाभ में बदल जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के विदेश व्यापार में 88 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 311 करोड़ रुपये का घाटा रहा था। फिर भी इस अवस्था में चालू वर्ष की अन्तिम स्थिति के बारे में कोई निश्चित बात कहना कठिन है।

पिछड़े जिलों में कार्यक्रम आयोजन में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भाग लिया जाना

1856. **श्री वसन्त साठे** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्य-क्रम आयोजना में और देश के चुने हुये पिछड़े जिलों में क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिये धन जुटाने में, वाणिज्यिक बैंकों को सम्मिलित करने के लिये कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). क्षेत्रीय विकास, लीड बैंक योजना का एक अंग है जिसमें सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक और तीन अन्य अनुसूचित बैंक भाग ले रहे हैं। प्रायः इन कार्यक्रमों में एक जिला व्यापक होता है। हाल ही में, कुछ राज्यों ने चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना (राजस्थान और मध्य प्रदेश), राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना, और नागार्जुनसागर सिंचाई परियोजना (आंध्र प्रदेश) जैसी बड़ी समुचित विकास परियोजनायें आरम्भ की हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों की भी ऐसी कई योजनायें हैं। इनमें से प्रत्येक परियोजना से कई पिछड़े जिले लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं में, कृषि, पुनर्निर्माण और विकास निगम और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर बैंक भाग ले रहे हैं।

कपड़ा मिलों का सरकारीकरण

1857. **श्री एन० एन० शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने के लिये आगे क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने अप्रैल से 31 जुलाई, 1976 तक की अवधि में किसी कपड़ा मिल को अपने हाथ में लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार सामान्यत: बन्द पड़ी और कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने के पक्ष में नहीं है परन्तु वह यह चाहती है कि बन्द मिलों को फिर से खोलने को सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्बद्ध गम्भीर प्रयत्न करें तथापि, दो विशिष्ट मामलों में बन्द मिलों को फिर से खोलने के लिये सभी उपायों को आजमाने के बाद सरकार को जुलाई, 1976 में दो बन्द मिलों को अपने अधीन लेने का विनिश्चय करना पड़ा।

रेलवे हड़ताल के दौरान निलम्बित किये गये लेखा परीक्षा कर्मचारियों को सेवा में वापस लेना

1858. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हड़ताल के दौरान जिन लेखा-परीक्षा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं अथवा जिन्हें निलम्बित किया गया था, उन्हें काम पर वापस ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मई, 1974 की हड़ताल के दौरान कुल 96 लेखा परीक्षा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गयी थीं तथा 170 लेखा परीक्षा कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था जिनकी सेवाएं समाप्त की थीं उनमें से 36 कर्मचारियों को तथा जिनको निलम्बित किया गया था उनमें से 154 कर्मचारियों को वापस ले लिया गया है।

(ख) बाकी व्यक्तियों को वापस न लेने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) **वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं समाप्त की गयीं—**

(i) 40 व्यक्ति न्यायालयों में चले गये। 39 के मामले न्यायाधीन हैं। एक मामले में न्यायालय ने प्रार्थी के विरुद्ध निर्णय दिया था।

(ii) 11 व्यक्तियों ने, अपनी सेवाएं समाप्त कर दिये जाने के पश्चात्, पुनरीक्षण प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया था और इन अभ्यावेदनों को पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा नामंजूर कर दिया गया क्योंकि इन सभी व्यक्तियों ने हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

(iii) 5 व्यक्तियों ने सेवा-समाप्ति के आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन नहीं दिया।

(iv) 4 व्यक्ति शुरू-शुरू में ही न्यायालय में चले गये तथा उन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तथा इस प्रकार उन्हें बहाल कर दिया गया परन्तु बाद में उन्होंने न्यायालय से मामलों को वापस ले लिया और नौकरी छोड दी।

(2) वे कर्मचारी जिनको निलम्बित किया गया :

(i) 12 व्यक्तियों के खिलाफ़ भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत आरोप लगाये गये हैं।

(ii) 4 व्यक्तियों के खिलाफ़ विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा अनुशासनिक कार्यवाही जारी है।

फोम उत्पादकों को उत्पादन-शुल्क में रियायत

1859. **श्री बथालार रवि :**

श्री एस० डी० सोम सुन्दरम :

क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ़ोम उत्पादको को उत्पादन शुल्क में रियायतें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों के लिये कितने उद्योगों ने अर्हता प्राप्त की है;

(ग) क्या प्राकृतिक रबड़ फ़ोम और पोल्योरेथीन फ़ोम उद्योगों में कोई अन्तर रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अधिक उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क से छूट देने की योजना को जिन अन्य मदों पर लागू कर दिया गया है उनमें पोल्योरेथीन फ़ोम भी शामिल है।

(ख) 15 अगस्त, 1976 तक की स्थिति के अनुसार पोल्योरेथीन फ़ोम का निर्माण करने वाले किसी भी औद्योगिक एकक को उत्पादन शुल्क से रियायत मंजूर नहीं की गई थी।

(ग) और (घ). इस योजना पर जब विचार हो रहा था उस समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ़ सूची के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को ध्यान में रखा गया था और इस योजना को नीति तथा प्रशासनिक स्वरूप की विभिन्न बातो के आधार पर चुनी हुई मदों पर ही लागू किया गया। इसलिए किसी प्रकार के भेद-भाव के बरते जाने का प्रश्न ही नहीं है।

सार्वधिक जमा राशि पर ब्याज की दरों में विषमता

1860. **श्री बसन्त साठे** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्षों और इससे अधिक समय के लिये सार्वाधिक जमा राशि पर राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दरों में अत्यधिक विषमता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वधिक जमा राशि पर ब्याज की दरों को युक्तिसंगत बनाने का है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जमाओं पर रिर्जव बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई दरों पर ब्याज देते हैं। फ़िर भी, जमाएं इकट्ठी करने के हित में, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निश्चित विशेष सुविधा वाली जमा योजनाएं बनाये जाने पर रिजर्व बैंक तब तक आपत्ति नहीं करता जब तक ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिया गया ब्याज, यदि कोई उपाय हों तो उन्हें मिलाकर, उपयुक्त स्तरों पर गणना के बाद, स्वीकृत दरों से अधिक नहीं होता।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Reserved Quota for Scheduled Castes Candidates in Government Hotels in Delhi.

1861. Shri Hari Singh : Will the Ministet of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any special efforts have been made by Goverr ment to fill up the reserved quota for Schedloed Caste candidates in the Gazetted posts in the hotels run in Delhi by Government; and

(b) if so, the broad outlines there of and the number of Scheduled Caste candidates selected during the last one year as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Public Sector hotels in Delhi and elsewhere are run by the India turism Development Corporation, an undertaking under the administrative control of the Ministry of Tourism and Civil Aviation. There are no gazetted posts as such in the Corporation However, so far as equivalent posts in this Undertaking are concerned, pecial efforts are being made to recruit Scheduled Caste/Schedule Tribe candidates according to the quota reserved for them. The efforts made include special advertisements, circulation of posts to Scheduled Caste/Scheduled Tribe Organisations, relaxation of qualifications and standards where possible and association of Scheduled Caste/Scheduled Tribe officers in the Selection Committees.

Out of the 33 such posts for which recruitment was made during the year ending 31st July, 1976, nine posts were to be filled from Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates. For all these nine posts, persons belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe were selected.

कर अपवंचन के आरोप में गिरफ्तारियां

1862. चौधरी राम प्रकाश : क्या राजस्व और बैंकिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कर अपवंचन के आरोप में राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) उन पर कर अपवंचकों की कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कर अपवंचन के लिये प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी की कोई व्यवस्था नहीं है।

यद्यपि विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कर अपवंचन के लिये व्यक्तियों को 'गिरफ्तार' करने की कोई व्यवस्था नहीं है, परन्तु तस्करी करने और विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने में लगे व्यक्तियों को निवारक नजरबन्दी की जा सकती है। 3-8-1975 से 31-7-1976 तक की अवधि में केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत तस्करी और विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 1150 निवारक नजरबन्दी आदेश जारी किये थे। जारी किये गये नजरबन्दी आदेशों की राज्यवार स्थिति दिखाते हुए एक विवरण-पत्र अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०--11266/76]

1-7-1975 से 30-6-1976 तक की अवधि में सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की समाहर्तालयवार संख्या, (ये आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं) अनुबन्ध 'ख' के रूप में संलग्न है।

पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत कर अपवंचन के लिये व्यक्तियों की नरजबन्दी की कोई व्यवस्था नहीं होने से उनकी सम्पत्ति के अभिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता है।

31-7-1976 तक फ़रार व्यक्तियों के 19 मामलों में विदेशी मुद्रा अनुरक्षण तथा तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 की धारा 7(1) (ए) के उपबन्धों के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किये गये हैं।

1-7-1975 से 30-6-1976 तक की अवधि में सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 35 करोड़ रुपये मूल्य का माल अभिग्रहीत किया गया था।

पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम के अन्तर्गत अभिग्रहीत माल के मूल्य से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

विमान सेवा उद्योग द्वारा दी गई सुविधाएं

1863. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्टर शुल्क, यात्रा शुल्क और भोजन शुल्क को टिकट में सम्मिलित किया जाता है, अथवा ये विमान सेवा उद्योग द्वारा दी जाने वाली यात्रा सुविधाओं का एक अंग हैं; और

(ख) यदि उन्हें सम्मिलित किया जाता है तो क्या इन्हें वैकल्पिक बनाने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : दो स्थानों के बीच यात्रा करने के लिए एयर लाइन्स द्वारा लिया जाने वाला किराया विमान क्षेत्र से विमान क्षेत्र तक यात्रियों के वहन के लिए है। भोजन तथा पेय पदार्थों को छोड़कर, जो विमान पर दिए जाते हैं, यात्रियों को कोई अन्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती जो अदा किए गए किराए के भाग के रूप में हों।

परन्तु, यात्री टिकट में दर्शाए गए स्थानान्तरण/संयोजी स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा में, एयर लाइन्स 24घंटे की अवधि के लिए होटल आवास, भोजन तथा भू-परिवहन आदि के व्यय की व्यवस्था कर सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संगठन के विनियमों के अनुसार, एयर लाइन्स को यह निर्धारित करने की छूट है कि उनके व्यय को किराए में सम्मिलित किया जाए या नहीं।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट

1864. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत एक-एक वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्राकृतिक रबड़ के मूल्य को पहले वाले स्तर पर पुनः लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): देश में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट आई है जो अंशतः उपजकर्ताओं के पास स्टाक जमा हो जाने के कारण थी।

(ग) सरकार बाजार में कच्चे रबड़ की कीमतों में स्थिरता लाने की समस्या से अवगत है तथा मामले का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में निर्यात के लिए उपजकर्ताओं से खरीदारियां करने के लिए राज्य व्यापार निगम को पहले ही अनुमति दे दी गई है।

काजू का उत्पादन

1865. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में, राज्य वार, काजू का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रतिवर्ष कितने कच्चे काजू का आयात किया जाता है और वर्ष 1974 से 1976 तक के तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने काजू बागान लगाने की एक योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है; और

(ङ) वर्ष 1974 से 1976 के दौरान काजू के निर्यात में सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है और कच्चे काजू के आयात पर वर्ष 1974 से 1976 तक कितनी विदेमी मुद्रा खर्च की है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के लिए कुल तथा राज्य वार उत्पादन आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। काजू विकास निदेशालय कोचीन द्वारा लगाये गये अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 1974–75 के दौरान 1,85,021 मै० टन मात्रा का उत्पादन हुआ।

(ख) कच्चे काजू के वार्षिक आयात आंकड़े प्रति वर्ष अलग-अलग होते हैं। 1974 और उसके बाद के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा मै० टन में
1974	1,77,109
1975	1,34,157
1976 (जनवरी—जुलाई) . .	22,583

(ग) जी हां। इस योजना में गैर सरकारी जोतों में 25,000 हेक्टार क्षेत्रफल में काजू लगाने की व्यवस्था है।

(घ) कृषि मंत्रालय ने केरल सहित विभिन्न काजू उत्पादक राज्यों में 60,000 हेक्टार विभागीय भूमि पर और 85,000 हेक्टार गैर सरकारी भूमि पर काजू के रियायती रोपण की योजना तैयार की है। इस योजना में विभागीय भूमि के लिए प्रति हेक्टार 500 रु० और गैर सरकारी भूमि के लिए प्रति हेक्टार 300 रु० के उपदान की व्यवस्था की गई है जो रोपण के प्रथम दो वर्षों में की जाएगी।

(ङ) 1974 और उसके बाद कच्चे काजू से आयात पर खर्च की गई धन राशि और काजू गिरी तथा काजू के छिलके के द्रव्य के निर्यात से को गई आय का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	निर्यात करोड़ रु० में	आयात करोड़ रु० में
1974 . . .	106.17	40.68
1975 . . .	106.81	32.86
1976 (जनवरी—जून) .	50.29	6.19
(1976 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं)		(जनवरी—जुलाई)

कपड़ा और धागे का उत्पादन

1866. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 की तुलना में 1975 में कपड़ा और धागे का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में आपात स्थिति से पूर्व और उसके पश्चात् कपड़ा और धागे का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) गर-सरकारी क्षेत्र में आपात स्थिति से पूर्व और उसके पश्चात् कपड़ा और धागे का कितना उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन में गिरावट का प्रधान कारण कुछ, राज्यो में बिजली में कटौती लागू किया जाना है।

(ग) तथा (घ). राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों तथा निजी क्षेत्र की मिलों में आपातकाल से पूर्व तथा पश्चात् सूत तथा कपड़े दोनों के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

अवधि	सूत (लाख कि ग्राम)		कपड़ा (लाख मीटर में)	
	एन०टी०सी० की मिलें	निजी क्षेत्र की मिलें	एन०टी०सी० की मिलें	निजी क्षेत्र की मिलें
जनवरी 75 से जून 75 तक .	683	4043	389.7	19669.3
जुलाई 75 से दिसम्बर 75 .	746	4421	398.7	19865.3
जनवरी 76 से जून 76 .	762	4595	398.7	20269.3

तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

1867. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में और चालू वर्ष में जुलाई, 1976 तक गिरफ्तार किये गये तस्करों की संख्या 1973 और 1974 में गिरफ्तार किये गये तस्करों की संख्या से कम है; और

(ख) वर्ष 1973 से 1976 तक कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). वर्ष 1973, 1974, 1975 में तथा मई, 1976 तक सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1973 . . .	2370
1974 . . .	3284
1975 . . .	2997
1976 (मई तक) . .	1371

वर्ष 1976 के जून तथा जुलाई के महीनों के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और सदन-पटल पर रख दिये जायेंगे।

गिरफ्तार किये गये उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त, 31-7-76 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम के अधीन 2173 व्यक्तियों को नजरबन्द भी कर दिया गया है।

पेंशन के अनिर्णीत मामले

1868. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में 6 महीनों तथा उससे अधिक की अवधि से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पेंशन के कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और अन्य दावों के मामलों को शीघ्र तय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों पर, पूरे देश में फैले हुए विभिन्न विभागों में अनेक प्राधिकरणों द्वारा कार्यवाही की जाती है। अतः पेंशन के बकाया मामलों के सम्बन्ध में सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं है। पेंशन के मामलो को निपटाने के सम्बन्ध में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए समय-समय पर नियमों और कार्यविधियों में संशोधन किया जाता है। एक कार्यविधि का निर्धारण किया गया है जो 1-3-76 से प्रभावी है और जिसके अन्तर्गत अधिवार्षिता के मामलों में सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तारीख से पहले ही अनिवार्यतः पशन का प्राधिकार दिया जाएगा तथा जो कर्मचारी 1-3-76 से पहले सेवानिवृत्त हो गये थे उनके पेंशन सम्बन्धी मामलो को अधिक से अधिक 31-8-76 तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

कपड़े पर मूल्य अंकित करने के सरकारी निर्देशों का पालन न किया जाना

1869. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वकारिया :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी मिलों ने कपड़े पर मूल्य अंकित करने के सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दोषी मिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

गिर पर्यटन 'कम्पलैक्स'

1870. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वकारिया :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या गिर पर्यटन कम्पलैक्स बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कौन से क्षेत्र आयेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) गिर पर्यटन कम्पलेक्स का विकास करने के लिए एक स्कीम राज्य सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग सासनगिर में एक फोरेस्ट लॉज का निर्माण कर रहा है। लॉज की प्रबंध व्यवस्था भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा की जाएगी।

(ख) राज्य स्कीम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं : सासन, बेरावल, सोमनाथ तथा पोरबन्दर।

गैर-बैंकिंग कम्पनियों की जांच के लिए समिति

1871. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या राजस्व और बैंकिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में गैर-बैंकिंग कम्पनियों की गतिविधियों की जांच के लिए एक समिति स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एकल किस्म निरीक्षण तथा नियन्त्रण संगठन की स्थापना

1872. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों तथा निगमों सहित अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा उत्पादित निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए एकल किस्म निरीक्षण तथा नियंत्रण संगठन की स्थापना की आवश्यकता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कौन से क्षेत्र आयेंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Trade Agreement between India and Australia

1873. **Shri Chiranjib Jha :**
Shri Arjun Sethi :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Australian Government have agreed to revise its import policy to remove the disparity in the customs duty on the cotton textiles manufactured in India ;

(b) if so, the main features of the policy; and

(c) the brief outlines of the long-term agreement reached between the two countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

विकासशील देशों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना

1874. **श्री भाऊ साहेब वामनकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे उत्तम परम्परागत किस्म के फर्नीचर तथा लकड़ी के फर्नीचर की बिक्री के लिए मंडियों का पता लगाने के लिए फर्नीचर बनाने वाले का एक प्रतिनिधिमंडल हाल में विदेशों में गया था ; और यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल को किसने भेजा था ;

(ख) प्रतिनिधिमंडल को क्या आदेश प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली है, और क्या आदेश किन देशों से मिले हैं ; और

(ग) क्या विकासशील देशों में इस बारे में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु सहयोग के करारों की कोई सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। इस प्रतिनिधिमंडल का वित्त-प्रबन्ध भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया था।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में 5 लाख रु० मूल्य के फर्नीचर संघटकों की बिक्री के लिए क्रयादेश प्राप्त किये और फ्रांस में 5 लाख रु० का और फर्नीचर बेचने के लिए क्रयादेश बुक किये।

(ग) भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सहयोग के करारों की सम्भावनाएं हैं।

इंडियन एयर लाइन्स का कार्यकरण

1875. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री-यातायात तथा माल-यातायात की दृष्टि से इंडियन एयरलाइंस का कार्यकरण कैसा है और गत वर्ष की तुलना में यह कैसा रहा तथा कितनी प्रतिशत वृद्धि-दर प्राप्त हुई ;

(ख) इस अवधि के दौरान, वर्तमान अनुसूची के अनुसार विभिन्न प्रकार के विमानों का वार्षिक योग कितना हुआ ; और

(ग) क्या यात्री तथा माल यातायात में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस विमान कम्पनी की सेवाओं में नये विमानों तथा एयर-बसों को शामिल करने की कोई योजनायें हैं ; और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निम्नलिखित आंकड़ों से इंडियन एयरलाइंस के, यात्री यातायात एवं माल यातायात दोनों ही के संबंध में, कार्य-निष्पादन का पता चलता है :—

	1974-75	1975–76	प्रतिशत वृद्धि
वाहित यात्रियों की संख्या	2,889,360	3,359,233	16.26
वाहित माल, जिसमें अनुमत सीमा से अधिक सामान (एक्सेस बैगेज) भी सम्मिलित है (टनों में)	20,020	24,317	21.46

(ख) 1974–75 व 1975–76 के दौरान (टाइपवार विमान) वार्षिक उपयोगिता तथा वर्तमान अनुसूची के अनुसार उपयोगिता के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

विमान का प्रकार	विमान उपयोगिता (प्रति वर्ष प्रति विमान)		
	1974–75	1975–76	वर्तमान अनुसूची के अनुसार
बोइंग 737 . .	2296	2753	2786
कारवेल . . .	2418	2558	2665
वाइकाउंट . .	936	796	657
एफ–27	2185	2287	2482
एच० एस० 748	2081	2564	2593

(ग) कारपोरेशन ने तीन एयरबस ए 300 बी 2 विमानों के लिए आदेश दिए हैं, जिनका वितरण 1976 की अंतिम तिमाही में होना है और जिनका दिसम्बर, 1976 से क्रमश: परिणामस्वरूप परिचालन चालू कर देने की आशा है। इन विमानों में 273 यात्रियों के बैठने की सीटें होंगी तथा 10 से 12 मीटरी टन माल की वहन क्षमता होगी।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन

1876. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात प्रधान वस्तुओं के कर में कुछ छूट देने हेतु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, अधिनियम में संशोधन भी शामिल है, लोक सभा के चालू सत्र में पेश किये जाने का प्रस्ताव है।

जमाखोरों, तस्करों तथा आर्थिक अपराधियों के यहाँ छापे

1877. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 में (31 जुलाई, 1976 तक) जमाखोरों, तस्करों तथा आर्थिक अपराधियों के यहां मारे गये छापों से कुल कितने धन का पता लगा ; और

(ख) पकड़े गये इस धन से इन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना कर तथा जुर्माना वसूल किया गया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) लेखा बाह्य आय/परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में (31 जुलाई 1976 तक), आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गयी तलाशी और अभिग्रहण की कार्य वाहियों में पकड़ी गयीं परिसम्पत्तियों के मूल्य नीचे लिखे अनुसार है :—

	पकड़ी गयीं परिसम्पत्तियों का मूल्य
	(लाख रुपयो में)
1974–75	1713
1975–76	2135
1976–77 (31 जुलाई 1976 तक) . .	510

(ख) मूल्यवान परिसम्पत्तियों/लेखा-बहियों आदि के अभिग्रहण के मामले में नियमित करनिर्धारण/निर्धारणों को पूरा करने के लिए विस्तृत जांच-पड़ताल करनी पड़ती है, जिसमें पकड़ी गयी लेखा-बहियों की छान-बीन करना और कर-निर्धारिती को अपना स्पष्टीकरण आदि देने के लिए उपयुक्त अवसर दिया जाना भी शामिल है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है।

उपर्युक्त अभिग्रहणों के मामलो के सम्बन्ध में और जिनमें अब तक कर-निर्धारण पूरे किये गये हैं उन मामलों के सम्बन्ध में वसूल किये गये कर एवं दण्ड की सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्र करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले (मामलों) के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

डाकघर बचत योजनाओं में जमा राशि का उपयोग

1878. **श्री आर० एन वर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या किसी राज्य में डाकघर बचत योजनाओं के अधीन जमा राशि का उपयोग उसी राज्य से आर्थिक विकास के लिये किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 के दौरान छोटी बचतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित राज्यों ने इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुशीला रोहतगी) : (क) डाकघर बचत बैंक में जमा राशियां केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियां होती हैं। लेकिन प्रत्येक राज्य में छोटी बचतों की जमा निवल राशियो को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार को विकास प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित फारमूले के अनुसार ऋण दिए जाते हैं।

(ख) अप्रैल 1975 से मार्च 1976 तक की अवधि के दौरान निवल छोटी बचतों की जमा राशियों के राज्य वार आंकड़े और उन्हें दी गई ऋणों की राशि (फरवरी 1976 तक जमा राशियों के विरुद्ध) संलग्न विवरण में दिखाई गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—11267/76]। यह प्राप्तियां राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियों का भाग होती हैं और जिन प्रयोजनों पर इन प्राप्तियों की रकम खर्च की गई उनको अलग अलग बताना संभव नहीं है।

पूर्वी जोन में औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना

1879. **श्री आर० एस० बर्मन** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों के कुछ मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र सरकार से पूर्वी राज्यों के लिये अलग से औद्योगिक विकास बैंक स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या एक ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि वर्तमान सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो किये गये सुझावों का स्वरूप क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) से (ग): बिहार के मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री को सम्बोधित अपने पत्र में यह सुझाव दिया था कि या तो एक 'क्षेत्रीय औद्योगिक विकास बैंक' का गठन किया जाय और उसका मुख्य कार्यालय पटना में हो या फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को कार्मिक दृष्टि से सुदृढ़ किया जाय और परियोजना विषयक ऋण आवश्यकताओं के वास्ते स्वीकृति देने के लिए उसे पूर्ण शक्तियां दी जायें। अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य मंत्री को सूचित किया गया था कि :—

1. बिहार राज्य में निवेश के लिए ऋण सहायता के विस्तार के लिए सावधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपाय किये जा रहे हैं। फिर भी, महत्वपूर्ण परिणाम तभी प्राप्त हो सकेंगे जब मूलभूत ढांचे का पर्याप्त विकास हो और राज्य प्राधिकरणों एवं संगठनों की ओर से समनुरूप (मैचिंग) विकास सहायता प्राप्त हो।

(2) पूर्वी राज्यों को सेवा प्रदान करने वाले, 'भारतीय विकास बैंक' के क्षेत्रीय कार्यालय का दर्जा मार्च, 1976 में बढाया जा चुका है तथा उस कार्यालय को और शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गयी हैं।

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पटना स्थित शाखा कार्यालय का दर्जा भी, अतिरिक्त शक्तियों सहित, बढाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय औद्योगिक विकास के अधिक संतुलन की आवश्यकता के विचार से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का, अलग से एक क्षेत्रीय कार्यालय सितम्बर, 1976 से गोहाटी में खुल जाने से, इस बैंक का कलकत्ता

कार्यालय पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति अपेक्षया बेहतर तौर पर कर सकेगा ।

(2) भुवनेश्वर में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम के शाखा-कार्यालय हैं ।

(3) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्गठन और पुनर्वास की व्यवस्था के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अप्रैल, 1971 में कलकत्ता में, 'भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम' की स्थापना की थी। इस निगम द्वारा दी गयी सहायता का अधिकांश पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी क्षेत्र को ही उपलब्ध हुआ ।

(4) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से अर्थक्षम परियोजना प्रस्तावों का पता लगाने के लिए बिहार और उड़ीसा राज्यों तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक संभाव्यता विषयक सर्वेक्षण किये हैं ।

(5) बिहार और उड़ीसा राज्यों में उद्यमकर्त्ताओं एवं संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जून, 1974 में पटना में 'बिहार इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसलटेंसी आरगानाइजेशन' का; और जुलाई, 1976 में 'उड़ीसा इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसलटेंसी आरगानाइजेशन' का गठन किया ।

(6) औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम के कलकत्ता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। औद्योगिक वित्त निगम का पटना में भी शाखा कार्यालय है जो उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास से सम्बद्ध सरकारी विभागों और निकायों से घनिष्ठ सम्पर्क के उद्देश्य को पूरा करता है ।

चाय बगानों की अत्यधिक बोली

1880. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में चाय के बागानों में जो सुधार हुआ है उससे इन बागानों को नीलामी में ऊंचे मूल्य देने वाले आने लगे हैं ;

(ख) क्या चाय बागानों के लिए जो मूल्य अब दिये जा रहे हैं वह 1974 में दिये जाने वाले मूल्यों से बहुत अधिक हैं और यह मूल्य-वृद्धि 50 से 100 प्रतिशत तक अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). भारतीय कम्पनियों के स्वामित्व वाले चाय बागानों के विक्रय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्टर्लिंग चाय बागानों के मामले में यह सत्य है कि जो मूल्य अब दिए जा रहे हैं, वे दो वर्ष पहले दिए गए मूल्यों से अधिक हैं। तथापि, 1976 में चाय बागानों के लिए दिए गए मूल्यों की साथक तुलना 1974 में दिए गए मूल्यों के साथ तभी संभव होगी जब उसी चाय उपजकर्ता क्षेत्र से काफ़ी संख्या में मामले उपलब्ध हों ।

पर्यटकों के लिये लागत कम के आवासों, बोर्डिंग हाउसों तथा होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए कार्यवाही

1881. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिये जो आलीशान होटलों में ठहरने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, कप लागत के आवासों, बोर्डिंग हाउसों तथा होटलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय बड़े नगरों/कस्बों में ऐसे प्रतिष्ठानों की अनुमोदित सूची रखता है ;

(ग) सरकारी अनुमोदित सूची में दर्ज होने के लिये ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए क्या शर्तें तथा मानदण्ड रखे गये हैं ; और क्या ऐसे प्रतिष्ठानों के नाम सरकार द्वारा प्रकाशित सभी पर्यटक-निर्देशिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो बड़े नगरों/कस्बों में स्थित ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची का क्या है ; और

(ङ) इन प्रतिष्ठानों में नाश्ते सहित तथा पूरे भोजन सहित औसतन दनिक दरें क्या हैं ?

पर्यटम और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निम्न आय वर्ग के पर्यटक बंगलों की एक श्रृंखला स्थापित की है जिसकी एक सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी--11268/76**] ।

इनके अतिरिक्त, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग ने विदेशी तथा देशीय दोनों प्रकार के मध्य एवं निम्न आय वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से युवा होस्टलों, पर्यटक बंगलों तथा शिविर स्थलों के रूप में सस्ते आवास की व्यवस्था करने की स्कीम चालू की है। इस स्कीम के ढ़ांचे में, 14 युवा होस्टल तथा 7 पर्यटन बंगले पहले ही कार्य कर रहे हैं। एक युवा होस्टल तथा चार पर्यटक बंगलों के शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) से (ङ). पर्यटन विभाग होटलों का अनुमोदन विदेशी पर्यटकों के लिए उनकी उपयुक्तता के दृष्टिकोण से करता है तथा ऐसे होटलों की, प्रत्येक के अनुमोदित किरायों सहित, सूची होटल गाइड में दी गयी है जिसका पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक प्रकाशन किया जाता है। ऐसे अनुमोदित होटलों का उल्लेख सम्बद्ध पर्यटन प्रचार साहित्य में भी किया जाता है। युवा होस्टलों में कमरे का किराया प्रति रात्रि प्रति व्यक्ति 4 रुपए है। पर्यटक बंगलों में, यह किराया दो शय्याओं वाले कक्षों के लिए 25 से 35 रुपए प्रति दिन है तथा एक शय्या वाले कक्ष के लिए 20 से 25 रुपए प्रति दिन है। एक स्टार वर्ग के होटल में, जिसका उपयोग निम्न आय वर्ग के पर्यटकों द्वारा किया जा सकता है, यह किराया एक शय्या वाले कक्ष के लिए लगभग 25 से 50 रुपए तथा दो शय्याओं वाले कक्ष के लिए लगभग 45 से 80 रुपए है।

विदेशों को निर्यात के लिये कारवाड़ और केल्लोंकेरी से लोह अयस्क की ढुलाई

1882. **श्री बालकृष्ण वेंकप्पा नायक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको लोह अयस्क की खपत वाले देशों को निर्यात के लिए कारवाड़ और बल्ली केरी पत्तनों से लोह अयस्क की धीमी ढुलाई के बारे में कोई खबर मिली है ;

(ख) यदि हां, तो किस से और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या हबली कारवाड़ और वल्लीकेरा के बीच लौह अयस्क की ढुलाई का काम इतना काफी है कि उस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाया जाना उचित है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस बारे में रेल मंत्रालय को सूचित किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ). कारवाड़ तथा बेतलीकेरी पत्तनों से लौह अयस्क के निर्यात में गिरावट से सरकार अवगत है। श्री बी० वी० नाइक ने वाणिज्य मंत्री के साथ हुई बात-चीत में भी यह प्रश्न उठाया था। इस पत्तन का प्रबन्ध राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और शीघ्र ही निर्यात पुनः शुरू हो जाएंगे।

अयस्क की वर्तमान ढुलाई इतनी ज्यादा नहीं है कि हुबली कारवाड़ तथा बेतलीकेरी के बीच रेल लाइन बिछाना उचित ठहराया जा सके।

पोलण्ड में प्रदर्शनी

1883. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यरो एक गैर सरकारी फर्म के विरुद्ध जिसने पोलैंड में एक प्रदर्शनी लगाई थी, जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). प्रदर्शनियों के संगठन को रिलीज की गई विदेशी मुद्रा का हिसाब किताब दिये जाने से सम्बन्धित मामले पर प्रवर्तन निदेशालय सी० बी० आई० तथा इस मंत्रालय द्वारा उसे दी गई जानकारी के आधार पर विचार कर रहा है। संगठन ने दावा किया है कि उसने पूरा हिसाब किताब भारतीय रिजर्व बैंक को दे दिया है प्रवर्तन निदेशालय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी अन्तिम पुष्टि किए जाने की इंतजार कर रहा है।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा प्रदर्शनी निदेशालय के अधिकारियों की जाँच

1884. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रदर्शनी निदेशालय के कितने अधिकारियों की जांच की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इस समय प्रदर्शनी निदेशालय के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में सी० बी० आई० की जांच नहीं चल रही है।

पि ले डुबई मेले के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

1885. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत डुबई मेले के दौरान प्रदर्शनी अधिकारियों के विरुद्ध कदाचार और हेर फेर के बारे में लगाया गया कोई आरोप उनके मंत्रालय के ध्यान में आया है ;

(ख) यदि हां, तो वे अधिकारी कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय विदेशों में प्रदर्शनियों में नियुक्त अधिकारियों के बारे में सम्बन्धित भारतीय राजदूतों से, गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त करता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). प्रदर्शनी के स्टॉल और इसे आयोजित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा हेर फेर की शिकायत की ओर इस मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया था। शिकायत प्राप्त होते ही राजदूत से गोपनीय तौर पर पूछताछ की गई जिसने शिकायत की पूरी तरह से खंडन किया और बताया कि उसमें सत्य लेशमात्र भी नहीं है।

(ग) मंत्रालय सदा मेलों में भाग लेने तथा प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में राजदूतावास से रिपोर्ट मांगता है और यदि कोई शिकायत आती है, जैसा कि इस मामले में आ है, तो राजदूतावास से विशेष रूप में पूछताछ की जाती है।

बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालक

1886. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में कुछ वाणिज्यिक विमान चालक बेरोजगार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। देश में इस समय लगभग 200 विमानचालक बेरोजगार हैं।

(ख) उन्हें रोजगार दिलाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) नागर विमानन विभाग में सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के नियमों में वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस को एक स्वीकाय अर्हता के रूप में सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया गया है ;

(2) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) ने बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों को फसल पर छिड़काव करने के परिचालनों के लिए संपरिवर्तन प्रशिक्षण (कन्वशन ट्रेनिंग) देने पर विचार करना मान लिया है ;

(3) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया को परामर्श दिया गया है कि जहां कहीं संभव हो वे बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों का उपयोग करें ;

(4) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि, जहां कहीं संभव हो, वे वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारियों को अपने यहां नौकरी देने पर विचार करें।

कृषि विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निधि

1887. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जून, 1976 में रोम में हुई 18 देशों की तैयारी बैठक में कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि शुरू करने के लिए किसी सूत्र का सुझाव दिया है ; और

(ख) उसमें क्या अन्तिम निर्णय लिये गये ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख). भारत ने जून, 1976 में रोम में प्रतिनिधियों के पूर्णाधिकार प्राप्त सम्मेलन में भाग लिया था और उसने कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया था। बैठक में यह निर्णय किया गया था कि जैसे ही प्रारम्भिक अंशदानों की रकम कम से कम 100 करोड़ अमरीकी डालर के बराबर हो जाए वैसे ही निधि की स्थापना सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किए जाने का काम शुरू कर दिया जाए।

ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाना

1888. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा है कि वे ऋण देने संबंधी प्रक्रियाओं को विशेष रूप से निर्धन व्यक्तियों के मामले में सरल बनायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निदेश जारी किये हैं ; और यदि हां, तो इन निदेशों का सारांश क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को अपनी ऋण देने की प्रक्रियाओं को, विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के विषय में, सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिये निदेश दे दिये हैं और बैंक इन निदेशों को कार्यान्वित कर रहे हैं। बैंकों ने कृषि और छोट पैमाने के उद्योगों के लिये ऋण संबंधी सरलीकृत आवेदन-पत्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है। इस प्रकार के ऋणकर्ताओं को आवेदन-पत्रों के भराने और यथावश्यक अपेक्षित आंकड़े सुलभ कराने में भी सहायता प्रदान की जाती है। शाखा प्रबन्धकों को पर्याप्त शक्तियां दे दी गयी हैं कि वे ऋणकर्ताओं को दिये जाने वाले अधिकांश ऋणों को तत्काल रूप से शाखा स्तर पर ही स्वीकृत कर सकें। बैंक समय समय पर अपने आंतरिक क्रिया विधियों की समीक्षा करते रहते हैं ताकि ऋण स्वीकार करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके।

आयकर अधिकारियों के घर से जब्त किये गये दस्तावेज

1889. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नई दिल्ली में 23 जून, 1976 को, एक आयकर अधिकारी के घर से सावधिक जमा, बैंक लाकरों तथा विभिन्न फर्मों के शेयरों, जिनका मूल्य कई लाख रुपये है, सम्बन्धी दस्तावेज पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये आगे क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 23 जून, 1976 को नई दिल्ली में किसी आयकर अधिकारी के घर की तलाशी नहीं ली गयी थी। परन्तु, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 19 जून, 1976 को कलकत्ता में एक आयकर अधिकारी के निवास स्थानों की तलाशी लेने से, नकदी तथा दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनसे पर्याप्त रकम के बैंक खातों, सावधिक जमा रसीदों, शेयरों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का पता चला है। एक बैंक लाकर होने का भी पता चला है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यरो अभी भी मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।

(ग) मुनासिब जांच-पड़ताल के बाद उपयुक्त कार्यवाही के लिए, ऐसे मामलों का पता लगाने में निरन्तर सतर्कता बरती जाती है।

आर्थिक विकास में वृद्धि के लिये कार्यवाही

1890. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशा से कि आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी पूंजी निवेश बढ़ाने का कुछ हद तक जानबूझकर जोखिम उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार को इस बारे में किस हद तक सफलता मिली है ; और

(घ) क्या इससे अब सभी वस्तुओं के मूल्यों में कमी नहीं हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) जिन मूल आधारों और पूर्वानुमानों के आधार पर विकास की पहले से अधिक दर प्राप्त करने के विचार से सरकार ने वर्ष 1976–77 के लिए पूंजी परिव्यय में वृद्धि की थी, उनका ब्यौरा 1976–77 के बजट भाषण में तथा उस वर्ष की वार्षिक आयोजना में दिया गया है। मोटे तौर पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में पूंजी के अधिक लगाने के ये कारण हैं; अनाज का काफी संतोषजनक स्टाक, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में भारी वृद्धि, खेती और उद्योगों के काम आने वाली वस्तुओं का पहले से अधिक मात्रा में उपलब्ध होना और गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता का होना है। इन अनुकूल बातों और मुद्रा संबंधी और राजकोषीय

कड़े अनुशासन को बनाए रखने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया कि पूंजी परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करने से कीमतों को स्थिर बनाए रखने पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ). चूंकि 1976-77 के लिए परिकल्पित पूंजी परिव्यय सारे राजकोषीय वर्ष के लिए है इसलिए इस समय इसके प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन होगा। फिर भी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और शेयर बाजार की अच्छी स्थिति आदि के रूप में धीरे धीरे इसके लाभकारी प्रभाव सामने आ रहे हैं चूंकि मूल्यों पर उत्पादन में वृद्धि होने का प्रायः अच्छा असर पड़ता है इसलिए आशा है कि यथासमय यह प्रवृत्ति मूर्तरूप ले लेगी।

गहन विकास के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चुने गये जिले

1891. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने गहन विकास के लिए समूचे देश में से केवल चार जिलों को चुनने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा क्या उन जिलों में बिहार का भी कोई मामला शामिल है ; और

(ग) इन जिलों के चुनाव संबंधी मापदण्ड क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने गहन विकास कार्य के लिए न तो सारे देश में से चार जिलों को अपनाया है और न उसका ऐसा करने का प्रस्ताव ही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास के लिये आदिवासियों को बैंक ऋण

1892. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास के लिये आदिवासी परिवारों को ऋण देने हेतु स्टेट-बैंक आफ इंडिया सहित राष्ट्रीयकृत बैंको को कोई निर्देश दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) आदिवासी परिवारों को, विशेषकर बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में, अब तक किये गये ऐसे ऋणों संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए ऋण देने विषयक

कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किये हैं, तो भी अनुसूचित जनजातियो से संबंध रखने वाले आदिवासियों को विभेदी व्याज दर योजना के अधीन 4 प्रतिशत की ब्याज-दर पर रियायती वित्तीय सहाता दी जाती है ।

जून, 1976 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समाज के कमजोर वर्गों को आवास-ऋणों विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ।

(ग) बैंक आदिवासियो को दिये जाने वाले अपने अग्रिमो के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखते हैं ।

बिहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान बनाने हेतु योजना का वित्त पोषण

1893. **श्री एम० एम० पुरती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसरण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए मकान बनाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) और (ख). 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसरण में बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए मकान बनाने के सम्बन्ध में रुपया देने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के स्थानीय मुख्यालय

1894. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैट बैंक आफ इण्डिया के स्थानीय मुख्यालयों के नाम क्या हैं और 30 जून, 1976 को उन में से प्रत्येक द्वारा कितने शाखा/उप-कार्यालयों पर नियंत्रण किया जाना था ;

(ख) क्या नई दिल्ली जैसे मुख्यालय का काम, जिसके नियंत्रण में 650 से अधिक शाखाएं हैं, शिमला और चण्डीगढ/श्रीनगर में नये मुख्यालय खोलकर बांटने का है ताकि उनके अन्तर्गत आने वाली शाखाओं पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके;

(ग) क्या अतिरिक्त स्थानीय मुख्यालय खोलने तथा नई दिल्ली मुख्यालय के काम को बांटने की कोई मांग सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ध) सरकार उक्त मांग पर कब तक निर्णय ले लेगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय स्टैट बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालयों के नाम और उनमें से प्रत्येक के नियंत्रणाधीन शाखाओं/उप-कार्यालयों की संख्या की 30 जून, 1976 की स्थिति संलग्न विवरण में दी जा रही है ।

(ख); ग और (घ). (ग) सरकार और भारतीय स्टैट बैंक से चण्डीगढ सहित विभिन्न केन्द्रों में नये स्थानीय मुख्य कार्यालय खोलने की मांग की गयी है और उस पर विचार भी किया गया है । किन्तु, बैंक ने सूचित किया है कि और अधिक मंडल (सर्किल) कार्यालय खोलने का फिलहाल उसका कोई विचार नहीं है ।

विवरण

भारतीय स्टट बैंक के 9 स्थानी मुख्य कार्यालयों में से प्रत्येक के नियंत्रणाधीन शाखाओं और उप-कार्यालयों की संख्या 30 जून, 1976 की नीच लिय अनुसार थी:—

क्रम संख्या	स्थानीय मुख्य कार्यालय का स्थान	नियंत्रणाधीन शाखाओं की संख्या	नियंत्रणाधीन उप-कार्यालयों की संख्या
1	बंगाल . . .	409	140
2	बम्बई . . .	298	88
3	मद्रास . . .	351	113
4	दिल्ली . . .	417	272
5	कानपुर . . .	330	142
6	अहमदाबाद . . .	181	88
7	हैदराबाद . . .	257	138
8	भोपाल . . .	201	107
9	पटना . . .	214	177

जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

1895. **श्री नरेन्द्र कुमार सांझी** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के गठन के समय 5 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक मूल निवेश पर सरकार को निगम से लाभ में से अपने भाग के रूप में अब तक 30.6 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं;

(ख) क्या वैधानिक दायित्वों के कारण नवीन जीवन बीमा निगम केवल कम लाभ देने वाली सरकारी परियोजनाओं में ही धन लगाता है और इस प्रकार इसका लाभ कम रहता है; और

(ग) क्या प्रशासनिक लागत में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और इन सब का प्रभाव यह है कि जीवन बीमा निगम पालिसी होल्डरों के बोनस में वृद्धि करने अथवा प्रीमियम की दरें कम करने में असफल रहा है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अधीन ऐसे लाभ का 95 प्रतिशत या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत इससे अधिक प्रतिशत निगम के जीवन बीमा पालिसी होल्डरों के नाम निर्धारित कर दिया या उनके लिए सुरक्षित रख दिया जाता है और यदि कोई और समायोजन करना हो तो उसके बाद शेष रकम केन्द्रीय सरकार को दी जानी होती है । निगम विभिन्न मूल्यांकनों के अनुसार लाभों की राशि का 95 प्रतिशत जीवन बीमा पालिसी होल्डरों के नाम निर्धारित करता रहा है और 31 मार्च, 1973 तक किए गए विभिन्न मूल्याकनों के अनुसार और इसी तारीख तक बकाया एक रकम को मिला कर लाभ की पांच प्रतिशत राशि 30.6 करोड़ रुपए होती है ।

(ख) किसी भी जीवन बीमा कम्पनी द्वारा पूंजी लगाये जाने का मूलभूत सिद्धान्त यह होता है कि पूंजी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए और इस प्रकार लगाई गयी पूंजी से वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो । जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाए जाने के सम्बन्ध में जो निर्देशक सिद्धान्त बनाए गए हैं वे इन्हीं सिद्धान्तों के अनुरूप है और मोटे तौर पर उसी कानूनी व्यवस्था के समान हैं जो भूतपूर्व जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा राष्ट्रीयकरण के पूर्व लगाई गई पूंजी पर लागू होती थी । इन निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार जीवन बीमा निगम को अपनी नियंत्रित निधि में होने वाली वार्षिक वृद्धियों की रकम का कम से कम 75 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में लगाना होता है जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सिक्योरिटियों में लगाना होता है । इस प्रकार लगाई गई पूंजी से अपेक्षाकृत जो कम आमदनी होती है, उस पर ऐसी पूंजी से पूरे किए जाने वाले सामाजिक प्रयोजनों को ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए ।

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा 1957 में बन्दोबस्ती बीमे के लिए प्रति हजार 12.80 रुपए और आजीवन बीमे के लिए प्रति हजार 16.00 रुपए के हिसाब से बोनस दिया जाता था । अब यह रकम धीरे धीरे बढ़ कर क्रमशः 17.60 रुपए और 22.00 रुपए हो गई । किन्तु निगम के खर्चों पर कीमतों के बढ़ने का बुरा असर पड़ने के कारण 1969 से इस रकम को और नहीं बढ़ाया जा सका । इसके अलावा, मृत्यु दर में कमी होने का कारण जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसका लाभ भी बीमा कराने वालों को दिया जा रहा है । अब निगम उन लोगों का बीमा कर रहा है जिसका पहले नहीं किया जाता था या जिनका बीमा कुछ शर्तों के साथ किया जाता था । जीवन बीमा निगम ने, काफी विचार-विमर्श के बाद, बिना लाभ की कुछ बीमा पालिसियों की दरें भी घटा दी हैं।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में जीवन बीमा निगम को मृत्युदर के कम होने और निगम द्वारा लगाई गई पूंजी पर अधिक आमदनी होने से काफी फायदा हुआ है लेकिन लाभ सहित बीमा पालिसियों के प्रीमियमों में कमी करना या बोनस की दरें बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका क्योंकि अन्य बातों के साथ साथ कीमतों के बढ़ने के कारण निगम के प्रबन्ध व्यय में तेजी से वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप यह फायदा बराबर हो गया है। आपात स्थिति की घोषणा के कारण अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता आई है और जीवन बीमा निगम में अनुशासन और उत्पादकता में सुधार हुआ है लेकिन बीमांकन द्वारा इसे तभी हिसाब में लिया जा सकता है जब सुधार की यह प्रवृत्ति स्थायी हो जाए। अतः जब तक निगम का खर्च इकसार नहीं हो जाता तब तक जीवन बीमा निगम ने लाभ वाली पालिसियों के प्रीमियमों की दरें घटाने के सवाल पर विचार करना स्थगित कर दिया है। सरकार को आशा है कि निगम जैसे ही ऐसा करना व्यवहार्य समझेगा, इस मामले पर विचार करेगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा गैर-सरकारी उद्योग को सीमेंट के निर्यात की अनुमति

1896. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने गैर सरकारी उद्योग को कुछ शर्तों पर सीमेंट का निर्यात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां तो इस उद्देश्य हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) यह योजना कैसी चल रही है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। सीमेंट के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम अभी भी एक मात्र मार्गीकरण एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एयर टैक्सियों का चलाया जाना

1897. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की विमान सेवा से सम्पर्क नहीं है;

(ख) यदि हां तो क्या इन स्थानों के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार ने छोटी एयर टैक्सियों चलाने की संभाव्यता पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइंस के परिचालन यातायात की मांग पर निर्भर करते हैं जनसंख्या पर नहीं । कारपोरेशन भुज, जोरहाट, केशोद, खुजराहो, लीलाबाड़ी, पोर्ट ब्लेयर, तेजपुर जैसे ऐसे स्थानों के लिये भी विमान सेवाओ का परिचालन कर रही हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है ।

(ख) और (ग) छोटे नगरों के बीच विमान सेवाओ की व्यवस्था करने के लिए अभी कोई विशेष स्कीम तैयार नहीं की गयी है । परन्तु, छोटे नगरों को उपयुक्त छोटे विमानों द्वारा विमान सेवा से जोड़ने की संभावना का अध्ययन किया जा रहा है ।

भारत में चाय ब्लेंडिंग उद्योगों की स्थापना

1898. श्री पी० गंगादेव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से निर्यात होने वाली सारी चाय को देश में ही ब्लेंड नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा की प्रत्यक्ष आय को बढ़ाने के लिये भारत में चाय ब्लेंडिंग आयोग स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चाय की सप्लाई विदेशो में आयातकों को उनकी आवश्यकता एवं विशिष्टियों के अनुसार की जाती है । अधिकांश आयातक देशों के पास ब्लेंडिंग की अपनी सुविधाएं हैं और वे विभिन्न उद्भवों की चाय की कीमतो के स्तर, स्थानीय उपभोक्ताओं की रुचि एवं पसन्द के अनुसार ब्लेंड तथा पैकटों में बन्द करते हैं । हमारे चाय के निर्यातों में केवल 25 प्रतिशत निर्यात ही ब्लैंडेड चाय की शक्ल में होते हैं ।

(ग) चाय ब्लैंडिंग के क्षेत्र मे भारत के पास पर्याप्त विशेषज्ञता है । सरकार पैकटो वाली चाय, थैलियों वाली चाय तथा तुरन्त चाय जैसे चाय के संसाधित किये एवं तैयार उत्पादो के निर्यातों में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है ताकि चाय से लगभग निर्यात आय बढ़ाई जा सके । इसी उद्देश्य से भारतीय चाय व्यापार निगम नामक एक सरकारी क्षेत्र के निगम की स्थापना पहले ही की जा चुकी है । सरकार ने इन मदो को "गैर-परम्परागत" के रूप में वर्गीकृत किया है और इन मदों के निर्यातकों को नकद मुआवजा सहायता, उत्पादन शुल्क पर छूट, पैकिंग सामग्री पर शुल्क की वापसी, आयात पूर्ति, मशीनों एवं सामग्री आदि के आयात के लिए आयात की अनुमति जैसे विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये गये हैं । इन सुविधाओं से निःसन्देह नई फर्मों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।

गरीब लोगों को उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु राज्यों को ऋण

1899. श्री पी० गंगादेव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को समाज के निर्धन वर्ग की उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित संसाधनों का दो-तिहाई भाग जुटाने हेतु ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो उपभोग ऋण प्रदान करने सम्बन्धी सिद्धान्त क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसी कोई आरक्षित निधि बनाई जायेगी जिसमें केन्द्र तथा राज्यों का बराबर भाग होगा !

राजस्व और बैंकिंग विभाग मे प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) : ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षाया निर्धन वर्गों की शुद्ध उपभोग ऋण की जो आवश्यकताएं सहकारी समितियों द्वारा पूरी नहीं की जा सकती । उस क्षेत्र अर्थात 'ग्रे' क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक धन के दो तिहाई भाग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऋण देने के प्रस्ताव के ब्योरे पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

(ख) अपेक्षित सूचना **अनुबन्ध** में दी जा रही है ।

(ग) दिये गये शुद्ध उपयोग ऋण के 10 प्रतिशत भाग की जोखिम को व्यापत करने के लिए एक "जोखिम निधि" बनाने का प्रस्ताव है । इसमें केन्द्र और राज्यों का बराबर का हिस्सा होगा ।

विवरण

उपभोग ऋण विशेषज्ञ समिति (शिवरामन् समिति) के अनुसार शुद्ध उपभोग ऋण की व्यवस्था करने के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों के जिन निर्धन वर्गों के पास बिलकुल भूमी नही है अथवा 1.50 एकड़ की जोत है, उनकी शुद्ध उपभोग आवश्कताओं के लिये ऋण की व्यवस्था की जाएगी । किन्तु जिन व्यक्तियों के पास 0.50 एकड़ से 5 एकड़ तक की जोत है उन्हें उपभोग ऋण देने पर, उनके उत्पादन ऋण की आवश्कताओं के साथ, विचार किया जाएगा ।

2. जिन प्रयोजनों के लिए और जिस सीमा तक उपभोग ऋण की व्यवस्था की जाएगी वे निम्नलिखित हैं–

ऋण की किस्म	निश्चित की गई ऋण की सीमा
(क) ऋणकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा का व्यय	250–/रु०
(ख) स्कूल की शिक्षा का व्यय	100/–रु०
(ग) विवाह का व्यय	250/–रु०
(घ) दाह संस्कार और जन्मोत्सव व्यय	75/–रु०
(ङ) समाज के कुछ वर्गों में बद्धमूल और अपरिहार्य माने जाने वाले धार्मिक संस्कारों का व्यय	75/–रु०

3. ऋण का आधार आवश्यकता होगी और वह ऋणकर्त्ता की भुगतान करने की क्षमता के अनुसार दिया जाएगा।

4. अर्थक्षम एककों में संगठित प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, कृषिक सेवा समितियां और जनजाति क्षेत्रों की बड़े आकार की बहूउद्देयीय समितियां उपभोग ऋण देने का कारोबार करने की मुख्य एजेंसिया होंगी। वाणिज्यिक बैंको और क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों को भी उपभोग ऋण की व्यवस्था उसी प्रकार करनी चाहिये जिस प्रकार सहकारी समितियां करती है।

एयर इण्डिया द्वारा 'वी० एच० एफ०' संचार व्यवस्था में किया गया सुधार

1900. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने बोईग-707 विमानों में लगी वी० एच० एफ० संचार व्यवस्था में कोई सुधार किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में बचत हुई है : और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) हां, जी। वी० एच० एफ० संचार प्रणाली पर 25 के० एच० जैड चैनल अंतराल की भावी आवश्कताओं की पूर्ति करने के लिये एयर इंडिया को 17000 अमरीकी डालर प्रति विमान की दर से बोइंग-707 के बदले बोइंग मास्टर चैंज देने की पेशकश हुई थी। बोइंग विमान के निर्माताओं ने 800 अमरीकी डालर की लागत से प्रत्येक वी०एच० एफ० नियंत्रण पेनल को भी बदलने का परामर्श दिया है। एयर इंडिया ने अपने ही एक नयी युक्ति का विकास किया है जिससे बोइंग मास्टर चैंज जैसे परिणाम उपलब्ध किये गये है। नियंत्रण स्विच को बदल कर वर्तमान नियंत्रक पेनलों में भी सुधार किया गया था जिन पर प्रत्येक पर 200 अमरीकी डालर का खर्चा आया। इसके परिणाम-स्वरूप लगभग दो लाख अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास वित्तीय सहायता के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र

1901. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास वित्तीय सहायता के लिये 1 अप्रैल, 1975 को कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत थे और वर्ष 1975-76 तथा चालू वर्ष में 30 जून तक कितने कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) निर्माण की जाने वाली वस्तुयें ग्रुपवार कौन कौन सी है ;

(ग) वर्तमान क्षमता के विस्तार अथवा नये उद्योग स्थापित करने के लिये कितनी धन-राशि मांगी गयी है ;

(घ) कितने आवेदन पत्र तथा कितनी धन राशि मंजूर की गयी ; और

(ड़) अब तक वास्तव में कितनी राशि बांटी गयी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ङ) : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक संबंधी सूचना संलग्न विवरण 3 और 4 में दी जा रही है [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल टी---11269/76]

ऋण स्वीकृति और वितरण के बीच एक अपरिहार्य समयावधि है जो सहायता के वास्ते पूर्व शर्तों के पालन, परिवर्तनीय ऋण के लये सरकारी अनुमति की प्राप्ति संपत्ति के स्पष्ट स्वत्वाधिकार के प्रतिपादन जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर होती है । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यह सहायता, परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के अनुरूप किस्तों में दी जाती है ।

Development of Mica Trade

1902. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the prospects of mica trade in India and the action being taken by Government for further development of this trade ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : The Government, through the Department of Electronics and Central Glass Ceramic Research Institute, is endeavouring to find new ene-uses for mica. All requests for foreign collaboration for setting up mica manufacturing plants are considered on merits. The export policy of mica is also kept under constant review with a view to improving mica trade within the country.

प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत के बारे में प्रतिवेदन

1903. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ का पुनरीक्षत न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत के बारें में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : रबड़ बोर्ड ने कच्चे रबड़ की उत्पादन लागत एवं कीमत से सम्बन्धित रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रस्तुत की है।

(घ) जी नहीं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कपास नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1976

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कपास नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 1935 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कपास नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1976 जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 517(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल टी—11245/76]

खाद्य परिष्करण उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1971-73 के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं खाद्य परिष्करण उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1971-73 के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11246/76]

निक्षेप बीमा निगम, बम्बई का वर्ष 1975 का प्रतिवेदन, विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण सहित सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम तथा दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; विलम्ब का कारण बताने वाले विवरण सहित गुजरात विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा विलम्ब का कारण बताने वाले विवरण समेत तमिलनाडु चिट फण्ड अधिनियम, के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11247/76]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 746(ङ) जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सा०सां०नि० 760(ङ) जो दिनांक 9 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सा०सां०नि० 762(ङ) जो दिनांक 18 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11248/76]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 493(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-प्रति जो दिनांक 1 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्राकशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल०टी० 11249/76]

(4) (एक) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ़ 4/61/75-पिन(जी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11250/76]

(5) (एक) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 52) जी० एस० टी० 1076/(एस० 49)-(49) टी० एच० की एक प्रति जो दिनांक 28 जुलाई, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 627), जी० एच० टी० 1070/(एस० 49)-टी० एच० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 11251/76]

(6) (एक) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु चिट फ़ण्ड अधिनियम, 1961 की धारा 63 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 620 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 11252/76]

लेखा परीक्षित लेखे समेत निर्यात निरीक्षण परिषद और अभिकरणों का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, चाय बोर्ड के वर्ष 1973-74 के लेखा परीक्षित लेखे सम्बन्धी प्रतिवेदन, निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 टैक्सटाइल समिति (न्यायाधिकरण को अपील) नियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और तमिलनाडु कपड़ा निगम लि०, मद्रास की वर्ष 1974 की समीक्षा तथा प्रतिवेदन

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के-उपनियम (3) के अन्तगत निर्यात निरीक्षण परिषद् और अभिकरणों के वर्ष 1974-75 के (एक) वार्षिक प्रतिवेदन और (दो) लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11253/76]

(2) चाय बोर्ड के वर्ष 1973-74 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे का विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11254/76]

(3) निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जूतों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 19 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 2129 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अकार्बंबिन रसायन का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 2559 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11255/76]**

(4) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति (न्यायाधिकरण को अपील) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 296 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11256/76]

(5) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) तमिलनाडु कपड़ा निगम लिमिटेड, मद्रास के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की तमिलनाडु सरकार द्वारा समीक्षा ।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11257/76]

(दो) तमिलनाडु कपड़ा निगम लिमिटेड, मद्रास का 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11258/76]**

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही—सारांश

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 69वीं और 70वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

कार्यवाही–सारांश

श्री वेकारिया (जूनागढ़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 25 अगस्त, 1976 को हुई बैठक की कार्यवाही—सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन् मुझे राज्य–सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देना है :—

(एक) कि राज्य सभा 26 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 अगस्त, 1976 को पास किये गये बर्न कंपनी और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई है ।

(दो) कि राज्य सभा 26 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में ब्रैथवेट एंड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक 1976 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई है ।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 24 अगस्त, 1976 को पास किये गये दिल्ली विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने 29वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों की प्रतिवेदन में सूचित अवधियों के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए :

(1) श्री पी० गंग रेड्डी
(2) श्री भागीरथ भंवर
(3) श्री मुख्तियार सिंह मलिक
(4) श्री ए० के० गोपालन
(5) श्री राम धन
(6) श्री मोरारजी आर०देसाई
(7) डा० जीवराज मेहता
(8) श्री ज्योतिर्मय बसु
(9) श्री फूल चंद वर्मा
(10) श्री सी० चित्ति बाबू
(11) श्री मुरासोली मारन
(12) श्री समर गुह
(13) श्री गुरदास सिंह बादल

क्या सभा अनुपस्थित रहने की अनुमति, जैसी समिति ने सिफारिश की है, प्रदान करती है ?

माननीय सदस्य : हां

अध्यक्ष महोदय : : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

224 वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) में सम्मिलित रेलवे संचालन और व्यय से संबंधित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 224वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कावेरी के जल के उपयोग तथा विकास के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : USE AND DEVELOPMENT OF COUVERY WATER

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री जगजीवन राम): जैसा कि सदन को मालूम ही है, कावेरी के जल का इस समय पूरा उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग तथा और आगे विकास करने के बारे में कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के तीन राज्यों के बीच मतभेद रहा है। इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों के साथ 1970 से अनेक बैठकें की गई हैं।

मैंने नवम्बर, 1974 में इन तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी। इसके बाद फरवरी, 1975 में एक और बैठक की गई थी। लेकिन इन बैठकों में परस्पर-स्वीकार्य समझौता नहीं हो सका था। राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर तीनों राज्यों के अधिकारियों के साथ और आगे विचार-विमर्श और अध्ययन किया गया।

मैंने 25 अगस्त, 1976 को तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक के मुख्य मंत्री और केरल के सिंचाई तथा विद्युत मंत्रियों के साथ एक बैठक की। यह बैठक छ : घंटे तक चलती रही और विचार-विमर्श 26 अगस्त को भी जारी रहा। इस पेचीदा मामले के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के दौरान खुल कर बातचीत की गई। प्रत्येक राज्य ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया जिसे दूसरे राज्यों ने परस्पर सहायता की भावना से समझने की कोशिश की। बातचीत के परिणाम-स्वरूप एक ऐसी सहमति हुई जिसे इन कुछ अत्यन्त पेचीदा मामलों के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक घटना माना जा सकता है। अब में इस विषय पर तीनों राज्यों के बीच हुए समझौते की मुख्य-मुख्य बातें बताउंगा।

कावेरी जल का वर्तमान समुपयोजन 671 टी० एम० सी० है जिसमें तमिलनाड द्वारा 489 टी० एम० सी०, कर्नाटक द्वारा 177 टी० एम० सी० और केरल द्वारा 5 टी० एम० सी० जल उपयोग किया जाता है। वर्तमान आयाकर्टों को क्षति पहुंचाए बिना जल के वर्तमान इस्तेमाल में किफायत करने की गुजाइश है। जल के वर्तमान इस्तेमाल में यथासंभव अधिक किफायत करनी होगी ताकि इस प्रकार से बचाए गए जल का इस्तेमाल अतिरिक्त बहुद्देशीय लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सके। जल के इष्टतम उपयोग और साम्यिक वितरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए बेसिन में स्थित जलाशयों के समेकित प्रचालन और जल की सप्लाई के नियमन की आवश्यकता है। एक सामान्य वर्ष में सिंचाई के अन्तर्गत विद्यमान क्षेत्रों को पूर्णतया सुरक्षित करना पड़ेगा। कम वर्षा वाले वर्षों में उपलब्ध जल के बंटवारे का तरीका निकालने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक समिति तत्काल गठित की जाएगी। यह समिति इस समय उपलब्ध फालतू जल की मात्रा को अभी उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकती है उसको निर्धारित करेगी। समिति की रिपोर्ट तीन माह के अंदर मुख्य मंत्रियो की अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

एक कावेरी घाटी प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें तीनों राज्यों का एक-एक सिंचाई इंजीनियर शामिल होगा और केन्द्र द्वारा नामजद सिंचाई इंजीनियर इस समिति का अध्यक्ष होगा। कावेरी घाटी प्राधिकरण के कार्य तथा कार्यविधि नियम तीनों राज्यों के सचिवों की समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे और इन पर मुख्य मंत्रियों की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त समझौते से परस्पर-सहयोग तथा कावेरी के जल का सर्वाधिक कारगर तरीके से विकास करने का आधार प्रदान होता है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE.

आवास और निर्माण तथा संसदीय कार्यमन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमन् आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 30 अगस्त, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. विचार तथा पास करना :—
   (क) संविधान (43वां संशोधन) विधेयक, 1976 ।
   (ख) संविधान की पंचम अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1976 ।
   (ग) केरल राज्य विधान सभा (कालावधि विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक ।
2. आज की कार्यसूची में से बचे किसी सरकारी कार्य पर विचार ।
3. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित, विचार तथा पास करना ।
4. अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन-जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार तथा उसे पास करना ।

मेरा विचार पेंशन विधेयक को 30 या 31 को पुर :स्थापित करने का है और पहली को इस पर विचार किया जाएगा । इस संबंध में मैं आवश्यक नियम हटाये जाने की अनुमति चाहता हूं ।

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

64 वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 64वें प्रतिवेदन से, जो 26 अगस्त, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हो ।"

इससे पहले कि आप इसे सभा में मतदान के लिए रखें में सभा को यह सूचित कर दूं कि समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि लोक सभा बुधवार, 1 सितम्बर, 1976 को भी बैठेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 64वें प्रतिवेदन से, जो 26 अगस्त, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हो" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

कारखाना (संशोधन) विधेयक—जारी

Factories (Amendment) Bill—*contd.*

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा): धारा 12 में किए जा रहे संशोधन मालिकों के लिए निवारक सिद्ध नहीं होगा ।

नागदा स्थित ग्वालियर रेयन एंड सिल्क मिल्स में सुरक्षा संबंधी उपायों की सर्वथा उपेक्षा की गई है तथा कर्मचारियों का स्वास्थ्य खतरे में है । इस संबंध में प्रतिवेदन प्रकाशित हुए 15 वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु प्रबंधकों ने इस पर कोई गौर नहीं किया है । श्रम मंत्रालय भी इसकी सिफारिशों पर कुण्डली मारे बैठा है । कार्मिक संघ के अभ्यावेदनों का भी कोई असर नहीं हुआ है ।

आप जानते हैं कि कर्मचारियों की समिति में कोई आवाज नहीं है । समिति की बैठकें कभी कभी ही होती हैं । इस बात की शिकायत हुई है कि समिति के पास कोई भी काम नहीं ।

इस्पात संयंत्रों में आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है । मेरे विचार में मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे । संयंत्रों के कर्मचारियों को तथ्यों पर आधारित शिकायतें करने के परिणामस्वरूप स्पष्टीकरण मांगा जाता है ।

इस विधेयक के अनुसार प्रति दिन काम का समय 10 से 12 घंटे बढ़ा दिया गया है । यह पूंजीपतियों तथा मालिको के लिये एक बड़ी रियायत है ।

सुरक्षा के लिये जिम्मेदार अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं करते । उन्हे दंडित किया जाना चाहिये ।

इस विधेयक में गिरफ्तारी तथा कारावास के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है । पश्चिम बंगाल के पटसन उद्योग में बहुत दुर्घटनायें होती हैं जिसका कारण अधिक कार्य भार है । सरकार यह सब क्यों सहन कर रही है । दुर्घटनायें कम करने के लिये एक नई प्रणाली यह अपनायी गयी है कि केवल बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट की जाये । अत : रिकार्ड में यह दिखाया जायेगा कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो रही है । मेरे विचार में सभी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट होनी चाहिये और सभी दुर्घटनाओं की जांच होनी चाहिये सख्त सजा की व्यवस्था भी की जानी चाहिये ।

निरीक्षण की मशीनरी भी संतोषजनक नहीं है । महाराष्ट्र में 12000 कारखानों के लिए केवल 49 ही निरीक्षक हैं । ऐसी स्थिति में निरीक्षक हर कारखाने में कैसे जा सकते हैं । पश्चिम बंगाल में 300 कारखानों के लिये एक निरीक्षक होता है । वास्तव में सारी निरीक्षण मशीनरी को मजबूत किया जाना चाहिये और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि प्रबंध नियमों का पालन करें और उल्लंघन करने पर उन्हे दंडित किया जाये ।

कारखाने के निरीक्षकों को कभी कभी कारखाने के प्रबन्ध के अतिथि समझा जाता है । यह बहुत बड़ी खराबी है क्योंकि इन निरीक्षकों से अतिथि के रुप में यह आशा नही की जा सकती कि ये सही रिपोर्ट दें ।

जांच पड़ताल कार्यवाही की मालिक लोग कोई परवाह नही करते । कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिये और सख्त कदम का उठाया जाना जरुरी है । यह विधेयक स्थिति का सामना करने के लिये अपर्याप्त है । मैं श्रम मंत्री से इस ओर उचित ध्यान देने का अनुरोध करता हूं । मालिक लोग केवल उत्पादन बढाने का ही ध्यान रखते हैं और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की ओर कोई भी ध्यान नही देते । कमचारियों को सरकार की ओर से कोई भी सुरक्षा नही मिलती । वे तो साधारण विरोध भी प्रकट नही कर सकते । अतः सरकार को कर्मचारियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिये । यदि ऐसा न किया गया तो मालिक लोग कर्मचारियों का शोषण करते ही रहेंगे ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : इस विधेयक के प्रावधानों में सुधार करने के बाद इसे पेश करने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । सरकार की ओर से कहा गया है कि यह विधेयक कारखानों के कार्य में सुधार करने और उनमें सुरक्षा के उपाय करने के लिए लाया गया है । परन्तु ऐसा करते हुये सरकार कुछ ऐसे उपबन्ध कर रही है जो कर्मचारियों की दृष्टि से हानिकर है ।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिसके अनुसार होटल और खानपान के स्थानों को, जिनमें काफ़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं कारखाना माना जाये ।

जहां तक प्रमाणित करने वाले चिकित्सकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में सरकार के अधिकार का सम्बन्ध है वर्तमान उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति कर्मचारी के रूप में किसी कारखाने से सम्बन्धित है । उसे उस कारखाने के कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र देने वाले चिकित्सक के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता । परन्तु अब संशोधन कर सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार कारखाने से सम्बन्धित व्यक्ति को भी प्रमाणित करने वाले चिकित्सक के रुप में नियुक्त कर सकती है । मंत्री महोदय को क्या यह विश्वास है कि कर्मचारियों को उस चिकित्सक से प्रमाण पत्र मिल सकता है जो वित्तीय रुप में उसी कारखाने से सम्बन्धित है ? इस प्रकार का संशोधन किये जाने के क्या कारण हैं, यह स्पष्ट किया जाये ।

उद्योग अधिनियम की धारा 64 में गोपनीय पद पर नियोजित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है । परन्तु अब मुख्य निरीक्षक को असाधारण अधिकार दिया गया है कि गोपनीय पद पर काम न करने वाले व्यक्ति को भी नियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार वह गोपनीय पद पर नियोजित व्यक्ति माना जायेगा । यह उचित नही है । क्या इस प्रकार के अधिकार देना आवश्यक और उचित है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रत्यायोजित शक्ति जरूरी है, क्या यह उचित है और यदि उचित है तो किन परिस्थितियों में उचित है ? यह कैसे कहा जा सकता है कि कारखाना महा-निरीक्षक को प्रदत्त इन असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण करें ।

धारा 64 में अनेक प्रकार की छूटों का उल्लेख किया गया है । इस धारा के अन्तर्गत अब और कई श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी जा रही है । यह सही नही है । विधेयक में एक और संशोधन

करने का प्रस्ताव है जिस के अन्तर्गत ट्रक और लारी आदि चलाने वालों को संस्थानों को भी धारा 64 से छूट मिल जायेगी। यह कहां तक उचित है ? हम जानते है कि ट्रक सेवा एक उद्योग के रूप में उभर रही है, जिस में बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। हम कर्मचारियों के बा रे में ऐसा रूख क्यों अपना रहे हैं, सरकार को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये।

जहां तक छुट्टियों का सम्बन्ध है, विधेयक में एक और संशोधन किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में 'न ली गई छुट्टी' के स्थान पर 'न दी गई छुट्टी' शब्दो को रखा जा रहा है। इस परिवर्तन का क्या प्रयोजन है, यह मेरी समझ में नही आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई एक वर्ष में छुट्टी नहीं लेता, तो क्या उन्हें अगल वर्ष की छुट्टियों में जोड़ा जायेगा ? क्या 'न दी गई छुट्टियां' को सेवानिवृत्ति तक इक्ट्ठा किया जा सकता है ? मंत्री महोदय को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उपर्युक्त बातों के साथ साथ विधेयक में कुछ अच्छे उपबन्ध भी है, जो कि कर्मकारों के पक्ष में हैं। मैं उन का स्वागत करता हूं। विधेयक में कर्मकार की परिभाषा को व्यापक बनाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। विधेयक में एक नई धारा 40ख जोड़ी जा रही है, जो कि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित है। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। विधेयक में कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति का उपबन्ध है। कल्याण अधिकारी कौन नियुक्त करता है तथा वे किस के प्रति उत्तरदायी होते हैं ? कल्याण अधिकारी नियोजक नियुक्त करता है तथा वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते है। इसी भांति सुरक्षा अधिकारी कौन नियुक्त क रेगा और वे किस के प्रति उत्तरदायी होंगे ? प्रश्न यह है कि नियोजक ही सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति क रेगा और वह उसी के प्रति उत्तर दायी होगा। नियोजक ही उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेगा। इस लिये यह निश्चित है कि सुरक्षा अधिकारी, नियोजक के निदेशो के अनुसार काम करेंगे। कल्याण अधिकारियों के बारे में भी हमारा यही अनुभव है। वे श्रमिको के कल्याण के लिये नियुक्त किये जाते हैं, परन्तु क्योकि उन की नियुक्ति नियोजको द्वारा की जाती है और वे ही उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते है, इस लिये वे श्रमिकों के कल्याण की बजाये नियोजक के निदेश पर कार्य करते है। यही स्थिति सुरक्षा अधिकारियों की भी होगी। वे भी नियोजको के निदेशानुसार ही कार्य करेंगे। अतः यदि यह उपबन्ध श्रमिकों की सुरक्षा के लिये है, तो सुरक्षा अधिकारी की स्थिति ऐसी क्यों बनाई जा रही है कि वह श्रमिकों की सुरक्षा न कर सके, बल्कि उसे नियोजक के आदेशों पर ही नाचना पड़े। अतः यदि सरकार चाहती है कि कल्याण अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी श्रमिको के हितों की रक्षा करें तो कल्याण अधिकारियो और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां सरकार द्वारा की जानी चाहियें और उन का खर्च नियोजको द्वारा दिया जाना चाहिये।

विधेयक में 'लोक आपात' की नई परिभाषा जोड़ी जा रही है। विधेयक में प्रयुक्त शब्दावली वही है, जो संविधान में दी गई है। संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है। आपात की स्थिति के बारे में निर्णय करने की शक्तियां राष्ट्रपति की प्रदत्त की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संदर्भ में राष्ट्रपति और कारखाना निरीक्षक को समान स्तर पर लाया जा रहा है ?

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनेकों सुरक्षा सम्मेलन, गोष्ठियां और चर्चाएं होने के बावजूद भी हमारे कारखानो में सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने इस मामले पर विचार किया था और उन्होंने सिफ़ारिश की थी कि हर 150 कारखानों के लिये एक निरीक्षक नियुक्त किया जाये तथा सरकार ने इस सिफ़ारिश को

स्वीकार कर लिया था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस विशेष सिफ़ारिश को लागू कर दिया गया है? मुझे ज्ञात है कि कहीं कहीं पर 300 से भी अधिक कारखानों के लिए केवल एक ही निरीक्षक है। वह निरीक्षक चाहे कितना ही ईमानदार और परिश्रमी हो, अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकता। हालांकि 150 कारखानों के लिये भी एक निरीक्षक कम है, परन्तु इस सिफ़ारिश को भी लागू नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग में यह सुझाव दिया गया था कि जोखिम भरे कामों को करने वाले कमकारों को सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का प्रशिक्षण दिया जाये। इन सभी सिफ़ारिशो का उल्लंघन किया गया है। नियोजक मनमानी कर रहे हैं और दुर्घटनाओं की संख्या नहीं घटी है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में 1965 में 10,000 दुर्घटनायें हुई थीं, जबकि 1975 में 25,000 दुर्घटनायें हुईं। इसलिये श्रमिकों, विशेषतया जोखिम भरे काम करने वाले श्रमिकों का जीवन सुरक्षित नहीं है। इस विधेयक से उनके जीवन तथा शारीरिक अंगों को कोई बड़ी सुरक्षा नहीं मिलती।

खण्ड 6 के उपबन्धों से स्पष्ट है कि कारखानों का प्रशासन अधिकारी बोझिल हो जायेगा तथा अधिकारियो की संख्या बहुत बढ जायेगी। परन्तु हमारा अनुभव है कि अधिकारियों की संख्या बढाने से स्थिति में सुधार नहीं होगा।

विधेयक के खण्ड 9 में व्यवस्था की गई है कि निर्माण के दौरान होने वाले कचरे और बहिःस्राव की अभिक्रिया के लिये प्रत्येक कारखाने में समुचित व्यवस्था की जायेगी, जिससे उसे हानिरहित बनाया जा सके। परन्तु यह एक इच्छा मात्र है। मैं जानना चाहता हूं कि इस उपबन्ध को क्रियान्वित करने के लिये कौन सा उपबन्ध किया गया है।

खण्ड 19 में कहा गया है कि यदि निरीक्षक यह महसूस करे कि किसी कारखाने का भवन या उसका कोई भाग ऐसी स्थिति में है, जो कर्मचारियों के लिये खतरनाक हो, तो वह उसके मालिक अथवा प्रबन्धक अथवा दोनों को उसकी मरम्मत एक निश्चित अवधि के अन्दर कराने का नोटिस जारी कर सकता है। परन्तु उस आदेश का पालन न करने पर क्या दशा होगी। इसका कोई उल्लेख विधेयक में नहीं किया गया है। मान लो किसी कारखाने का मालिक इस आदेश का पालन नहीं करता और इस लापरवाही के कारण किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में 1000 रुपये से कम जुर्माना नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक श्रमिक के जीवन का मूल्य 1000 रुपये है। यदि वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसे केवल 500 रुपये ही मिलेंगे।

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बज कर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

खण्ड 92 में दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लेख किया गया है। इस खण्ड में पहले 1000 रूपये तक जुर्माना करने की व्यवस्था थी। परन्तु अब यह व्यवस्था की गई है कि जुर्माना 200 रुपये से कम नहीं होगा तथा वह 5000 पये तक हो सकता है। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह एक सुधार है, क्योंकि पहले विधेयक में जुर्माना एक रुपया भी किया जा सकता था, जबकि अब 200 रुपये से कम नहीं किया जा सकता। परन्तु क्या कम से कम एक हजार रुपये का उपबन्ध नहीं किया जा सकता था? यह उपबन्ध बड़ी आसानी से किया जा सकता था।

धारा 94 का संशोधन किया जा रहा है। परन्तु उसके परन्तुक को बनाए रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह उपबन्ध किया गया है कि जिस अपराध के लिये दण्ड दिया जा रहा है उससे दो वर्ष से अधिक समय से पहले किये गये अपराध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा। इस परन्तुक को हटा दिया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि इसमें यहां-वहां कुछ सुधार किये गये हैं। इसलिये मैं इस का समर्थन करता हूं, क्योंकि विरोध करने का अर्थ होगा, कि जो कुछ भला हो रहा है, उसे भी अस्वीकार करना। परन्तु अच्छा यह होता कि सरकार इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंप देती, जिससे वह इसकी पूरी तरह से जांच कर लेती। ऐसा करने की बजाय सरकार बहुत जल्दी में यह विधेयक लाई है। हमें इससे बड़ा खेद हुआ है। फ़िर भी मैं इस विधेयक का मोटे तौर पर समर्थन करता हूं, क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): The present law was framed in 1948 and since then it has remained unchanged although the conditions in the country have radically changed. While bringing this amendment it would have been better if the same had been referred to a Select Committee and this Bill should have been drafted on the basis of the recommendations thereof. The amendments contained in the present Bill are based on the suggestions made by the conference of the Chief Factory Inspectors held about 10-15 years ago.

It is regrettable that the Factory Act is not properly implemented not only in the private sector but also in the public sector. I had written to the Minister in 1974 complaining about the non-observance of the provisions of the Factory Act in a Government factory. According to the Factory Act the workers must had rest interval of one hour or so aiter performing duty for five hours. But in that factory workers are made to work for eight hours at a stretch. I raised the matter in the consultative Committee also. Has the Minister taken any action in this regard ? I visited Heavy Electricals, Bhilai, Bokaro and Raurkela Steel Plants. Even there the provisions of Factory Act are not complied with.

In other countries a heavy chemicals factory is located either on the hills or on the sea shore. But in our country such factories have been set up inside the populated areas and this has created a serious health problem. It is necessary that the hours of work for the workers, who work in such factories are reduced and proper medical facilities are also provided to them. It is also necessary that after 15 days work in such hazardous conditions a worker is given one day's paid leave.

There is a provision in the Bill that a creche will be provided in all factories where 30 women are employed. This is a welcome step. But I would like to say that this facility should be provided even if only one women is employed anywhere. The Minister should consider this matter.

In our country the number of accidents is very high as compared to the other countries. It is because proper safety measures are not taken there. The Minister should ensure that proper safety measures are taken and the Factory Act is effectively enforced.

With these words I support the Bill.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): I welcome this Bill and want to place certain suggestions before the Minister for his consideration.

The original Act was passed in 1948 and it was amended in 1954. Now a Bill to amend it further has been brought after a period of 22 years. A lot of changes have taken place in the factories. But it appears that there are still several Lacunas in this Bill. Its reference to Select Committee will not help much and so this Bill should be allowed to be passed without any delay.

The amendment to Section 11 provides for painting of machinery and structure at least once in three years. But it is not adequate and so, provision should be made for the paint every year.

There will be a large inspectorate to supervise the implementation of this law. But strict watch on them should be kept so as to ensure correct implementation of this law.

Section 12 relates to waste and effluent. Adequate provision should be made for proper disposal of waste and effluent. It is learnt that there is no proper safety for those wokers, who work on machines. So, a provision has to be made to ensure the safety of workers while they work on heavy machines.

I would like to say that creche facility should be provided in a factory where ten women workers are employed. The period of one month for conducting investigations into the causes of fatal accidents should be reduced.

Shri M. C. Daga (Pali): I welcome the improvements that are sought to be made in labour laws through this legislation. The National Commission on Labour made their recommendations as early as 1969 but it appers that their recommendations have not been kept in view while drafting this legislation. It would have been better if a comprehensive legislation is brought here on the basis of these recommendations.

Labour laws are being enacted by the Centre, but their implementation has been left at the mercy of States. The labour departments of State Governments are very apathetic to the problems faced by labour and as a result labourers are being exploited.

The new clause 40(B) provides for appointment of Safety Officers by mill owners. If they are to be appointed by mill owners, then these safety officers will only protect the interests of mill-owners and the industry.

In Clause 41, the punishment has been made more regorous by increasing it to Rs. 5,000/-. As a matter of fact, there should have been a provision for compulsory imprisonment.

A number of labour laws have been enacted in recent years to improve the lot of workers, but more emphasis and greater attention should be paid to the proper implementation of these laws. It can prove helpful only if attention is paid toward training in handling of safety measures and safety equipment.

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh): Though I supoort the Bill, yet I feel that it does not include all those amendments to the Factories Act which I had expected. The Legislation that will emerge out after passing this Bill, will not be in consonance with a Socialist nation. Our Country is still far behind the developed countries like U.S.A. and England as regards the provision of measures for the safety of workers is concerned. We are not providing even the minimum safety measures to our workers. The reason is this

that the law is faulty and there is lack of implementation. The Minister should reconsider the entire subject and then bring forth a comprehensive Bill amending the old Factories Act, so as to create better working conditions for workers in our country.

The structure of Inspectorate in our country has been very weak due to slackness in the proper implemenation of labour laws. It is, therefore, desirable that adequate measures be taken to improve it.

I suggest that in each factory, there should be a joint committee constituted with the representatives of labour and employers to work as a watchdog to see that the Factories Act and other labour laws are implemented properly. Committees have been set up recently, but no powers have been given to them. They serve no purpose as they are merely advisory committees. The joint committee should be empowered to point out shortcomings in a factory and to recommend prosecution therefore. Steps should also be taken to implement the schemes for workers' parcip ation in management in each factory.

Adequate measures should be taken to ensure proper implementation of laws. Laws should be made stringent so that the persons who defy them, should not escape.

In regard to overtime the limit of Rs. 750 is too less. The emoluments of workers have gone up and therefore, the workers getting upto Rs. 1000/- should also be covered under it.

Every worker who works in factories, should be provided with a uniform. While preparing designs of a machinery, adequate attention should be paid to safety. The Bill should prescribe standard and design of a machine keeping in view the safety of workers.

Shri Hari Singh (Khurja): Mr. Deputy Speaker, this Bill is another links in the chain of labour welfare measures and labour laws, that have been enacted in recent year for the betterment of working conditions of our workers. This legislation seeks to make revolutionary changes in the field of labour laws. It is good that arrangements have been made to provide creches even in those establishments where not less than 30 female employees are engaged. This number can be reduced still further.

It is a welcome provision that a time limit has been prescribed for completing investigations and enquiries in the case of a fatal accident. It is also a welcome provision that workers can appeal to the State Government of the Inspectors in charge in any kind of injustice to workers.

There are certain factories in Delhi which are not registered and which exploit the labourers by not giving them the benefits and the facilities due to them under the law. The quota for appointment of Scheduled castes and Scheduled tribe workers is not being filled up. Steps should be taken to provide employment to local people in a factory.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : (गिरिदीह) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं श्रम मंत्री श्रमिक वर्ग के साथ न्याय करना चाहते हैं लेकिन इस विधेयक के कुछ उपबन्ध इससे विपरीत जाते हैं। हमें कारखाना अधिनियम का कम से कम सहारा लेना चाहिये किन्तु हमें नियम बनाने की अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें ताकि देश में सभी कारखानें इसके अन्तर्गत आ सकें और प्रत्येक कारखाने के लिये नियम उसकी आवश्यकतानुसार बनाये जाने चाहिये। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि अब धारा 23 में "50 महिला श्रमिक" के स्थान पर "30 महिला श्रमिक" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

जहां तक वर्दियों का सम्बन्ध है, सुरक्षा की दृष्टि से विशेषकर महिला श्रमिकों को तो वर्दी दी ही जानी चाहिये।

12 घंटे तक काम लेने का उपबन्ध प्रतिगामी कदम है। उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि के हम पूरक परियां चालू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। जैसा कि कोयला खानों के मामले में किया जा रहा है। इस मामले पर गहराई से विचार किया जाना चाहिये। "व्यावसायिक

बीमारी" के मामले में मनःश्रांति को इस बीमारी के रूप में विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम को, अपनी नीति बनाकर इन कारखाना श्रमिकों के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में इनकी समय समय पर डाक्टरी जांच की जानी चाहिये । बहुत से कारखानों में श्रमिक अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता का 105 से 115 प्रतिशत काम करते हैं जो उन्हें दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के अनुरूप है । यद्यपि हमें अपनी राष्ट्रीय नीति के अनुसार अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहिये लेकिन श्रम की गहनता और कार्यभार अधिक नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे अधिक परिश्रम करना पड़ता है और श्रमिकों के बीमार होने की सम्भावनायें बलवती होती हैं । कारखाना अधिनियम में अधिक उत्पादन में श्रमिकों को भागीदार बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से कारखानो को ही अधिक सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिये बल्कि प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की सक्रिय सहभागिता सुरक्षित की जानी चाहिये ।

श्रम मन्त्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : श्रीमान्, बड़े सन्तोष की बात है कि उद्योगों में विशेषकर इस्पात उद्योग में दुर्घटनायें बहुत कम हुई हैं ।

सरकार द्वारा घोषित आपात-स्थिति का उल्लेख किया गया है । वर्तमान कानून में सरकार द्वारा घोषित आपात स्थिति की ही व्यवस्था है जिसकी कि देश में आवश्यक मार्गदर्शन हेतु उद्-घोषणा की जा सकती है । किसी भी स्थिति में हम अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आपात स्थिति घोषित की जा सकती है । एक परन्तुक के माध्यम से कुछ मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं । मुख्य निरीक्षक या कोई अन्य अधिकारी लोक आपात स्थिति घोषित नहीं कर सकता । इसका उपबन्ध तो वर्तमान कानून में ही किया गया है । लोक आपात स्थिति इस अभिव्यक्ति का उचित अर्थ बताने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण जोड़ा गया है और इससे कोई अधिक अधिकार नहीं दिया गया है ।

मूल अधिनियम की धारा 79 से सम्बन्धित संशोधन विधेयक के खण्ड 32 के सम्बन्ध में संशोधी अधिनियम की धारा 32 के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है । धारा 79 की उपधारा 5 का प्रथम परन्तुक न ली गई छुट्टी की अवधि बढ़ाकर श्रमिकों के मामले में 30 और अन्य कर्म-चारियों के मामले में 40 दिन निर्धारित करता है । दूसरे परन्तुक में उन मामलों को लिया गया है जहां श्रमिक छुट्टी के लिये आवेदन देते हैं लेकिन उन्हें छुट्टी देने से इंकार कर दिया जाता है । अतः मूल अधिनियम का दूसरा परन्तुक कुछ असंगत है । अतः इस असंगति को दूर करने और मामले को सरल बनाने के लिए 'इन्कार' शब्द के स्थान पर 'न लिया गया' शब्द अन्तः स्थापित किये गये हैं । इससे श्रमिकों के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

प्रमाणपत्र देने वाले चिकित्सकों की नियुक्ति और इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कुछेक वर्गों का उल्लेख किया गया है । खतरनाक और जोखिम के स्थानों पर काम करने वाले व्यक्तियों की जांच करने के मामले में समूचे देश भर में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा

है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों में अनेक चिकित्सा अधिकारी काम करते हैं जिनकी सेवायें इस प्रयोजन के लिये ली जा सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुये ही यह छूट दी गई है। राज्य सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों या श्रमिकों के हितों को दृष्टि में रखते हुये ही इस सिद्धान्त को लागू किया जाये। और इससे विशेषतया गैर-सरकारी क्षेत्रों में ही लागू किया जाये।

मूल धारा 65 में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में प्रश्न उठाया गया है। धारा 65 में किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन मुख्य अधिनियम की धारा 51, 54 और 64 के संयोजन से पठित होंगे ताकि धारा 65 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का पूरी तरह मुल्यांकन किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि रसायन उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीय प्रक्रिया के विकास से पता चला है कि रासायनिक प्रौद्योगिकी प्रक्रियायें निरन्तर चलने वाली प्रक्रियायें हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। इसलिये हमने विचार किया कि किसी आपात स्थिति में जब किसी विशेष कार्य के लिये योग्य अतिरिक्त व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं तो उस स्थिति में पहले से ही काम करने वाले कर्मचारियों से उस काम को सम्पन्न करने का अनुरोध किया जाता है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रौद्योगिकीय प्रक्रियायें निर्बाध चालू रहें, कुछ छूट देनी पड़ती हैं जिससे उत्पादन में बाधा उत्पन्न न हो। आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकास तथा प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं की आवश्यकता पूर्ति के अतिरिक्त इसके पीछे और कोई अन्य आशय नहीं है।

चूंकि हमने धारा 41 या धारा 51 में संशोधन नहीं किया है इसलिये कोई हानि नहीं हुई है। इस संशोधन के फलस्वरूप जो जितना अधिक समय कार्य होगा उसे समयोपरि या समय से अधिक कार्य माना जाएगा और उन्हें उचित प्रतिफल मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। खंड 2 का कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 3 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 4 लेते हैं। इस पर एक संशोधन है।

श्री राम सिंह भाई : मैं अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment was by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी खण्डों को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। विधेयक में 45 खण्ड हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 45, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 से 45, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 4 to 45 Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते हैं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SEVENTH SCHEDULE).

Dr. Kailas (Bombay-South): I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Dr. Kailas : *I introduce the Bill.*

नारियल विधेयक

COCONUT BILL

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल की खेती के विकास, अभिवृद्धि और संरक्षण तथा नारियल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये एक बोर्ड गठित करने और इन प्रयोजनों के लिए एक नारियल निधि बनाने और तत्संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि नारियल की खेती के विकास, अभिवृद्धि और संरक्षण तथा नारियल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये एक बोर्ड गठित करने और इन प्रयोजनों के लिए एक नारियल निधि बनाने और तत्संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा पेश किये गये विधेयक पर आगे विचार करते हैं । श्री डागा इस सम्बन्ध में बोल रहे थे वे अपना भाषण जारी रखें ।

Shri M. C. Daga (Pali) : I congratulate Shri Panigrahi for bringing this Bill. This Bill was introduced in 1971. We in India have pledged to establish a socialist pattern of society and even then there are certain monopoly houses in the country whose assets are accumulating despite taxation. It is clear that something is wrong at same stages of implementation of our policies.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
Shri Ishaque Sambbali *in the Chair*]

Wealth has concentrated in the hands of a few companies. As a result thereof capitalism is likely to dominate over democracy. Even the application of M.R.T.C. Act has not prevented the accumulation of wealth in the hands of capitalists and this is all due to the faulty performance of chartered Accountants profits of some of the companies are increasing every year. Some of the companies have work while there are same companies which have no work. Out of total 14500 Chartered Accountants only 6000 have got work and rest of them are working as Assistants.

Mr. Chairman : Mr. Daga, you should conclude now.

According to rules Auditor of a Govt. Company is to be appointed by the Central Government but such appointments in most of the Govt. Departments and Public Sector Companies are made by the Companies themselves.

The audit work of the Companies should be disbursed amongst more Chartered Accountants and amongst small firms which are not at present getting enough work.

श्री दिनेश जोरदार (मालदा) : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने हमें इस विषय पर चर्चा करने का जो अवसर दिया है, हम उसके लिए उनके आभारी हैं। देश में कुछ फर्मों ने लेखा परीक्षा को एक एकाधिकार वाला व्यापार बना दिया है और ऐसा वातावरण बन गया है कि लाभ या हानि की लेखापरीक्षा करने का कराधान की दरों का निर्धारण करने तथा अन्य मामलों में अत्याधिक कठिनाइयां पदा हो गई हैं। इस लेखा परीक्षा व्यापार का एक पहलू करापवंचन करना तथा काला धन जमा करना भी है। इसके अतिरिक्त सरकार को नागरिक पूर्ति अथवा वितरण संगठन किसी उत्पादन के लागत ढांचे का उचित निर्धारण नहीं कर सकती। जब तक निर्माण लागत के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। हम उसे यथाथ लेखा परीक्षा नहीं कह सकते।

चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की जिम्मेवारी यह भी ह कि आस्तियों तथा कच्चे माल की लागत के अलावा परिहार्य रद्दी भी उत्पादन और लागत हानि में से कम की जाए। यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों का चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की रिपोर्ट सरकार को भजी जाये। ऐसा करने से सरकार को किसी विशेष वस्तु का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।

देश में व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन सभी कुछ गोपनीय रखा जाता है। जब तक इस प्रवृति में परिवर्तन नहीं आयेगा और गोपनीयता दूर नहीं होगी, कोई सुधार नहीं होगा हमें किसी कम्पनी की वास्तविक स्थिति का तभी पता चल सकता है जब कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट उस कम्पनी की वास्तविक स्थिति बतायें।

चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की परीक्षा तथा परिणाम के बारे में हमें पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में योग्य उम्मीदवार तो इन परीक्षाओं को पास नहीं कर पाये लेकिन बड़े व्यापार गृहों में आये उम्मीदवार या बड़े लोगों के सम्बन्धी उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हो गये।

लेखा परीक्षा करने वाली फर्म की लेखा परीक्षा बाहर के चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा ही की जानी चाहिये। यदि ऐसा हो जाये तो हमें लेखा परीक्षा करने वाली फर्म की वास्तविक स्थिति का पता लग जाएगा कि उसका कार्य व्यापार कैसा चल रहा है। स पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : प्रस्ताव पेश करने वाले ने कहा है कि लेखा-परीक्षा के कार्य को सामाजिक बनाया जाए ऐसा कहने से उनका तात्पर्य यह है कि लेखा परीक्षा का कार्य उन हजारों लोगों में फैलाया जाना चाहिये जो इस लेखा परीक्षा के व्यवसाय में लगे हुये हैं। यह सम्भव नहीं है। एक लेखा परीक्षक को भी वकील अथवा डाक्टर की भांति अपनी ख्याति होती है और उसी आधार पर उसे किसी कम्पनी के लेखा परीक्षण का कार्य मिलता है। स्वाभाविक ही है कम्पनियां उन्हीं लेखा परीक्षकों अथवा फर्मों को चुनेंगी जिन्हें कि अपने व्यवसाय में ख्याति प्राप्त है।

प्रस्तावक के अनुसार इस व्यवसाय में एकाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिये। एकाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। यदि किसी लेखा परीक्षक को बहुत सी कम्पनियों के लेखापरीक्षण

का कार्य मिलता है तो ऐसा उसके द्वारा उस व्यवसाय में अर्जित ख्याति के कारण हैं । हर व्यवसाय में ऐसा होता है । कूछ ही वकील अथवा डाक्टर बहुत लोकप्रिय हो पाते हैं । अतः इस आधार पर शिकायत करने का कोई तर्क नहीं है ।

लेखा परीक्षण के राष्ट्रीयकरण की बात भी कही गई है । एक व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार हो सकता हैं। क्या हम वकील अथवा डाक्टरी के पेशे का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। अतः यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है ।

प्रस्ताव के अनुसार लेखा परीक्षक हर दो तीन साल बाद बदले जाने चाहिये । यह आशा व्यक्त की गई है चूंकि एक लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की एक फर्म किसी कम्पनी के पास काफी वर्षों तक कार्य करती है तो हो सकता है कि फर्म के साथ सांठगांठ करके वह अपना कार्य निष्ठापूर्वक न करें अथवा कम्पनी का सही रूप से लेखा परीक्षा न करे । यहां उल्लेखनीय है यदि कोई सनदी लेखापाल कदाचार का दोषी पाया जाता है तो चार्ड लेखापाल अधिनियम के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । किसी कम्पनी के कार्यकरण को समझने में लेखा परीक्षक को दो तीन साल लग जाते हैं और जिस अवधि के दौरान लेखा परीक्षक को कम्पनी का लेखा परीक्षण करना चाहिये इस अवधि-सीमा के कारण वह नहीं कर पाएगा ।

यह एक जटिल मामला है । लेखा परीक्षक केवल महानगरों में ही अपना व्यवसाय चला सकते हैं । जहां तक उत्पादन लागत का सम्बन्ध है, कम्पनी विधि बोर्ड उत्पादन लागत की जांच का आदेश कर सकता है । ये प्रावधान धारा 224 तथा धारा 224(1)(ग) के स्पष्टीकरण में दिये गये हैं । इसमें यह भी व्यवस्था है कि एक लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक फर्म कितनी कम्पनियों का लेखा परीक्षण कर सकते हैं । वर्ष 1974 के संशोधन अधिनियम में यह संख्या 20 निर्धारित की गई थी । प्रस्तावक ने कहा है कि यह संख्या 5 कर देनी चाहिये । मेरे विचार में यह प्रस्ताव अव्यवहारिक हैं । इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । कम्पनी अधिनियमों में किए गए संशोधनों में कम्पनियों के लेखा परीक्षण के प्रश्न पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया । आज सनदी लेखापाल की स्थिति यह है कि वह इस बात की जांच नहीं कर सकता है कि कम्पनी द्वारा हेराफेरी के काम किये जा रहा हैं अथवा नहीं । उनको अपनी सीमाओं में रहकर अपना करना पड़ता है । अभी हाल में निमित क्षेत्र से 1500 करोड़ रूपये का कालाधन मिला है । इसका अर्थ यह हुआ कि लेखा परीक्षकों या सनदी लेखापालों ने ईमानदारी से काम नहीं किया । इन्हीं लोगों की वजह से काला धन कट्ठा होता है । मैं जानना चाहता हूं कि गत चार या पांच वर्षों में कितने सनदी लेखापालों को लेखा परीक्षण कार्य से हटाया गया है ? अगर ऐसा किया भी गया होगा तो हटाए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी ।

प्रस्तावक बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा विधयक पेश किया है क्योंकि अभी तक निगमित क्षेत्र के बाह्य प्रबन्ध के महत्वपूर्ण पहलू पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है । यदि मन्त्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि वह इस विधेयक को समग्रतः स्वीकार नहीं कर सकते तो उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि वह विकल्प के रूप में इस पहलू पर एक विनियम पेश करेंगे ।

Shri Hari Singh (Khurja) : The hon. Member has drawn the attention of the House towards a vital problem and for this he deserves congratulations. Auditor can audit hundreds

of Companies and they have created a monopoly in this sphere. Owners and managers of the Companies indulge in bungling of crores of rupees in connivance with these Auditors. The hon. Member has also demanded nationalisation of these Companies. It is a welcome proposal. These Chartered Accountants have big hand behind generation of black money. This evil should be done away with without further delay.

Creation of Monopoly is unwanted in a Socialistic and Democratic Country. If it is not possible for the hon. Minister to accept the Bill in toto, I would request him to bring forward an alternative Bill. The Government should realize the intention and spirit of the Bill and bring forward a bill in the next session in regard to nationalisation of Chartered Accountants.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों की मिथ्या धारणाओं का निराकरण करना चाहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्यों की कुछ बातें संगत हैं तथा देश में लेखा परीक्षण की स्थिति पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की आवश्यकता है। श्री पाणिग्रही ने जो आंकड़े दिए हैं, वे कुछ वर्ष पहले के हैं। हो सकता है कि इस बीच महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हों। सम्भवतः संशोधनों के बाद उत्पन्न स्थिति पर किसी ने विचार नहीं किया। ये संशोधन काफ़ी सोच विचार और वाद-विवाद के बाद पास किए गए थे।

जहां तक 'एकाधिकार' का प्रश्न है, लेखा-परीक्षकों के सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह शब्द तभी प्रयोग किया जा सकता है जब किसी का किसी व्यापार पर नियन्त्रण हो तथा अन्य व्यक्ति उस व्यापार में शामिल न हो सकते हैं। लेकिन यहां स्थिति ऐसी नहीं है। बड़ी लेखा-परीक्षा फ़र्में केवल 400 लेखा-परीक्षण कर सकती हैं। इस प्रकार उन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इसलिए 'एकाधिकार' शब्द का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों की इस धारणा का भी निराकरण करना चाहता हूं कि सरकार ने एकाधिकार प्राप्त लेखा-परीक्षण फ़र्मों से इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस के लिए सदस्यों का नामांकन किया है। वस्तुतः केवल 30 में से सरकार 6 सदस्य नामांकित करती है, शेष सदस्यों का चुनाव होता है। ये नामांकित व्यक्ति वित्त मन्त्रालय कम्पनी कार्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय आदि के होते हैं। हमने यह परम्परा बनाई है कि इनमें से एक सनदी लेखापाल होगा। अतः नामांकन के माध्यम से बड़ी लेखा-परीक्षण फ़र्मों से सदस्य चुनने की सम्भावना नहीं है।

जहां तक सनदी लेखापालों की बेरोज़गारी का सम्बन्ध है, मेरे विचार से बेरोजगारी की कोई सम्भावना नहीं है। परिषद का अपना रोज़गार ब्यूरो है और उन्होंने पाया है कि कोई भी सनदी लेखापाल बेरोज़गार नहीं हैं। मुझे बताया गया है कि सनदी लेखापाल व्यवसाय के प्रारम्भ में 1000 या 1300 रुपये कमा सकते हैं। मैं स्वयं सनदी लेखापालों से मिला हूं और मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि वे ईमानदारी और बुद्धि से काम करते हैं। उनके अपने नैतिक सिद्धान्त तथा मानक हैं।

सनदी लेखापाल आंख मूंद कर हस्ताक्षर नहीं करता क्योंकि यदि वह लापरवाही से काम करता है तो इसके लिए उसे दण्ड मिल सकता है और संस्थान भी उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। लेकिन जब उसे कानून फ़र्म के किसी विषय को जानबूझ कर जांच न करने की अनुमति देता है, तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके अनुसार वह इस प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकता। ये कदम जनवरी में उठाए गए थे। अतः इसका सही मूल्यांकन इस समय सम्भव नहीं है।

आज हम यह धारणा नहीं बना सकते कि अंशधारी लेखा परीक्षक को नियुक्त करते हैं अथवा चुनते हैं। वस्तुत: प्रबन्धक ही उसकी नियुक्ति करते हैं। सरकार भी यह प्रयत्न कर रही है कि लेखा परीक्षकों को चुनने में अंशधारियों का हाथ न हो। हमने और भी कई कदम उठाए हैं। यह भी खतरा रहता है कि सनदी लेखापाल तथा फ़र्म के मालिक आपस में मिल जुल कर धन को गोलमाल न कर लें। इस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। यह आदेश जारी किया गया है कि यदि कोई लेखापाल 'अन्य सेवाएं' अर्पित करेगा तो उसे लेखा-परीक्षण नहीं समझा जाएगा। यदि अन्य सेवाओ के नाम पर उसे कुछ धन दिया जाता है तो हो सकता है कि वह फ़र्म के कार्यकरण के कुछ पहलुओं की उपेक्षा कर दे। लेकिन हमने कुछ उपाय किए हैं। सबसे पहले तो हमने यह सीमा निर्धारित कर दी है कि कोई भी लेखा परीक्षक 20 से अधिक लेखा-परीक्षण नहीं कर सकता।

सनदी लेखा परीक्षक परिषद् ने यह निर्णय किया है कि जो सदस्य सनदी लेखापाल फ़र्मों में पूर्णकालिक सेवा प्रदान कर रहे हैं उन्हें लेखा परीक्षणों की संख्या गिनते समय गिना नहीं जाएगा। इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ने स्व-विनियमनकारी उपाय किया है। इंस्टीट्यूट ने यह निर्णय लिया है कि वरिष्ठ सनदी लेखापाल उन कम्पनियों का लेखा परीक्षण नहीं करेंगे जिनकी लेखा परीक्षण फ़ीस 2,500 रुपये से कम है। सनदी लेखापाल इस आदेश का पालन कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : कानून में संशोधन करके इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सनदी लेखापाल 20 कम्पनियों से अधिक कम्पनियों का लेखा परीक्षण नहीं करेगा और जिसमें से 10 कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी फ़र्म में 20 भागीदार हैं तो वह फ़र्म अधिक से अधिक 400 कम्पनियों का लेखा परीक्षण करने की हकदार है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विधान के बन जाने के बाद क्या उनके मन्त्रालय ने सनदी लेखापाल की बड़ी फ़र्मों के बारे में कोई अध्ययन किया है क्या यह फ़र्में जिनके हाथ में 90 प्रतिशत लेखा परीक्षण का कार्य था, इससे प्रभावित हुई हैं ? क्या उन्होंने ऐसी बड़ी कम्पनियों के भागीदारों की आयकर विवरणीकाओं की जांच की है क्योंकि इसी के द्वारा हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि क्या इस विधान के द्वारा उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

25 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी वाली बात भी समझ में नहीं आती। मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्पनी कानून में किए गए इस संशोधन के द्वारा लेखा परीक्षकों की बड़ी फ़र्मों, जिन्होंने कि इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमा रखा है, की आय पर कुछ प्रभाव पड़ा है।

श्री वेदव्रत वरुआ : सीमा के अतिरिक्त नए संशोधन द्वारा इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि जिन कम्पनियों में सरकार वित्तीय संस्थानों और बैंकों के 91 प्रतिशत शेयर हैं सरकार उनमें लेखा परीक्षकों की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से करेगी। अत: लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के मामले में सरकार बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सरकार उन कम्पनियों में भी लेखा परीक्षक नियुक्त कर रही है जिनके 25 प्रतिशत शेयर वित्तीय संस्थानों, बैंकों और राज्य अथवा केन्द्र सरकार के पास न हों। साथ ही हमने लागत लेखा परीक्षण का कार्य भी चालू किया है और इसका परिणाम यह होगा कि सरकार कम्पनी की लागत के सम्बन्ध में भी लेखा परीक्षण का आदेश दे सकेगी। हमारा एक आदेश है जो कि कम्पनी सोशल ऑडिट आर्डर के नाम से जाना जाता है, इस आदेश के द्वारा कम्पनी के लेखाओं के बारे में लेखा परीक्षक द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट में एक विवरण द्वारा यह भी बताना आवश्यक होगा कि क्या कम्पनी निर्धारित

आस्तियों का उचित रिकार्ड रख रही है और क्या प्रबन्ध व्यवस्था ने निर्धारित आस्तियों, निर्मित वस्तुओं, भण्डारों, फ़ालतू पुर्जों तथा कच्चे माल का समुचित रिकार्ड रखा है। क्या लेखा पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों को ठीक किया गया है और क्या शेष स्टाक का ठीक मूल्यांकन किया गया है। इस आदेश के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षक को कई बातों की जांच करनी पड़ती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपबन्ध है और इसने सामाजिक लेखा परीक्षण की प्रणाली को चालू किया है। यद्यपि इसके परिणामों को जानने में एक दो वर्ष का समय लग जाएगा लेकिन सरकार इस सम्बन्ध में आश्वस्त है कि इससे देश की लेखा परीक्षण पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा।

जहां तक लेखा परीक्षकों को हर दो तीन साल बाद बदले जाने का सम्बन्ध है यह व्यवस्था सम्भव नहीं है।

सरकार ने कई उपाय किए हैं सरकार इस व्यवसाय के लोगों को अनुचित रूप से तंग नहीं करना चाहती। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो औद्योगिक प्रणाली में काफ़ी योगदान दे रहा है। उन्हें समर्थन की आवश्यकता है और साथ ही उन्हें कुछ विनियमों की आवश्यकता है और हमने कई विनियम बनाए हैं। इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही(भुवनेश्वर) : सभापति महोदय मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं यह महसूस करता हूं कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में यह विधेयक पूर्णतया संगत है। आज 20-सूत्री कार्यक्रम हमारे समक्ष है। इसका उद्देश्य मुनाफ़ाखोरी, जमाखोरी चोर बाजारी को रोकने के साथ-साथ मूल्य वृद्धि को भी रोकना है। इसलिए हमें उद्योगों की उत्पादन लागत को भी देखना होगा ताकि मूल्यो को बढ़ने से रोका जा सके। लेखा परीक्षण ही एक ऐसा व्यवसाय है जो सरकार को उसकी जिम्मेदारी निभाने में सहायता दे सकता है।

देश में 11,000 से अधिक सनदी लेखापाल हैं और 8000 लेखा परीक्षण फ़र्में हैं। वित्त मन्त्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में 2,800 सनदी लेखापालों को खपाया जा सकता है लेकिन सरकारी क्षेत्र में अनुमानित आंकड़े का केवल 7-8 प्रतिशत ही खपाया जा सका है। अतः क्या हम सरकारी क्षेत्र और सरकारी विभागों में लेखा परीक्षण के कार्य का विस्तार नहीं कर सकते। लेखा परीक्षण के कार्य का अधिकाधिक फ़ैलाव किया जाए ताकि कम से कम उतने प्रतिशत लोगों को सरकारी क्षेत्र के निगमों और सरकारी विभागो में काम मिल जाए जिनके बारे में अनुमान लगाया गया है। मन्त्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए।

यदि हम चोर बाजारी को रोकना चाहते हैं तो लेखा परीक्षण के कार्य को सरकार के नियंत्रणाधीन रखा जाना चाहिए क्योंकि केवल यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रारम्भ से ही जांच हो सकती है।

यह प्रसन्नता की बात है कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि एक प्रकार के सामाजिक लेखा परीक्षण के बारे में कड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि विभिन्न बातों की जांच हो सके। देश में आपात स्थिति के बाद 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने जो यह नई जिम्मेदारी लेखा परीक्षण फ़र्मों पर डाली है उसके प्रति उन्हें जागरुक हो जाना चाहिए। अतः मैं अपना विधेयक वापिस लेता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।
The Bill, was by leave withdrawn.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन) श्री के० सी० चन्द्रापन द्वारा

(Amendment of Articles 74 and 163) by Shri C. K. Chandrappan

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का उद्देश्य संसद तथा राज्य विधान सभाओं की मंत्रि-परिषदों में मंत्रियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना है। विधायकों द्वारा एक दल से निष्ठा हटाकर दूसरे दल में निष्ठा रखने की समस्या तथा प्राय: दल-बदल करने की समस्या पर विचार करने के लिये नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने साथ ही साथ यह भी सिफारिश की कि मंत्रि-परिषद् के आकार पर कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। बात केवल यही नहीं है कि देश उन पर होने वाला व्यय वहन नहीं कर सकता अपितु मंत्रिमण्डल का विस्तार दल-बदल के लिये उपयोग में लाया जाता है। पहले आम चुनाव से चौथे आम चुनाव तक दल-बदल के कुल 210 मामलों में से 116 दल-बदलुओं को विभिन्न राज्यों के मन्त्रिमण्डलों में मन्त्री का पद दिया गया। यह राजनीतिक भष्टाचार का मामला है। यह विधेयक पेश करने का एक कारण यही है।

जब कभी किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई और मुख्य मंत्री ने देखा कि उसकी गद्दी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है तो उसने विरोधी पक्ष के सदस्यों को आकर्षित करने का प्रयास किया और उन्हें मन्त्रि-परिषद् में स्थान दे दिया। उदाहरण के लिये जब बिहार में शोषित दल के श्री बी० पी० मण्डल मुख्य मंत्री थे तो उनके मन्त्रिमण्डल में 34 सदस्य थे। उनके स्थान पर आये श्री केदार पाण्डे के मन्त्रिमण्डल की संख्या बढ़ाकर 46 कर दी गई। इसे भला किस तरह न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है? उद्देश्य यह होना चाहिये कि प्रशासन को क्षमता पूर्वक चलाने हेतु एक छोटा किन्तु ठोस मन्त्रिमण्डल बनाया जाये।

श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए।

[Shri Vasant Sathe in the chair]

यदि हमें इस स्थिति का सामना करना है तो फिर सर्व प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में पूरी तरह राजनीतिक जागरूकता पैदा की जाये। इसका एकमात्र हल यही है कि जनता को दल-बदल करने वाले सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिये। यदि कोई सदस्य दल-बदल करता है तो उसके निर्वाचकों को उसे वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिये।

दल-बदल सम्बन्धी समिति विचार विमर्श करने के पश्चात इस मतैक्य पर पहुंची कि एक सदनीय विधानमंडल के लिये मन्त्रि-परिषदों में मंत्रियों की संख्या सदस्यों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत तथा द्विसदनीय विधानमण्डल में कुल संख्या का 11 प्रतिशत होनी चाहिए। उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जहां विधायकों की संख्या 100 से कम हो, मन्त्रियों की संख्या इस ढंग से निर्धारित की जानी चाहिए कि उनकी संख्या निम्न सदन के सदस्यों की संख्या से 15 प्रतिशत से अधिक न हो। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि कई वर्ष बीत गए हैं फिर भी अभी तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विधान पेश नहीं किया है।

हमने आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा है कि कांग्रेस दल ने विरोधी पक्ष के 6 सदस्यों को अपने दल में मिलाया है। जिनमें से तीन लोक सभा के हैं तथा तीन राज्य सभा के हैं। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि कोई दल अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रचार कर रहा है या लोगों को अपने विचार बता रहा है अथवा लोगों को अपने कार्यक्रमों से अवगत करा रहा है। यह तो अच्छी बात है। किन्तु यहां विधान सभाओं तथा संसद के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। वे व्यष्टिभाव नहीं हैं। एक संसद संदस्य को लगभग 10 लाख आदमी चुनते हैं और इसलिये वह उन सब लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। निर्वाचित हो जाने के बाद यहां आकर दल-बदल कर और मतदाताओं के साथ विश्वासघात करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वह एक अनैतिक राजनैतिक कार्य है।

जो दल तथा जो व्यक्ति गम्भीरता से यह सोचते हैं कि यह देश लोकतंत्र के मार्ग पर चलता रहे, यह देश अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, लोकतांत्रिक संस्थायें मजबूत हों, उन्हें इन लोकतांत्रिक संगठनों को मजबूत करने के लिये ईमानदारी से अथक प्रयास करना चाहिए। इसी भावना से मैं इस विधेयक को सभा के अनुमोदनार्थ पेश कर रहा हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : प्रस्तावक ने इस देश की राजनीति में विद्यमान रोग का जो निदान बताया है वह बोधगम्य है किन्तु हमें देखना यह है कि उन्होंने जो उपचार बताया है क्या उससे यह बीमारी दूर हो सकेगी।

विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि मन्त्रि-परिषदों में मन्त्रियों की संख्या लोक सभा या राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि निर्धारित संख्या से मंत्रिमण्डल का गठन हो भी जाता है तो इससे एक प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था पैदा हो जायेगी जिसमें कि सदस्य मुख्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री के दरवाजे खटकाते फिरेंगे। वे कहेंगे कि अभी तो तीन स्थान खाली पड़े हुए हैं जिन्हें भरा जाना चाहिये। चाहे उनको भरने की आवश्यकता कदापि न हो। ऐसी परिस्थितियों में स्थिति वर्तमान स्थिति से और भी बदतर हो जायगी। यद्यपि विधेयक की भावना अच्छी है किन्तु इसमें जो समाधान बताया गया है उससे शायद चलाने में बाधायें उत्पन्न हो सकती हैं।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं श्री चन्द्रप्पन के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मन्त्रि-परिषदों के आकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव संसद तथा राज्य विधान सभाओं में सदस्यों को मंत्री पद के लिये दांव पेच लगाने से रोकने की दिशा में एक लाभकारी कदम हो सकेगा। आज वास्तविक स्थिति यह है कि लोग अपने स्वार्थ की सिद्धी के लिये मंत्री पद प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। जनता को समस्याओं कीं हल करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। यदि मंत्रि-मण्डलों के आकार की सीमा निर्धारित कर दी जाये तो इससे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये दल-बदल की गुंजाइश काफी कम हो जायेगी। इसका एक आवश्यक परिणाम यह होगा कि राजनीतिक अस्थिरता कम हो जायेगी। अतः इस अस्थिरता को कम करने तथा राजनीतिक सौदेबाजी को रोकने के लिए हमें इस प्रकार के संशोधी विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं समझता हूं कि श्री चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक बेकार सा है क्योंकि उसका किसी प्रकार से लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसका एक प्रमुख कारण

यह भी है कि अब हमारी वर्तमान सरकार कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। भारत की विद्यमान लोकतंत्र प्रणाली में परिवर्तन आ रहा है। कई नये प्रयोग किये जा रहे हैं। अनेक प्रकार के नये विकास कार्य किये जा रहे हैं यह सब कुछ लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। यही कारण है कि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा उसके कृत्यों को कारण बनाने के लिए संविधान में भी अपेक्षित परिवर्तन किये जा रहे हैं।

संसदीय लोकतंत्र का अर्थ सरकार की स्थिरता से है। किन्तु हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मंत्रिमण्डल सक्षम हो। मंत्रियों का चुनाव करने, स्थिरता सुनिश्चित करने तथा मंत्रिमण्डल के आकार का निर्णय करने का अधिकार मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री को है। इसका अर्थ यह नहीं कि मंत्रिमण्डल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना न हो।

दल-बदल के प्रश्न पर एक संयुक्त समिति विचार कर रही है तथा आवश्यक परिवर्तन सुझाने के प्रति प्रयत्न कर रही है। अतः प्रस्तावक को चाहिए था कि वह समिति के कार्य पूरा होने तक प्रतीक्षा करते और एक व्यापक विधेयक लाते। इस प्रकार इस विधेयक से कोई अर्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमें समन्वित रूप में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : यह विधेयक उद्देश्यहीन है। प्रस्तावक के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य देश की राजनीति में विद्यमान दल-बदल की मुख्य बुराई को रोकना है। किन्तु समझ में नहीं आता कि इस विधेयक से वह बुराई कैसे दूर होगी। असली बात तो यह है कि दल-बदल क्यों होता है और क्या दल-बदल उतना बुरा है, जितना कि इसको बताने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारा संविधान कोई दल-आधारित संविधान नहीं है। हम अपने संविधान में जनता को सर्वोच्च स्थान देते हैं। उसे पूरा अधिकार है कि वह किसी भी दल के प्रतिनिधि को संसद् या विधान सभा में भेजे। इतना ही नहीं किसी दल का कोई सदस्य यदि यह देखे कि उसका दल घोषित नीति के विरूद्ध काम कर रहा है तो वह उसके विरूद्ध अपना मत दे सकता है और उसे उस दल से अलग हो जाना चाहिए। अतः इस समूचे प्रश्न पर इस दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए।

दल-बदल के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई बड़े-बड़े योग्य व्यक्तियों की समिति ने भी केवल इतना ही सुझाव दिया है कि मंत्रिमण्डल का आकार 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाये। इस सुझाव से इन योग्य व्यक्तियों की अदूरदर्शिता का पता चलता है।

कांग्रेस इस समय एक ऐसा दल है जिसमें एकता है और यही कारण अब इसे छोड़कर कोई नहीं जा रहा है।

मंत्रिमण्डल पर 10 प्रतिशत की सीमा लगाना बुद्धिमतापूर्ण है। यह क्यों नहीं माना जाता कि संसद् के नेता में कुछ उत्तरदायित्व की भावना होगी। और यदि आप यह सोचें कि यहां चुन कर आने वाला व्यक्ति अयोग्य है तो इसका अर्थ होगा कि उसे चुनने वाले भी अयोग्य हैं। यदि ऐसा सोचते हैं तो हम लोकतंत्र की जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं।

अतः इस विधेयक को लाने के पीछे दृष्टिकोण ही गलत है क्योंकि इसका आधार ही गलत सिद्धान्त पर आधारित है। समाधान समस्या से कहीं अधिक खतरनाक है। असलियत यह है कि विधेयक अलोकतांत्रिक है।

Shri Ramavtar Shashtri (Patna) : I strongly support the Bill. The measure put forward by tne mover is timely and practcal.

After the elections in 1967 the Congress Party lost majority in 9 States. As a result thereof, Coalition or united front Governments were formed in these States. Efforts were then made by the Congress Party to create defections in those parties who were Partners of the ruling united front Governments, so that they could again establish their Government. In order to counter this threat of defection, the ruling parties in the States tried to maintain their unity and to in support of other political parties by including as many members of those parties in their ministries as they possibly could. In Bihar alone, Soshit Dal Ministry had 37 ministers. Organisation Congress Ministry headed by Shri Harihar Singh had 33 ministers and Ghafoor Ministry had 46 ministers. It would also be worthwhile to note that from 1967 to 1974 11 ministeries were formed in Bhiar state alone.

Therefore, we find that ministers are appointed in order to win over the support of a party, to please the members or to give representation to a particular caste or community. They are not appointed because of their merit or in the interest of the state concerned. While competent persons hardly get an opportunity to become ministers, the corrupt and the opportunists grab the opportunity and become Ministers. Therefore, certain norms should be laid down which should be adhered to while constituting ministries.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 30 अगस्त, 1976/8 भाद्र, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, August 30th, 1976/ Bhadra 8, 1898 (Saka).

GMGIPND—M—1751 LS. (2734)—11-10-76—200